बृहस्पतिवार,
१५ अप्रैल, १९५४

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

बृहस्पतिवार, १५ अप्रैल, १९५४

सभा दो बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पश्चिमी बंगाल से पूर्वी बंगाल में लोगों का निष्क्रमण

*१८०३. **सरदार हुक्म सिंह** : (क) क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जून १९५३ से, जब कि कर-भुगतान प्रमाण-पत्र प्रत्यावर्त्तित किया गया था, पूर्वी बंगाल से पश्चिमी बंगाल में कितने लोग आए ?

(ख) उन लोगों की कितनी संख्या है जिन्हों ने कि अपेक्षित-प्रमाणपत्र पेश किया ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) जून १९५३ से मार्च १९५४ तक ९,००,५६२ ।

(ख) २६,०३३ ।

सरदार हुक्म सिंह : पश्चिमी बंगाल में इन दिनों अब भी आ रहे लोगों की औसत संख्या क्या है ?

श्री एम० सी० शाह : क्या मैं मासवार आंकड़े पढ़ूं ?

अध्यक्ष महोदय : आपके पास कितने मासों के आंकड़े हैं ?

श्री एम० सी० शाह : जून से मार्च तक दस मास के । न्यूनतम संख्या ४१,००० है और अधिकतम ८३,००० । आंकड़े इस प्रकार हैं : ४१,००० से कुछ ऊपर, ४४,००० से कुछ ऊपर, ४५,०००से कुछ ऊपर, ४२,००० से कुछ ऊपर, ७८,००० से कुछ ऊपर, ६४,००० से कुछ ऊपर, ७५,००० से कुछ ऊपर, ७१,००० से कुछ ऊपर, ७२,००० से कुछ ऊपर और ८३,००० से कुछ ऊपर ।

सरदार हुक्म सिंह : जो लोग आने चाहते थे, जिन्हों ने कि कर का भुगतान नहीं किया था किन्तु इसलिये करना पड़ा कि उन्हों ने अर्जी दी थी, उनसे लिए गये कर की मात्रा क्या है ?

श्री एम० सी० शाह : मेरे पास यह आंकड़े नहीं हैं । किन्तु मुझे कलकत्ते के हमारे वैदेशिक विभाग कार्यालय से मालूम हुआ है कि स्वयं कार्यालय द्वारा १,६०,००० रु० संकलित किए गए और कुछ मामले आयकर पदाधिकारियों को सौंप दिये गये ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि जिन व्यक्तियों को कर-भुगतान का प्रमाणपत्र मिल गया था उन्हें अपनी चल सम्पति लाने की अनुमति दे दी गयी थी ?

श्री एम० सी० शाह : इसका सम्बन्ध केन्द्रीय राजस्व बोर्ड से नहीं है। केन्द्रीय राजस्व बोर्ड आय-कर की राशि के भुगतान अथवा छूट सम्बन्धी प्रमाणपत्र देता है।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : क्या मैं समझूं कि ये सब लोग मुसलमान हैं, जो कि पूर्वी पाकिस्तान में बसना चाहते थे ?

श्री एम० सी० शाह : जी नहीं। इनमें हिन्दू, मुसलमान तथा अन्य लोग भी हैं।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : उनका अनुपात क्या है ?

श्री एम० सी० शाह : हिन्दू ६,२०,०८२ हैं ; मुसलमान २,७१,७९४ हैं ; अन्य ८,६८६ हैं।

सबिया हवाई अड्डा (बिहार)

*१८०४. **श्री झूलन सिन्हा** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सारन (बिहार) में बनाए गये सबिया हवाई अड्डे पर कुल कितना व्यय हुआ ;

(ख) वहां की ज़मीनों तथा इमारतों को बिहार सरकार को अंतरण करने अथवा ठेकेदारों को बेचने से कितनी राशि प्राप्त हुई;

(ग) हवाई अड्डे का कितना भाग अब भी केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित है ; और

(घ) उसे ठीक दशा में रखने के लिये क्या पग उठाए जा रहे हैं ?

रक्षा उप-मंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) ६३,४७,१३४/१/३।

(ख) सार्वजनिक नीलाम द्वारा इमारतों की बिक्री से ४०,००० रु०।

(ग) हवाई पट्टियां, टैक्सी-मार्ग, सड़कें कंट्रोल-टॉवर, और पेट्रोल टैंक जिन सबका क्षेत्र मिला कर कुल ४७३·२९५ एकड़ है।

(घ) चूंकि अब इस हवाई अड्डे की प्रतिरक्षा कार्य के लिए आवश्यकता नहीं है इसलिए इसे ठीक दशा में रखने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रतिष्ठित साहित्य का अनुवाद

*१८०५. **श्री एस० एन० दास** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारतीय प्रतिष्ठित साहित्य को जापानी में अनुवाद करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो यह योजना किस प्रक्रम पर है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

किन्तु मैं यह बता दूं कि यूनेस्को के साथ सहयोग करने के लिए नियुक्त जापानी राष्ट्रीय आयोग के महा सचिव तथा यूनेस्को के साथ सहयोग करने के लिये नियुक्त स्थायी भारतीय आयोग के पहले सम्मेलन में उस देश से आये हुए सौहार्द-मण्डल ने इस मामले के सम्बन्ध में अनौपचारिक रूप से उल्लेख किया था।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि यूनेस्को से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, और यदि हां, तो क्या सरकार ने उस पर विचार किया है ?

डा० एम० एम दास : तीन एशियाई भाषाओं जापानी, चीनी और भारतीय, की कुछ प्रतिष्ठित कृतियों को यूनेस्को का फांसीसी अथवा अंग्रेज़ी भाषा में अनुवाद करने का इरादा है। जहां तक भारतीय कृतियों के अनुवाद का प्रश्न है, भारत सरकार १५,००० रु० देने को सहमत हो

गयी है । मामला यूनेस्को के विचाराधीन है ।

श्री हेडा : क्या सभा सचिव इस तथ्य से अवगत हैं कि ऐसी अनेक संस्कृत की कृतियों के अनुवाद चीनी, जापानी तथा अन्य भाषाओं में मौजूद हैं जिनका कि मूल उपलब्ध नहीं है, और यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उन्हें पुनः संस्कृत अथवा किन्हीं अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने का है ?

डा० एम० एम० दास: यह एक बिलकुल भिन्न चीज़ है । सरकार इस पर विचार कर सकती है ।

डा० डी० सी० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि प्रतिष्ठित कृतियों का अर्थ प्रशस्त कृतियों से है अथवा केवल प्राचीन संस्कृत भाषा में लिखी गयी कृतियों से ?

डा० एम० एम० दास : मैं कोई विद्वत् पुरुष होने का दावा नहीं करता । माननीय प्रोफेसर इसका अर्थ समझते होंगे ।

बहु विवाह

***१८०६. श्री राधा रमण** : (क) क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यह सत्य है कि सरकार ने अपने सैनिक पदाधिकारियों के बहु-विवाह पर रोक लगा दी है ?

(ख) रक्षा सेवाओं में कितने पदाधिकारियों ने सन् १९५२ और १९५३ में ऐसे विवाह किए ?

(ग) क्या उनमें से किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी और यदि हां, तो क्या ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) जी हां, ऐसे आदेश हैं कि कोई भी सेना पदाधिकारी जिसकी पहली पत्नी जीवित हो, सरकार की पूर्वाज्ञा लिए बिना दूसरा विवाह नहीं कर सकता । यह आज्ञा सामान्यत : ऐसे मामलों में ही दी जाती है, जिनमें कि निम्नलिखित तथ्यों में से कोई भी साबित हो चुका हो :

(१) पत्नी द्वारा त्याग दिया जाना

(२) पागलपन

(३) कानूनन सिद्ध दुराचार

(ख) आठ पदाधिकारी ।

(ग) उनमें से पांच ने सरकार की पूर्वाज्ञा प्राप्त कर ली थी, दो को सेवा से मुक्त कर दिया गया है, और एक के विरुद्ध जांच हो रही है ।

श्री राधा रमण: क्या मैं जान सकता हूं कि यह रोक कब लगायी गयी थी और क्या यह पहले से मौजूद थी किन्तु लागू नहीं की गयी थी ?

श्री त्यागी : यह रोक सन् १९४९ में लगायी गयी थी ।

श्री राधा रमण : क्या मैं जान सकता हूं कि यह रोक गैर-सैनिक सरकारी पदाधिकारियों पर भी लगायी जाने वाली है जिनमें मंत्री और उनके सचिव भी सम्मिलित होंगे ?

श्री त्यागी : विधानतः तो यह उन पर लागू नहीं होती । किन्तु नैतिक रूप से यह सचिवों पर तथा इस मंत्रालय में काम करने वाले दो उपमंत्रियों पर लागू होती हैं, ये दोनों मंत्री विधुर हैं ।

श्री आर० के चौधरी : क्या विधुर सैनिकों के पुनः विवाह करने पर कोई रोक है ?

श्री त्यागी : विधुरों के पत्नियां नहीं होतीं और इस लिए वह वे फिर से विवाह कर सकते हैं ।

बहेत मछिहारे

*१८०८. **श्री बी० पी० नायर:** (क) क्या रक्षा मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि जनवरी १९५४ के प्रारम्भ में त्रावनकोर-कोचीन राज्य के किनारे से बह गये कुछ मछिहारों के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने एरनाकुलम तथा कोचीन के रक्षा संस्थापनों को आगाह कर दिया था ?

(ख) संदेश किस समय प्राप्त हुआ था ?

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) जी हां ।

(ख) ९ जनवरी को ८-३० बजे शाम को ।

(ग) कोचीन के कोमोडोर-इन-चार्ज ने तत्काल एक हवाई तथा समुद्री खोज संगठित की जो १० जनवरी को प्रातः ६ बजे अर्थात् दिन निकलते ही प्रारम्भ हुई । १२ जनवरी को नौ सेना पदाधिकारियों द्वारा संदेश प्राप्त हुआ कि सब मछिहारे सही-सलामत वापस आ गये हैं ।

श्री वी० पी० नायर : क्या मैं जान सकता हूं कि कोचीन के कोमोडोर द्वारा भेजे गये पोत को दुर्घटना स्थल पर पहुंचने में कितना समय लगा ?

श्री त्यागी : मैं समझता हूं कि 'रणजीत' तथा कोचीन के हवाई और नौ सेना स्टेशनों को खोज के लिये तैयार किया गया था । क्षेत्र की खोज १० जनवरी, १९५४ के प्रातः ६ से प्रारम्भ हुई थी ।

श्री वी० पी० नायर : क्या मैं जान सकता हूं कि दुर्घटना की सूचना-प्राप्ति के बाद हवाई जहाज़ों को रवाना होने में कितना समय लगा था ?

श्री त्यागी : मुझे खेद है कि मेरे पास प्रथम हवाई जहाज़ के रवाना होने सम्बन्धी सूचना नहीं है । किन्तु हवाई जहाज़ विभिन्न समय पर भेजे गये थे । उन्हों ने लगभग ५,००० वर्ग मील के क्षेत्र की उड़ान की और २-३० बजे दोपहर तक कुछ दिखाई नहीं दिया था ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या १८१२, श्री सारंगधर दास ।

श्री सारंगधर दास : प्रश्न संख्या १८२९ भी इसी विषय पर है । दोनो का साथ साथ उत्तर दे दिया जाय ।

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : मैं दोनो का उत्तर दे दूंगा ।

चांदीपुर प्रूफ स्टेशन

*१८१२. **श्री सारंगधर दास :** क्या **रक्षामंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) प्रूफ स्टेशन, चांदीपुर, जिला बालासोर, उड़ीसा से सम्बद्ध ऐसी कितनी जमीन है जो आवश्यकता से अधिक है और जहां पर खेती होती है ;

(ख) कितने एकड़ जमीन धान की खेती के लिये पट्टे पर दी गई है और कितने काल तक के लिये ; तथा

(ग) इन जमीनों का वार्षिक लगान?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) चांदीपुर में सेना की १२२१·३९ एकड़ जमीन खेती के लिये पट्टे पर दे दी गई है । यह जमीन आवश्यकता से अधिक नहीं है ।

(ख) १२२१·३९ एकड़ जमीन १ अप्रैल १९५३ से एक वर्ष तक के लिये दी गई है ।

(ग) रु० २४,०५५–१३–० ।

चांदीपुर प्रूफ-स्टेशन

*१८२९. **श्री सारंगधर दास** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि वास्तविक किसानों ने, जो प्रूफ-स्टेशन चांदीपुर उड़ीसा से सम्बद्ध जमीन के पट्टे दारों के शिकमी काश्तकार हैं, सरकार से आवेदन किया है कि वह जमीन छोटे छोटे टुकड़ों में प्रत्यक्षतः उनको ही पट्टे पर दी जाए और वे वार्षिक लगान अग्रिम रूप में देने को तैयार हैं ;

(ख) क्या सरकार इस बारे में किसी निश्चय पर पहुंची है ; तथा

(ग) यदि नहीं, किस तिथि तक निर्णय होने की संभावना है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) हां ।

(ख) हां । यह निश्चय किया गया है कि ज़मीन वास्तविक किसानों को दी जाये ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या यह सच है कि पट्टेदारों को उसकी अपेक्षा अधिक लगान देना पड़ता है, जितना किसान मालिकों या ज़मीदारों को दिया करते थे ?

सरदार मजीठिया : मैं उस बारें में निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता, पर चूंकि ज़मीन स्थानीय कलक्टर से परामर्श करके पट्टे पर दी जाती है, यदि लगान अधिक हुआ तो मुझे आश्चर्य ही होगा ।

उड़ीसा में जमीन का अधिग्रहण

*१८१३. **डा० नटवर पांडे** : (क) क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने भारत रक्षा अधिनियम के अधीन युद्ध काल में झरसूगुड़ा, उड़ीसा में हवाई स्टेशन बनाने के लिये कितनी ज़मीन का अर्जन किया था ?

(ख) क्या यह सच है कि इस समय सारी ज़मीन काम में नहीं आ रही है ?

(ग) यदि ऐसा है, तो क्या सरकार वह ज़मीन संबंधित मालिकों को लौटा देना चाहती है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) १७१७·३२ एकड़ ।

(ख) सारा क्षेत्र रक्षा मंत्रालय ने १९४७ में संचार मंत्रालय और राज्य सरकार को स्थानान्तरित कर दिया था । और मंत्रालय को कुछ पता नहीं है कि सारी की सारी जमीन अब काम में आ रही है या नहीं ।

(ग) उपर्युक्त (ख) की दृष्टि में प्रश्न नहीं उठता ।

श्री गाडगील : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार की नीति यह नहीं है कि अनावश्यक जमीन वापस लौटा दी जाये ?

सरदार मजीठिया : सरकार की नीति यही है, पर इस मामले में यह पहले ही संचार मंत्रालय को दी जा चुकी है, अतः इस बारे में और जो भी प्रश्न हो, उस मंत्रालय से पूछा जाये ।

प्रौद्योगिकीय शिक्षा के लिये अनुदान

*१८१५. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३-५४ वर्ष में (१) मुद्रण प्रौद्योगिकी (२) ऊनी तथा वर्स्टेड प्रौद्योगिकी तथा (३) स्थापत्य शिक्षा के लिये यदि कुछ अनुदान दिये गये हों तो कुल कितने अनुदान दिये गये हैं ; तथा

(ख) किन राज्यों को और प्रत्येक को कितना ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) तथा (ख). १९५३-५४ वर्ष में केन्द्रीय सरकार ने कलकत्ता और मद्रास में प्रादेशिक मुद्रण विद्यालय खोलने के लिये क्रमशः पश्चिमी बंगाल तथा मद्रास सरकार को एक एक लाख रुपये का अनावर्ती अनुदान दिया है । स्थापत्य तथा ऊनी और वस्ट्रेड प्रौद्योगिकी के लिये कोई अनुदान नहीं दिया गया है ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या इन सरकारों ने तदनुसार कार्यवाही की है ?

डा० एम० एम० दास : रुपया सरकारों को दे दिया गया है और अनुमान है कि उन्होंने कार्यवाही की होगी ।

श्री के० सी० सोंधिया : आप यह अनुमान कब तक करते रहेंगे ?

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : ये अनुदान डिग्री पाठ्य-क्रम के लिये दिये जाते हैं या डिप्लोमा पाठ्य–क्रम के लिये ?

डा० एम० एम० दास : मैं इस प्रश्न की पूर्व सूचना चाहूंगा ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या केन्द्रीय सरकार के पास ऐसी कोई व्यवस्था है, जिससे वह जान सके कि विविध कार्यों के लिये राज्य सरकारों को दिये गये धन से विभिन्न कार्यों में क्या प्रगति हुई है ?

डा० एम० एम० दास : क्या इस प्रश्न का सम्बन्ध इसी प्रश्न से है या सभी वित्तीय अनुदानों से ?

अध्यक्ष महोदय : अनुमानतः इसका मतलब इसी मामले से है ।

डा० एम० एम० दास : अब तक हमारे पास पृथक व्यवस्था नहीं है, पर हमारे पदाधिकारी सम्बन्धित राज्यों में जाते हैं और उनके पदाधिकारियों के साथ उन परियोजनाओं का निरीक्षण करते हैं ।

युद्ध सामग्री कारखानों द्वारा हथियारों की बिक्री

*१८१६. **श्री जी० एल० चौधरी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनता के प्रयोग के लिए युद्ध सामग्री कारखानों में तैयार किये गये हथियारों की बिक्री प्रारम्भ हुई है या नहीं ; तथा

(ख) उन्हें किस प्रकार बेचा जा रहा है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) १२ बोर की दुनाली लड़ाकू बंदूकों का स्कंध क्रमशः बढ़ाया जा रहा है । आशा है, एजेंट लोग इनको शीघ्र ही ले जायेंगे । कुछ बंदूकें संसद् सदस्यों के आर्डरों के आगे दिल्ली में विक्रयार्थ प्रस्तुत हो चुकी हैं । स्पोर्टिंग रायफलों का निर्माण अगले तीन चार महीनों में शुरू हो सकेगा, ऐसी आशा है ।

(ख) पूरे देश में पांच खंडों में अस्त्र-बारूद का व्यापार करने वाली दो तीन प्रमुख फर्मों के द्वारा लड़ाकू बंदूकों की बिक्री करने का विचार है ।

एक वर्ष तक इस व्यवस्था की जांच की जायेगी और तत्पश्चात् सरकार स्थिति की पड़ताल करेगी ।

श्री जी० एल० चौधरी : बाज़ार में बिक्री की शर्तें क्या होंगी ?

श्री सतीश चन्द्र : अस्त्र-बारूद की बिक्री की सामान्य शर्तें लागू होंगी अर्थात् उचित लाइसेंस होना चाहिये, और उसका दाम चुकाना चाहिये ।

श्री आल्तेकर : क्या दूरबीनें भी बेची जायेंगी ?

श्री सतीश चन्द्र : वे पहले ही बेची जा रही हैं । यदि माननीय सदस्य चाहें, तो

देहरादून स्थित कारखानों के अधीक्षक को लिख कर मंगा सकते हैं ।

श्री टी० एन० सिंह : ये दो तीन फर्में किस कसौटी पर चुनी जायेंगी : जांच करके प्राक्कलन पत्र मंगाकर या कौन सा तरीका काम मे लाया जायेगा ?

श्री सतीश चन्द्र : अभी हम बिक्री एजंट चुनने की कोशिश कर रहे हैं । युद्ध सामग्री कारखानों में महा संचालक से हमें इस आधार पर सिफारिशें प्राप्त हुई हैं कि अस्त्र-बारूद का व्यापार करने वाली फर्मों में किसने एक निश्चित अवधि में सबसे अधिक आयात किया था । उसकी सिफारिशें मंत्रालय के विचाराधीन हैं ।

केन्द्रीय एजेन्सी विभाग

*१८१७. **श्री बलवन्त सिंह महता** : (क) क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय ऐजेन्सी विभाग ने स्थापित होने से अब तक कितने मामलों पर विचार किया है ?

(ख) उनमें से कितने फ़ौजदारी के और कितने दीवानी के मामले थे ?

(ग) भाग ख राज्यों ने केन्द्रीय एजेंसी विभाग द्वारा कितने मामले उच्चतम न्यायालय में भेजे हैं ?

विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) (क) केन्द्रीय एजंसी विभाग ने, जो ४ अगस्त १९५० को स्थापित किया गया था, १० अप्रैल १९५४ तक १६१८ मामलों की पैरवी की थी ।

(ख) फौजदारी की याचिकाओं तथा आपीलों की संख्या ६३४, दीवानी की याचिकाओं व अपीलों की संख्या ३३९, अनुच्छेद ३२ के अतर्गत आदेश याचिकाओं की संख्या ५८०, मूल अभियोगों की संख्या १४ तथा अनुच्छेद १४३ के अन्तर्गत निर्देश की संख्या १ थी ।

(ग) इस काल में भाग ख राज्यों ने विभाग द्वारा ३२ अभियोग भेजे ।

श्री बलवन्त सिंह महता : अब तक कितने अभियोग--संविधान संबंधी, दीवानी के तथा न्याय संबंधी--राजस्थान राज्य से लिये गये हैं तथा उनका परिणाम क्या रहा ?

श्री बिस्वास : मेरे पास राज्यानुसार आंकड़े नहीं हैं ।

श्री एस० एन० दास : क्या उन राज्यों में से किसी ने जो योजना मे भाग नहीं ले रहे थे, उसके पश्चात भाग लिया है, तथा यदि हां, तो वह कौन कौन हैं ?

श्री बिस्वास : अभी तक जिन राज्यों ने भाग नहीं लिया है वे निम्न हैं :--

उत्तर प्रदेश, आसाम, पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश, तथा त्रावणकोर-कोचीन ।

श्री मुनिस्वामी : क्या इस योजना का पूर्ण व्यय-भार केन्द्रीय सरकार उठाती है है या कुछ केन्द्रीय सरकार तथा कुछ राज्य सरकार ?

श्री बिस्वास : वास्तव में, योजना की विशेषताओं में से एक यह है कि पूर्ण व्यय केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों में विभाजित हो जाता है ।

संयुक्त स्टाक समवायों का संशोधित वर्गीकरण

*१८१८. **श्री मुरारका** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में संयुक्त स्टाक समवायों का संशोधित वर्गीकरण किया है ; तथा

(ख) यदि हां, तो यह कब प्रकाशित होगा ?

वित उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) तथा (ख). वाणिज्य मण्डल, व्यापार

संस्थाओं तथा संयुक्त स्टाक समवायों के रजिस्ट्रारों की जिन्हें अपना मत प्रकट करने के लिये संशोधित वर्गीकरण की एक परीक्षात्मक सूची भेजी गई थी, टिप्पणियों के आधार पर सरकार इस मामले पर विचार कर रही है। सूची की एक प्रति, अन्तिम रूप में निश्चित होने के पश्चात , सदन पटल पर रखी जायगी ।

श्री मुरारका : क्या संशोधित वर्गीकरण लागू कर दिया गया है ?

श्री एम० सी० शाह : यह लागू नहीं किया जा सकता। वर्गीकरण के संबंध में अभी अन्तिम निश्चय नहीं हुआ है। अन्तिम निश्चय होते ही यह संयुक्त स्टाक समवायों के रजिस्ट्रारों द्वारा लागू किया जायगा ।

श्री मुरारका : यह संशोधित वर्गीकरण किस आधार पर किया जा रहा है ?

श्री एम० सी० शाह : यह वर्गीकरण समस्त आर्थिक कार्यवाहियों के औद्योगिक वर्गीकरण के अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों, निर्माण उद्योगों की गणना संबंधी वर्गीकरण तथा संयुक्त स्टाक समवायों का हमारा वर्तमान वर्गीकरण की दृष्टि से किया जा रहा है ।

श्री मुरारका : संशोधित वर्गीकरण लागू होने के पश्चात क्या लाभ होंगे ?

श्री एम० सी० शाह : आजकल विद्यमान वर्गीकरण के अनुसार ११ दल तथा ५९ पदें हैं। अब हम दस क्षेत्र, ७२ दल तथा १७७ पदें रखेंगे ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या वर्गीकरण केवल वाणिज्य मण्डल के मतानुसार ही हो रहा है अथवा वर्गीकरण में कोई परिवर्तन करने के पूर्व अधिकृत गणक, वकीलों तथा अन्य व्यक्तियों के विचारों पर भी ध्यान दिया जाता है ?

श्री एम० सी० शाह : एक उपसमिति नियुक्त की गई है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हुं कि उन कारकों का ध्यान रखते हुए, जिन का उल्लेख मैं पहले कर चुका हूं, इस वर्गीकरण में संशोधन किया जा रहा है। उस समिति में, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, राष्ट्रीय आय इकाई, केन्द्रीय राजस्व बोर्ड, केन्द्रीय आंकड़ा संघ, रिज़र्व बैंक के प्रतिनिधि तथा एक अधिकृत गणक है ।

भारतीय सांस्कृतिक सम्पर्क परिषद्

***१८१९. श्री बर्मन** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५१, १९५२ तथा १९५३ में भारतीय सांस्कृतिक सम्पर्क परिषद् के पुस्तकालय के लिये क्रय की गई पुस्तकों तथा पाण्डु-लिपियों का कुल मूल्य कितना था ; तथा

(ख) पुस्तकालय में कितनी भाषाओं की पुस्तकें तथा पाण्डु-लिपियां हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) क्रमानुसार ३०५ रु०, १०,६२८ रु० तथा १,७८४ रु० ।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन पटल पर रखी जायेगी ।

मैं यह और बता दूं कि परिषद् के पुस्तकालय में आजकल जो पुस्तकें हैं उन में से अधिकतर निजि व्यक्तियों तथा संघों से उपहार रूप में प्राप्त हुई हैं। केवल बहुत थोड़ी पुस्तकें मोल ली गई हैं ।

श्री बर्मन : मोल ली गई तथा उपहार रूप में प्राप्त हुए साहित्य या पाण्डु-लिपियों में विभिन्न भाषाओं का कितना कितना साहित्य या पाण्डु-लिपियां हैं ? भारत में १४ प्रमुख भाषाएं हैं। मैं गत कुछ वर्षों में प्राप्त हुए साहित्य का भाषाकार विभाजन जानना चाहता हूं ।

डा० एम० एम० दास : सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री बर्मन : क्या वे विद्यार्थी, जो विदेशों से केन्द्रीय सांस्कृतिक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत आते हैं, इस पुस्तकालय से कुछ लाभ उठाते हैं, यदि हां, तो विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति से परिचित कराने के लिये पुस्तकालय में क्या प्रबन्ध है ?

डा० एम० एम० दास : भारतीय सांस्कृतिक सम्पर्क परिषद् का एक कार्य यह है कि वह विदेशी विद्यार्थियों के जो अध्ययन करने के लिये इस देश में आते हैं, हित तथा कल्याण की देख भाल करे। जहां तक पुस्तकालय का संबंध है, मेरा विचार है कि प्रत्येक व्यक्ति, जिन में विद्यार्थी भी सम्मिलित हैं, पुस्तकालय से लाभ उठा सकता है ।

श्री बर्मन : मेरा प्रश्न यह है कि क्या पुस्तकालय में कोई प्रबन्ध है, विभिन्न भाषाओं के कुछ विद्वान व्यक्ति हैं, जिन के द्वारा विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति के विषय में बताया जाय ?

डा० एम० एम० दास : अभी तक सारी पुस्तकों की सूची नहीं बनी है तथा पुस्तकालय उचित रूप में व्यवस्थित नहीं है।

श्री धुलेकर : क्या मेरे माननीय मित्र को विदित है कि इस पुस्तकालय में हिन्दी या संस्कृत की एक भी पुस्तक नहीं है ?

डा० एम० एम० दास : यह सच नहीं है । उसमें हिन्दी, संस्कृत तथा तामिल की पुस्तकें हैं । भारत की इन भाषाओं तथा अन्य भाषाओं की एक हज़ार से अधिक पुस्तकें बिना जिल्द बंधी पड़ी हैं। उनकी सूची बन रही है तथा वर्गीकरण हो रहा है । कदाचित, माननीय शिक्षा मंत्री ने जो पुस्तकालय को उपहार दिया है, जिन्हों ने कई हजार फारसी, अरबी तथा उर्दू की पुस्तकें दी हैं, इन तीन भाषाओं की पुस्तकों की संख्या काफी बढ़ा दी है । सम्भाव्यतः इस संबंध में कुछ सूचना विदित हो गई है तथा उस ने यह सारी आपत्ति उत्पन्न कर दी है ।

अध्यापकों का वेतन

*१८२०. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) उनका मंत्रालय "भारत में अध्यापकों की सेवा की शर्तें" नामक पुस्तक को कब प्रकाशित करेगा ; तथा

(ख) औसत रूप में प्राइमरी तथा माध्यमिक स्कूलों में अप्रशिक्षित अध्यापकों की अपेक्षा प्रशिक्षित अध्यापकों का प्रतिशत क्या है ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) आशा है कि यह १९५४ के अन्त तक प्रकाशित होगी ।

(ख) ३१ मार्च १९५२ को, जिस तारीख तक की सूचना प्राप्य है, प्रशिक्षित अध्यापकों का प्रतिशत प्राइमरी स्कूलों में ६२ तथा माध्यमिक स्कूलों में ५४ था ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : किस राज्य में अध्यापकों को औसत रूप में कम से कम वेतन मिलता है, और वह औसत वेतन क्या है ?

डा० एम० एम० दास : मेरे पास भारत के समस्त राज्यों की सूची है तथा अमुक वेतनों का पता लगाने में कुछ समय लगेगा ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : कम से कम ।

डा० एम० एम० दास : प्रशिक्षित अध्यापकों की अधिक से अधिक प्रति शत है : मद्रास में प्राइमरी स्कूलों में ९३·८ प्रति शत

तथा माध्यमिक स्कूलों में ८१·३ प्रति शत प्रशिक्षित अध्यापक हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह किसी भी राज्य में कम से कम वेतन जानना चाहती हैं।

डा० एम० एम० दास : मैं निश्चित नहीं कह सकता, परन्तु अपनी याद से मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में आरम्भिक वेतन न्यूनतम है, अर्थात्, प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों को २५ रु० प्रति मास मिलता है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या यह वेतन प्राइमरी स्कूलों में है या माध्यमिक स्कूलों में ?

डा० एम० एम० दास : यह प्राइमरी स्कूलों में है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं माध्यमिक स्कूलों के सम्बन्ध में सूचना चाहती थी।

डा० एम० एम० दास : शिक्षा मंत्रालय ने एक गुटिका प्रकाशित की है जो पुस्तकालय में प्राप्त होगी। यह सब आंकड़े उसमें दिये हैं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : माध्यमिक शिक्षा आयोग ने जो सिफारिशें की हैं उनकी दृष्टि से क्या सरकार का विचार भारत भर में माध्यमिक स्कूलों में समान वेतन लागू करने का है ?

डा० एम० एम० दास : केन्द्रीय सरकार को समान वेतन माप लागू करने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। जो भी वह कर सकते हैं वह यह है कि वह इस मामले में राज्य सरकारों को सुझाव दें, निवेदन करें तथा परामर्श दें।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या इस संबंध में राज्य सरकारों को परामर्श देने के लिये सरकार ने कुछ किया है ?

डा० एम० एम० दास : हाल ही में शिक्षा संबंधी केन्द्रीय परामर्शदाता बोर्ड ने इस मामले पर विचार किया था तथा सिफारिश की थी। सरकार इस सिफारिश पर विचार कर रही है।

श्री बी० के० दास : क्या प्रशिक्षित तथा अप्रशिक्षित अध्यापकों की कोई ऐसी परिभाषा बनाई गई है जो समस्त राज्यों के लिये अच्छी हो ?

डा० एम० एम० दास : प्रत्येक राज्य के अपने प्रशिक्षिण केन्द्र हैं और वे अध्यापन योग्यता सम्बन्धी डिप्लोमा देते हैं।

तिलपत में हवाई प्रदर्शन

*१८२१. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिलपत में हाल ही में हुए हवाई प्रदर्शन में कितने वायुयानों ने भाग लिया ; और

(ख) सरकार ने इस प्रदर्शन पर कुल कितना खर्च किया ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) १०५।

(ख) ६·४९ लाख रुपये की उस राशि के अलावा, जो कि उस समय इंधन, भण्डार तथा विस्फोटकों पर खर्च हुई और जिसका उपबन्ध आयव्ययक में पहले ही किया जा चुका है, इस प्रदर्शनी पर और ५१,००० रुपए खर्च किये गए।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं कि इस में कितने छतरीधारी सैनिकों ने भाग लिया था और क्या यह सत्य है कि इन छतरीधारी सैनिकों में से एक सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए और उनको क्षतिपूर्ति के रूप में क्या दिया गया ?

श्री त्यागी : जिन छतरीधारी सैनिकों ने इस में हिस्सा लिया था उनकी संख्या करीब ४०० के थी और मुझे यह बताते हुए अफसोस है कि इन में से एक छतरीधारी सैनिक की

छतरी नहीं खल सकी। अभी तक हिन्दुस्तान में करीब ४०,००० लोग छतरी से कूद चुके हैं और यह पहला ही मौका था कि जब छतरी नहीं खुली। इसकी खबर सैनिक परिवार को फौरन दी गई और ऐसे समय पर जो रुपये की सहायता दी जाती है उसके आर्डर्स हो चुके हैं।

श्री बसंल : क्या मैं जान सकता हूं कि इस छतरी के न खुलने का क्या सबब था? इसकी कोई जांच पड़ताल की गई है? और अगर की गई है तो उसका क्या नतीजा निकला?

श्री त्यागी : एक कोर्ट आफ इन्क्वायरी मुकर्रर की गई है जो इस बात की तहकीकात कर रही है। छतरी की फोटो उसी वक्त ले ली गई थी। उसकी पूरी तहकीकात कर के गवर्नमेंट को रिपोर्ट की जायगी।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या इस बात का पता लगाने की कोई कोशिश की गई है कि छतरीधारी की मृत्यु ऐसी किसी दुर्घटना के कारण हुई, जो रोकी जा सकती थी?

श्री त्यागी: हर एक चीज़ रोकी जा सकती थी। किन्तु किसी को पहले यह पता नहीं था कि छतरी खुलेगी नहीं। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, भारत में ४० या ५० हज़ार कूदों में से दुर्घटना का यही एक मौका है। इस दुर्घटना की जांच की जा रही है जिस से कि हम सबक सीख सकें और इसका पता लगा सकें कि गलती किस की थी।

आन्ध्र विश्वविद्यालय को सहायक अनुदान

*१८२२. **श्री रघुरामय्या** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने १९५३-५४ में आन्ध्र विश्वविद्यालय के लिए कितना सहायक अनुदान स्वीकार किया है?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : ३,६३,३१५ रुपए।

श्री रघुरामय्या : क्या यह अनुदान सामान्य कामों के लिये है अथवा प्रोद्योग आदि जैसे विशिष्ट विषयों के लिए है?

डा० एम० एम० दास : अधिकतर अनुदान अखिल भारतीय शिल्पिक प्रशिक्षण परिषद् द्वारा प्रचालित शिल्पिक प्रशिक्षण विकास की दो योजनाओं के अधीन दिये गये हैं।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : क्या आन्ध्र राज्य ने दूसरा विश्वविद्यालय खोलने के बारे में कोई प्रार्थना की है?

डा० एम० एम० दास : अभी तक मेरे पास कोई जानकारी नहीं है।

शिबली अकादमी

*१८२३. **डा० एस० एन० सिंह** : (क) क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शिबली अकादमी को ६०,००० रुपये का वास्तविक भुगतान किस या किन तारीखों को किया गया?

(ख) क्या इस अनुदान के अधीन किये गये व्यय का लेखापरीक्षण किया गया था?

(ग) यदि हां, तो किस के द्वारा?

(घ) क्या लेखापरीक्षकों ने सरकार को कोई प्रतिवेदन दिया है?

(ङ) शिबली अकादमी को दिये गये ६०,००० रुपए के अनुदान में से कितनी तथा कौन कौन सी पुस्तकें प्रकाशित की गईं?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) शिबली अकादमी को ६०,००० रुपए के अनुदान का वास्तविक

भुगतान २७ फरवरी, १९५४ को किया गया ।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता क्योंकि सारी राशि अभी खर्च नहीं हुई है ।

(ङ) अकादमी से जानकारी प्राप्त होने पर सदन-पटल पर रख दी जाएगी ।

डा० एस० एन० सिंह : क्या मैं पहलुआ से पूछ सकता हूं कि आया बिचबिन्दी खोली में इस अकादमी का कभी जिक्र आया है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । प्रश्न का अर्थ क्या है ?

डा० एस० एन० सिंह : पहलुआ का अर्थ है प्राइम मिनिस्टर और बिचबिन्दी खोली का मतलब है सैंट्रल कैबिनेट । एक संस्था को ६० हजार रुपया ऐसे शब्दों को गढ़ने और हिन्दी को शीर्षासन कराने के लिये दिया गया है । यही शब्द १५ साल बाद काम में आवेंगे । मैंने सोचा कि इनको इस्तैमाल कर दं ताकि यह अलमारियों में ही न पड़े रह जावें ।

अध्यक्ष महोदय : मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं ।

डा० एस० एन० सिंह : मुझे और एक प्रश्न पूछना है ।

अध्यक्ष महोदय : वे प्रश्न पूछ सकते हैं । किन्तु प्रयुक्त शब्दावली पर टीका-टिप्पणी करने का यह स्थान नहीं है । माननीय सदस्य को ऐसी बातें कहनी चाहिये जो हम समझ सकें ।

डा० एस० एन० सिंह : क्या इस अकादमी की फिरकापरस्त होने की शोहरत है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू) : यह सवाल, आप गौर करेंगे, सवाल की शक्ल में एक इल्जाम है । वह बहुत नामुनासिब बात है । लेकिन जब यह आया है तो मैं कहूं कि हमारे इल्म में यह हिन्दुस्तान में और किसी कदर एशियायी दुनिया में एक मशहूर अकादमी है और इसने हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई में बड़ा हिस्सा लिया है ।

उत्तर पूर्वी भारत में भूकम्प

***१८२४. श्री एल० जोगेश्वर सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि २२ मार्च १९५४ को सवेरे ५ बज कर कुछ मिनट पर विभिन्न तीव्रता तथा अवधि के दो भूकम्प हुए जिनका मध्य बिन्दु दक्षिण मणीपुर तथा ब्रम्हदेश के आस पास था :

(ख) इन भूकम्पों की तीव्रता एवं अवधि तथा उन क्षेत्रों का विस्तार जहां इनका प्रभाव प्रकट हुआ ;

(ग) क्या किसी प्राण या धन की हानि की सूचना मिली है ; तथा

(घ) क्या सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों को सहायता दे दी है अथवा ऐसा कोई इरादा है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) हां ।

(ख) अलग अलग स्थानों में भूकम्प की तीव्रता भिन्न रही । उसके मूल स्थान पर, अर्थात् आसाम-ब्रह्मदेश के सीमावर्ती दक्षिण मणीपुर क्षेत्र में, यह तीव्रता सब से अधिक थी । इसकी अवधि भी अलग अलग स्थानों में ३० सेकंड से ३ मिनट तक रही । आसाम, मणीपुर, त्रिपुरा, पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा पूर्वी पाकिस्तान को मिला कर कुछ २५० हजार वर्ग मीलों के क्षेत्र में इन भूकम्पों का प्रभाव प्रकट हुआ ।

(ग) प्राण हानि या किसी विशेष धनहानि की सूचना नहीं मिली है ।

(घ) भारत सरकार को सहायता के लिये कोई प्रार्थना नहीं मिली ह ।

श्री एल० जोगेश्वर सिंह : बताया गया है कि भूकम्प का मध्यबिंदु मणीपुर तथा दक्षिण ब्रम्हदेश के आस पास था। क्या सरकार ने इस बारे में कोई और खोज की है ?

श्री दातार : सरकार को यह जानकारी संबंधित राज्य सरकारों से प्राप्त हुई है। सरकार के पास इस से अधिक कोई जानकारी नहीं है।

श्री अमजद अली : भाग (ख) के बारे में क्या मैं जान सकता हूं कि क्या हिमालय तक का क्षेत्र इस भूकम्प से प्रभावित हुआ था ?

श्री दातार : हो सकता है। मैं इस अवस्था में कोई अधिकृत उत्तर नहीं दे सकता।

श्री अमजद अली : क्या यह वही क्षेत्र है जहां १९५० का बड़ा भूकम्प हुआ था ?

श्री दातार : हम जांच पड़ताल करेंगे।

श्री एल० जोगेश्वर सिंह : क्या इन क्षेत्रों में ज्वालामुखी स्फोट होने की कोई आशंका है ?

प्रधान मंत्री (जवाहरलाल नेहरु) : यह क्षेत्र भूडोल तथा भूगर्भीय हलचलों के लिए प्रसिद्ध है। यदि माननीय सदस्य इस के बारे में ब्यौरेबार जानकारी चाहते हैं, तो शायद सरकार लिखित वर्णन में दे सकती है। यह बहुत जटिल तथा वैज्ञानिक ढंग का लेख होगा।

अनुसूचित आदिम जातियों का उद्धार

*१८२६. **श्री वाई० एम० मुक्णे :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५३-५४ में अनुसूचित आदिम जातियों के उद्धार और अनुसूचित क्षेत्रों के विकास के लिए बम्बई राज्य को कुल कितनी राशि दी गई थी तथा उसे किन किन मुख्य मदों पर व्यय किया जाना था ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : बम्बई सरकार को १२·७५ लाख रुपये की राशि दी गई थी जिसे मुख्यतः शिक्षा तथा आर्थिक विकास योजनाओं और डाक्टरी सुविधाओं की व्यवस्था करने पर व्यय किया जाना था।

श्री वाई० एम० मुक्णे : क्या यह सच है कि माननीय मंत्री ने जिस १२ लाख रुपये की राशि का उल्लेख किया है वह केवल सामाजिक कल्याण और शिक्षा सम्बन्धी योजनाओं पर व्यय की गई है तथा बम्बई राज्य के आदिम जाति क्षेत्रों के विकास के लिये कोई बड़ी योजना बनाने का विचार नहीं है ?

श्री दातार : राशि किस प्रकार से व्यय की गई है इस सम्बन्ध में हमारे पास अभी विस्तृत सूचना नहीं आई है।

श्री मुनिस्वामी : १९५३-५४ में क्या किसी राज्य को कोई विशेष अनुदान दिया गया था और यदि हां, तो ऐसा अनुदान किन परिस्थितियों में दिया जाता है ?

श्री दातार : यह अनुदान अनुसूचित क्षेत्रों की अनुसूचित आदिम जातियों के लिये दिया जाता है और इस मामले में बम्बई सरकार को पहले निश्चित की गई राशि से ७५,००० रुपये अधिक दिये गये थे।

शिक्षा संस्थाओं में शारीरिक प्रशिक्षण

*१८२७. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या शिक्षा संस्थाओं में समस्त विद्यार्थियों को बड़े पैमाने पर शारीरिक प्रशिक्षण ड्रिल सिखाने और संगठित शारीरिक कार्य कराने का प्रयोग सफल और लोक प्रिय रहा है ; तथा

(ख) ऐसी कितनी संस्थाएं हैं जहां इस प्रकार का प्रयोग किया जा रहा है ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) तथा (ख): शिक्षा संस्थाओं में समस्त विद्यार्थियों का बड़े पैमाने पर शारीरिक प्रशिक्षण ड्रिल सिखाने और संगठित शारीरिक कार्य कराने के सम्बन्ध में भारत सरकार ने कोई प्रयोग नहीं किया है। फिर भी, उस ने राज्य सरकारों को इस बात की सलाह दी है और प्रोत्साहन दिया है कि वे इस प्रकार का कार्य अपने अपने स्कूलों में आरम्भ करें ।

सरदार हुक्म सिंह : केन्द्र द्वारा दी गई सलाह के अनुसार क्या किसी राज्य सरकार ने ऐसा कार्य आरम्भ किया है ?

डा० एम० एम० दास : जी हां । कुछ राज्यों सरकारों ने केन्द्रीय सरकार को सूचित किया है कि केन्द्रीय सरकार के प्रस्तावों को कुछ भागों में कार्यान्वित किया गया है या किया जा रहा है ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या केन्द्र का विचार इस सम्बन्ध में राज्यों को आर्थिक सहायता या अनुदान के रूप में प्रोत्साहन देने का है ?

डा० एम० एम० दास : केन्द्रीय सरकार के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्री एस० एन० दास : क्या किसी राज्य सरकार ने केन्द्रीय सहायता की याचना की है और यदि हां, तो वे कौन से राज्य हैं ?

डा० एम० एम० दास : जहां तक इस विशेष योजना का सम्बन्ध है, किसी भी राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता की याचना नहीं की है।

सरदार ए० एस० सहगल : १९५३ में शारीरिक प्रशिक्षिण के सम्बन्ध में क्या कार्य-वाही की गई है ?

डा० एम० एम० दास १९५३ में राज्य सरकारों को अनेक योजनाओं के बारे में सुझाव दिया गया था तथा उन योजनाओं की कार्यान्वित पर केन्द्रीय सरकार द्वारा ४,७५,६२० रुपये व्यय किये जा चुके हैं

श्री एम० डी० रामास्वामी : क्या इस में स्वयं शिक्षकों का अलग प्रशिक्षण भी सन्निहित है, और यदि हां, तो यह प्रशिक्षण कहां दिया जाता है ?

डा० एम० एम० दास : जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, उसके पास ऐसी कोई अलग संस्था नहीं है जहां शारीरिक शिक्षा के बारे में शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा सके ।

सरदार ए० एस० सहगल क्या मध्य-प्रदेश राज्य में अमरावती स्थित हनुमान व्यायामशाला को कोई सहायता दी गई थी ?

डा० एम० एम० दास : बिना पूछताछ किये इस प्रश्न का उत्तर देना मेरे लिये कठिन है ।

सैनिक अधिकारियों के लिये प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रम

*१८३१. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सेना के ज्येष्ठ अधिकारियों को किसी प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रम में भाग लेना पड़ता है जिससे वे अपने कर्त्तव्य के बारे में चुस्त रहें ; तथा

(ख) यदि हां, तो १९५३-५४ में क्या कोई ऐसा पाठ्यक्रम रखा गया था ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां । १९५३-५४ में ऐसे पांच पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की गई थी ।

सरदार हुक्म सिंह : कितने अधिकारियों ने यह प्रशिक्षण प्राप्त किया था ?

श्री त्यागी : यह पाठ्यक्रम के अनुसार भिन्न भिन्न था । ऐसे पाठ्यक्रमों की व्यवस्था

साधारणत: लैफ्टनैन्ट कर्नल या उससे ऊंचे पद के ज्येष्ठ अधिकारियों के लिये की जाती है । पांच पाठ्यक्रमों की व्यवस्था इस प्रकार की गई थी :

पहले पाठ्यक्रम की व्यवस्था सैनिक वायु परिवहन सहायता स्कूल, आगरा में हुई थी जिसमें १७ लैफ्टनैन्ट कर्नलों और एक ब्रिगेडियर ने भाग लिया था । दूसरे, छतरी-धारी सैनिक प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रम की व्यवस्था छतरीधारी सैनिक प्रशिक्षण स्कूल भारतीय वायु सेना, आगरा में हुई थी । इस में दो कर्नलों ने भाग लिया था । तोपचालन स्कूल, देवलाली में रेजीमेन्टल कमान्डर्स कोर्स हुआ था जिसमें ८ लैफ्टनैन्ट कर्नलों ने भाग लिया था । चौथे कोर्स, अर्थात, सीनियर सिगनल आफीसर्स कोर्स की व्यवस्था सिगनल स्कूल, मऊ में हुई थी, जिसमें चार अधिकारियों ने भाग लिया था । और पांचवें कोर्स, अर्थात टैक्निकल स्टडी पीरियड्स की व्यवस्था पदाति स्कूल, मऊ में हुई थी जिस में ३७ ब्रिगेडियरों और दो असैनिकों ने भाग लिया था ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या प्रत्येक अधिकारी को बारी बारी से इस प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रम में भाग लेना पड़ता है और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उक्त वर्ष के दौरान में बहुत थोड़े अधिकारियों ने भाग लिया था क्या दस वर्ष में भी प्रत्येक अधिकारी द्वारा इस प्रकार के प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रम में भाग लेना सम्भव है ?

श्री त्यागी : वास्तव में, प्रशिक्षण न केवल कैम्पों और कक्षा के कमरों में दिया जाता है बल्कि साधारणत: प्रत्येक अधिकारी को अपने काम करने के स्थान पर ही प्रशिक्षण प्राप्त होता रहता है । उन्हें केवल सैद्धान्तिक पाठ्यक्रमों के लिये बुलाया जाता है ।

श्रीमती कमलेंदुमति शाह : यह कोर्स कितनी अवधि के होते हैं ?

श्री त्यागी : यह एक सप्ताह से १० या १५ दिन तक का होता है ।

श्री मुनिस्वामी : जो अध्ययन पखवारे मनाये गये थे क्या वे इस प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रम के अन्तर्गत आ जाते हैं ?

श्री त्यागी : मैं प्रश्न नहीं समझ सका ।

अध्यक्ष महोदय : अध्ययन पखवारे का अर्थ तो मैं भी नहीं समझ सका ।

सरदार हुक्म सिंह : १९५३ में मऊ में जो अध्ययन पखवारा मनाया गया था वह एक प्रकार से प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रम ही था और अधिकारियों को वहां पर प्रशिक्षण दिया गया था ।

अध्यक्ष महोदय : क्या अध्ययन पखवारे का यही अर्थ है ?

श्री त्यागी : जी हां ; अध्ययन पखवारा भी एक पाठ्यक्रम है ।

त्रिपुरा का पुलिस विभाग

***१८१०. श्री बीरेन दत्त (श्री दशरथ देव की ओर से)** : क्या **राज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) त्रिपुरा के पुलिस विभाग के भ्रष्टाचार के बारे में १९५३ में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) कितने मामलों में जांच की गई है ; तथा

(ग) कितने मामलों में जांच के बाद कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) १९५३ में ९ शिकायतें प्राप्त हुई थीं । भारत सरकार को तीन शिकायतें प्राप्त हुई थीं ।

(ख) तथा (ग). बताया गया है कि ६ मामलों में जांच की गई थी और उनके

सम्बन्ध में कार्यवाही की जाने वाली है तथा शेष तीन के सम्बन्ध में जांच की जायेगी। जिन तीन मामलों की शिकायत भारत सरकार से की गई है, उन में से दो के सम्बन्ध में जांच करने पर कोई सत्यता नहीं पाई गई तथा तीसरे के बारे में जांच की जा रही है।

श्री बीरेन दत्त : कितने मामलों में इस बात की शिकायत की गई है कि पुलिस अधिकारियों ने डाकुओं को बन्दूकें दी थीं ?

श्री दातार : प्रश्न का सम्बन्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी मामलों से है और किसी से नहीं।

सैनिक इंजीनियरिंग सेवायें

*१८०७. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि सैनिक इंजीनियरिंग सेवाओं के कुछ असैनिक पदों पर, निर्धारित नियमों के विपरीत नियुक्तियां की गई हैं ; तथा

(ख) यदि हां, तो १९४७ से अब तक ऐसे मामलों की श्रेणी-वार तथा वर्ष-वार संख्या कितनी है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) जी हां। इस प्रकार की अनियमितताओं को फिर से न होने देने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

(ख) मैं सदन पटल पर एक विवरण रखता हूं। **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या २२]**

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : इन व्यक्तियों को नियमों के विपरीत नियुक्त करने के क्या कारण हैं ?

श्री सतीश चन्द्र : इन में से बहुत से व्यक्ति सैनिक इंजीनियरिंग सेवा में थे, जिनकी युद्ध के पश्चात या तो छंटनी कर दी गई थी या जो स्वयं त्याग-पत्र दे कर चले गये थे। अधीनस्थ कार्यालयों के कुछ अधिकारियों ने नौकरी के दफ्तरों आदि से बिना लिखा-पढ़ी किये इन लोगों को भरती कर लिया था।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या इन सेवाओं के असैनिक पदों पर सरकार के कुछ बरखास्त कर्मचारियों को रखा गया है ?

श्री सतीश चन्द्र : मेरे पास विस्तृत सूचना नहीं है। परन्तु मंत्रालय इन सब मामलों की जांच कर रहा है। जहां जहां लोग उचित प्रकार की योग्यता नहीं रखते होंगे या जो पहले बरखास्त हुए होंगे, उनकी नौकरी खत्म कर दी जायेगी।

श्री टी० एन० सिंह : सरकार के ऐसे पुराने कर्मचारियों को भरती करते समय क्या संबंधित अधिकारी उनके पिछले रिकार्डों को मंगाते हैं ? मैं जानना चाहता हूं कि उनको किस प्रकार भरती किया जाता है ?

श्री सतीश चन्द्र : स्थानीय अधिकारियों द्वारा चरित्र के सम्बन्ध में कुछ प्रमाणीकरण किया जाता है। परन्तु जहां तक इस विशेष मामले का सम्बन्ध है, ये लोग पहले सरकारी नौकरी में ही थे। छंटनी किये जाने के कुछ समय बाद इनको नियुक्त किया गया है।

अगरतला में आदिम-जातीय विद्यार्थी

*१८२८. **श्री बीरेन दत्त** (**श्री दशरथ देव** की ओर से) : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अगरतला तथा अन्य डिवीज़नल क़स्बों के सरकारी हाई स्कूलों को ऐसे कोई अनुदेश हैं कि वे पहाड़ी क्षेत्रों से आने वाले आदिम जातीय विद्यार्थियों के लिये कुछ स्थान रक्षित रखें ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : जी नहीं, परन्तु प्रवेश के मामले में उन्हें अधिमान दिया जाता है और उनके लिये प्रवेश सम्बन्धी नियमों में भी ील कर दी जाती है।

त्रिपुरा में क्लबों को सहायता

*१८३२. **श्री बीरेन दत्त** (**श्री दशर देव** की ओर से) : (क) क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि त्रिपुरा सरकार से कितने क्लबों को सहायता मिलती है ?

(ख) ये क्लब कौन से हैं ?

(ग) यह सहायता किस नियम के अनुसार निश्चित की जाती है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (**डा० एम० एम० दास**) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन-पटल पर रख दी जायेगी ।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

लन्दन का सोना बाज़ार

अ० सू० प्र० संख्या १०. श्री कासलीवाल : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को लन्दन के सोने के बाज़ार के पुनः खुल जाने के समाचार मिले हैं और क्या यह समाचार सही है ;

(ख) यदि हां तो इसका इस देश में क्या प्रभाव पड़ेगा ; तथा

(ग) क्या सरकार डालर ख़रीदने अथवा अन्य प्रयोज़नों के लिये रिज़र्व बैंक को सोना बेचने के निदेश देने का विचार करती है ?

वित्त मंत्री (**श्री सी० डी० देशमुख**) : (क) जी हां।

(ख) इस का भारत पर कोई प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है क्योंकि विदेशों की अपेक्षा भारत में सोने का मूल्य अधिक है और स्टर्लिंग क्षेत्र के निवासियों को लन्दन में निर्बाध रूप से सोना नहीं ख़रीदने दिया जायेगा।

(ग) सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है ।

श्री कासलीवाल : क्या इस बाज़ार का पुनः खुल जाना स्टर्लिंग को डालर में निर्बाध रूप से बदलने की दिशा में एक आवश्यक कदम है ?

श्री सी० डी० देशमुख : इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि निधि के सितम्बर १९५१ में जारी किये गये उस नीति-सम्बन्धी वक्तव्य के समय से, जिसके द्वारा लन्दन में सोने के सौदों की अनुमति दी गई है, यूरोप के बाज़ार में जो सोने के सौदे हो रहे हैं उनका काफ़ी भाग लन्दन के बाज़ार की ओर मोड़ दिया जाये । इस प्रस्ताव से १५ वर्ष के बाद लन्दन का सोना बाज़ार पुनः कार्य करने लगेगा और उसे भी सोने के सौदों पर कमीशन मिल सकेगा । इसके अलावा, सोने के गैर-सरकारी सौदों में आंशिक रूप से स्टर्लिंग का भी जितना प्रयोग हो सकेगा उतना ही स्टर्लिंग को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में और अधिक स्थिर बनने में सहायता मिलेगी और इस प्रकार परिवर्तन-शीलता प्राप्त करने की दिशा में भी प्रगति होगी ।

श्री एल० एन० मिश्र : लन्दन में इस सम्बन्ध में जो घोषणा हुई है, उससे प्रकट होता है कि स्टर्लिंग क्षेत्र के देश सोना केवल बेच सकते हैं, ख़रीद नहीं सकते, जब कि ग़ैर-स्टर्लिंग क्षेत्र के देशों को दोनों सुविधायें प्राप्त हैं । मैं जानना चाहता हूं कि इस विभेद के कारण क्या हैं और इसका स्टर्लिंग क्षेत्र के सोने के स्रोतों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

श्री सी० डी० देशमुख : इससे स्टर्लिंग क्षेत्र के स्रोत और बढ़ जायेंगे । जहां तक हिसाब को भुगताने का प्रश्न है, स्टर्लिंग को डालर में बदलने के अधिकार पर पहले ही से प्रतिबन्ध है और वह इस बात पर निर्भर है कि केन्द्रीय कोष में कितना सोना और डालर उपलब्ध है । इसलिये यदि यह प्रति-बन्ध है तो यह सब के हित में ही है ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या इग्लैंड ने यह फ़ैसला करने से पहले भारत से परामर्श लिया था ?

श्री सी० डी० देशमुख : हमें एक बार, दिसम्बर १९५३ में सूचित किया गया था। भारत से परामर्श लेने का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री जोकीम आल्वा : रिज़र्व बैंक आफ़ इंडिया सोना कैसे ख़रीदता है ? क्या वह लन्दन में अपनी शाखा के द्वारा ख़रीदता है या बैंक आफ़ इंग्लैंड अब भी हमारे दलाल के रूप में कार्य करता है ? रूस द्वारा पश्चिमी बाज़ारों में जो इतना सारा सोना लाया गया है क्या रिज़र्व बैंक ने इस पर ध्यान दिया है ?

श्री सी० डी० देशमुख : रिज़र्व बैंक कोई सोना नहीं ख़रीद रहा।

श्री टी० एन० सिंह : भारत सरकार सोने की सीधी ख़रीद पहले किस प्रकार करती थी ? क्या उस प्रणाली पर कोई असर होगा या वह चलती रहेगी ?

श्री सी० डी० देशमुख : मुझे नहीं मालूम कि सोने की ख़रीद की कोई प्रणाली पहले थी या नहीं। रिज़र्व बैंक महायुद्ध के समय सोना बेचता था और यह सोना वह था जो बैंक आफ़ इंग्लैंड भारत में युद्ध व्यय के सिलसिले में रुपये ख़रीदने के लिये भेजता था।

श्री रघुनाथ सिंह : सोना ख़रीदने का सिस्टम क्या है, इंडिया सोना कैसे ख़रीदता है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न पूछा जा चुका है।

२३-२-५४ को हिन्दी के प्रचार के बारे में पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २६७ के एक अनुपूरक प्रश्न के संबंध में दिये गये उत्तर में शुद्धि

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : श्री झूलन सिन्हा के एक अनुपूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए जिसमें उन्होंने यह पूछा था कि क्या प्रतिष्ठित व्यक्तियों की वित्तीय सहायता के लिये अनुदान देते समय प्रत्येक प्रकरण की आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है, यह बताया गया था कि "मंत्रणा समिति अर्थात् हिन्दी शिक्षा समिति इस विषय पर विस्तृत रूप से विचार करती है तथा अपनी सिफारिशें देती है।" यह उत्तर सही नहीं था क्योंकि वित्तीय सहायता के लिये जो प्रार्थनायें आती है उन पर प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री तथा शिक्षा मंत्री से बनी एक समिति द्वारा विचार किया जाता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

ग़ैर-सरकारी पुस्तकालयों को सहायता

*१८११. **श्री विश्वनाथ रेड्डी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या योजना आयोग की ऐसी कोई योजना है जिसके अन्तर्गत अच्छे नागरिक बनाने के उद्देश्य से पुस्तकालय चलाने अथवा सार्वजनिक गोष्ठियां आयोजित करने में लगी ग़ैर-सरकारी संस्थाओं को सहायता दी जाती हो ;

(ख) यदि हां, तो १९५२-५३ और १९५३-५४ में कितना रुपया ख़र्च किया गया ; तथा

(ग) १९५४-५५ में कितनी राशि ख़र्च करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) शिक्षा मंत्रालय की पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पुस्तकालयों के विकास के लिये सहायक अनुदान राज्य सरकारों को दिये जा रहे हैं, ग़ैर-सरकारी संस्थाओं को नहीं। हां, राज्य सरकारें यह अनुदान सरकारी तथा ग़ैर-सरकारी संस्थाओं को दे सकती हैं। सार्वजनिक गोष्ठियां आयोजित करने के लिये किसी सरकारी अथवा ग़ैर-सरकारी संस्था को कोई अनुदान नहीं दिये जाते।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

एम० ई० एस० अधिष्ठापनाओं में दुर्घटनाएं

*१८१४. **श्री टी० बी० विट्ठलराव** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५२-५३ में, २८ फरवरी १९५४ तक चाकेरी डिवीज़न, कानपुर में एम० ई० एस० अधिष्ठापनाओं में कितनी दुर्घटनाएं हुईं ; तथा

(ख) उन की जांच के लिये यदि कोई न्यायालय नियुक्त किये गये थे तो उन द्वारा की गई जांच के परिणाम क्या थे ?

रक्षा उपमंत्री (डा० सतीश चन्द्र) : (क) चार ।

(ख) केवल तीन दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में जांच न्यायालय नियुक्त किये गये । चौथी दुर्घटना के सम्बन्ध में, जो कि साधारण सी थी, जांच न्यायालय नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं समझी गई ।

जांच न्यायालयों का परिणाम दो मामलों में कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के अधीन, मुख्य इंजीनियर पूर्वी कमान ने क्षतिपूर्ति की मंजूरी दी थी, तीसरी दुर्घटना के मामले में यह निर्णय किया गया था कि किसी क्षतिपूर्ति की आवश्यकता नहीं क्योंकि इस में व्यक्ति का अपना दोष था ।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग (इलाहाबाद डिवीज़न)

*१८२५. **श्री रूप नारायण** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) आजकल केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क विभाग (इलाहाबाद डिवीज़न) में कितने कर्मचारी हैं ;

(ख) उन में से कितने अधिकारी हैं ; और

(ग) इन कर्मचारियों में अनुसूचित जातियों के कितने लोक हैं ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) इस समय केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क के इलाहाबाद डिवीज़न के पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। परन्तु इलाहाबाद के सारे समाहर्त्ता कार्यालय के कर्मचारियों की संख्या १९९७ है ।

(ख) ३९ (गज़ेटिड पदाधिकारी)

(ग) ९४ ।

अभिरक्षक कटक

*१९३०. **श्री विश्वनाथ रेड्डी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कोरिया में अभिरक्षक कटक को कितना अतिरिक्त वेतन अथवा भत्ता दिया गया ; और

(ख) क्या यह सच है कि जो असैनिक दल अभिरक्षक कटक के साथ गया था उसे २५ प्रतिशत अतिरिक्त वेतन दिया गया ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) तथा (ख). एक विवरण सदन-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध सं० २३**]

नाहरकाटिया में तेल की खोज

३८१. **श्री अमजद अली** : क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) आसाम के नाहरकाटिया के क्षेत्र में तेल पाये जाने के सम्बन्ध में अन्तिम जानकारी क्या है ;

(ख) खोज के लिये कितनी गहरी खुदाई की गई है ;

(ग) नहरकाटिया क्षेत्र में दूसरे और तीसरे कूएं से कितना न्यूनतम तेल निकलने की संभावना है ; और

(घ) दिगबोई तेल क्षेत्रों से नाहरकाटिया तेल क्षेत्र कितना दूर है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास): (क) से (घ). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सदन-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध सं० २४]**

सैनिक लेखा विभाग के भूतपूर्व क्लर्क

३८२. **श्री रामानन्द दास** : (क) क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि जो सैनिक लेखा विभाग के भतपूर्व क्लर्क युद्ध पश्चात केन्द्रीय सरकार के असैनिक कार्यालयों में क्लर्कों की जगह पर नियुक्त किये गये थे, उनका वही वेतन जारी रहने दिया गया था ?

(ख) क्या यह सच है कि असैनिक कार्यालयों में अन्य युद्ध काल की सेवा वाले उम्मीदवारों को यह रियायत नहीं दी गई और यदि ऐसा है तो क्यों ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) पुराने सैनिक लेखा विभाग के केवल उन ही भूतपूर्व क्लर्कों का वही वेतन रहने दिया गया जो वे उस विभाग में आखिर में लेते थे, जिन्हें केन्द्रीय सरकार के असैनिक कार्यालयों में ऐसी क्लर्कों की जगह पर नियुक्त किया गया जिनका वेतन-क्रम उन नौकरियों के समान था जिन पर वे उस विभाग में पहले नियुक्त थे ।

(ख) वैसा ही व्यवहार अन्य युद्ध काल की सेवा वाले उम्मीदवारों के साथ किया गया है, जो ऐसी असैनिक जगहों पर नियुक्त किये गये हैं जिनका वेतन-क्रम उन नौकरियों के समान है जिन पर वे युद्धकालीन सेवा में थे, परन्तु उन लोगों के साथ यह व्यवहार नहीं किया गया जिन्हें ऐसे वेतन-क्रम पर नियुक्त किया गया है जो उन नौकरियों के वेतन-क्रम के समान नहीं जिन पर वे युद्ध सेवा काल में नियुक्त थे ।

अग्रतला में आग का लगना

३८३. **श्री दशरथ देव** : (क) क्या **राज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५३ से १० मार्च १९५४ तक अगरतला बाज़ार में कितनी बार आग लगी ?

(ख) इन मामलों में आग लगने के क्या कारण थे ?

(ग) इस प्रकार की घटना की रोक थाम के लिए क्या कार्यवाही की गई ?

(घ) क्या सरकार पीड़ित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति देने का विचार रखती है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दाता) : (क) इस कालावधि में आग लगने की पांच घटनाएं हुईं ।

(ख) सब मामलों में आग अकस्मात और दुकानदारों की लापरवाही के कारण लगी ।

(ग) एक आग बुझाने वाला दल स्थापित करने के लिये प्रबन्ध किये किये जा रहे हैं । दुकानदारों को चेतावनी दी गई है कि वे सतर्क रहें और अपनी अंगीठियों की आग बुझा दिया करें तथा अपनी दुकानों तथा रसोईयों की बांस की दीवारों के पास मिट्टी के तेल के लैम्प न रखा करें , क्योंकि यह बहुत शीघ्र आग पकड़ती हैं ।

(घ) कछ व्यक्तियों को मफ्त सहायता दी गई थी और कुछ विस्थापित व्यक्तियों को जिन की दुकानें जल गई थीं व्यापारिक ऋण दिये गये थे । जांच के पश्चात् मामलों के गुणावगुणों पर उपयुक्त विचार किया जाता है ।

अध्यापकों के वेतन

३८४. [**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :**
डा० रामा राव :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा के केन्द्रीय मंत्रणाकार बोर्ड के सभापति द्वारा स्थापित की गई समिति ने अध्यापकों के वेतनों सम्बन्धी जो सिफारिशें की हैं उन को कार्यान्वित करने के लिये क्या प्रस्थापनाएं हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : शिक्षा के केन्द्रीय मंत्रणाकार बोर्ड के सभापति द्वारा स्थापित समिति ने अध्यापकों के लिए विशेष वेतनों सम्बन्धी कोई सिफारिश नहीं की फिर भी उन्होंने यह सिफारिश की थी कि केन्द्रीय समिति और राज्य समितियों को इस प्रश्न की जांच करनी चाहिये और उस ने समितियों के पथ प्रर्दशन के लिये निम्नलिखित सिद्धान्त उपबंधित किये थे :

(१) वेतन क्रम के सुधार और न्यूनतम वेतन निर्धारण में प्रमख विचार यह होना चाहिये कि अध्यापकों को जीवन के अन्य पहलुओं में काम करने वाले और उन के समान उत्तरदायित्वों और अर्हताओं वाले कर्मचारियों के समान स्तर पर लाया जाये ।

(२) जिन अध्यापकों की एक समान अर्हताएं हैं और जो एक ही प्रकार का कार्य करते हैं वे चाहे किसी प्रकार की संस्था में कार्य करते हों वेतन क्रम के सम्बन्ध में उन के प्रति एक समान व्यवहार होना चाहिये ।

भारत सरकार इन सिफारिशों पर विचार कर रही है ।

विदेशी विनिमय की व्यवस्था

३८५. **श्री राधा रमण** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५३ में भारत के रक्षित बैंक ने निम्न प्रयोजनों के लिये कितन पौंड तथा अन्य विदेशी मुद्रा की व्यवस्था की थी :

(१) प्रतिनिधि मंडल ;

(२) विदेशों में अध्ययन ;

(३) सैर के लिये पर्यटन ;

(४) वेतन तथा निवृत्ति-वेतन के लिये प्रेषण; तथा

(५) भारत में काम करने वाली विदेशी व्यापारी संस्थाओं द्वारा अर्जित लाभ का प्रेषण ;

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : पहली, दूसरी, तीसरी तथा पांचवीं मद के सम्बन्ध में भारत के रक्षित बैंक द्वारा मंजूर की गई राशियों के सम्बन्ध में एक विवरण सदन-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या २५**]

मद (४) के बारे में सूचना प्राप्य नहीं क्योंकि वेतनों, निवत्ति-वेतनों आदि के प्रेषण के बारे में पृथक आंकड़े नहीं रखे जाते।

चल चित्रों का पाकिस्तान को निर्यात

३८६. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री २३ फरवरी, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २९५ के उत्तर का निर्देश करके यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पाकिस्तान को जो ४२७ चलचित्र निर्यात किये बताये गये हैं उन में से कितने विनिमय नियंत्रण प्रशासन की अनुमति से निर्यात किये गये थे ;

(ख) क्या उपरोक्त उत्तर के भाग (ग) तथा (घ) में निर्दिष्ट जांच अब तक पूरी हो गई है ; तथा

(ग) यदि हां, तो नियमों का उल्लंघन करने के लिये कितने अभियोग चलाये गये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) ४२५ चलचित्र विनिमय नियंत्रण

विनियमों के अनुकूल निर्यात किये गये हैं। शेष दो के बारे में यह जानकारी प्राप्त नहीं कि उन के विषय में विनिमय नियंत्रण संबन्धी औपचारिकतायें पूरी की गई हैं या नहीं, और मामले पर अभी जांच हो रही है।

(ख) नहीं।

(ग) उत्पन्न नहीं होता।

युद्ध सामग्री कारखाने

३८७. श्री वी० पी० नायर : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारत के युद्ध सामग्री कारखानों में से प्रत्येक में कितने स्विस विशेषज्ञ काम कर रहे हैं ;

(ख) उन के वेतन तथा सेवा-शर्तें क्या हैं ;

(ग) उन को क्या विशेष काम, यदि कोई हो, करने को कहा जाता है ;,

(घ) उन वस्तुओं का उत्पादन क्या है जिन का निर्माण उन पर छोड़ा गया है ; तथा

(ङ) रक्षा स्थापनाओं में विदेशियों की सेवा समाप्त करने के दृष्टिगोचर, भारतीय टेकनिशियनों को पर्याप्त अनुभव प्राप्त करने में सहायता देने के लिये सरकार ने क्या कोई कार्यवाही की है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) इस समय अम्बर नाथ स्थित मूलरूप से मशीनी औज़ार बनाने के कारखाने में १३ टेकनिशियन काम कर रहे हैं जो मुख्यतः स्विस राष्ट्रजन हैं। इन में से १० भारत सरकार के साथ स्विट्ज़रलैंड के मेसर्ज़ ओइरलिकोन्स के करार के अन्तर्गत ठेके पर काम कर रहे हैं और शेष ३ का इस समवाय से कोई सम्बन्ध नहीं, वह प्रत्येक ठेके पर काम कर रहे हैं।

खमारिया में भी १३ स्विस टेकनिशियन काम कर रहे हैं। इन को मेसर्ज़ ओइरलिकोन्स ने एक पृथक करार के अन्तर्गत यहां भेजा है। परन्तु यह सरकार के कर्मचारी नहीं हैं।

(ख) एक विवरण सदन-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या** २६]

(ग) तथा (घ): उन को किसी विशेष मद का निर्माण करने के लिये नहीं लिया गया है, परन्तु इस लिये कि वे अम्बरनाथ में मूल-रूप से मशीनी औज़ार बनाने के कारखाने को स्थापित करें और उस की पूर्ण उत्पादन क्षमता चालू करें तथा खमारिया में कतिपय रक्षा सम्बन्धी सामान का निर्माण करने की एक परियोजना को चालू करें।

(ङ) कुछ उपयुक्त भारतीय अधिकारी इन टेकनिशियनों के संलग्न रखे गये हैं जो कि उन के जाने पर उन का काम संभाल लेंगे। इन में से कुछ प्रशिक्षण के लिये स्विटज़रलैंड भी भेजे गये थे। उद्देश्य यह है कि ज्यों ही भारतीय अधिकारियों को पर्याप्त अनुभव प्राप्त हो, वह स्विस कर्मचारियों का स्थान ले लें।

त्रिपुरा के प्रारम्भिक स्कूल

३८८. श्री दशरथ देव : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३-५४ में त्रिपुरा के नये क्षेत्रों में सरकार ने कितने गैर-सरकारी प्रारम्भिक स्कूलों का प्रबन्ध अपने हाथ में लिया है और कितने नये प्रारम्भिक स्कूल खोले हैं ; तथा

(ख) ऐसे कितने स्कूल आदिमजाति क्षेत्रों में हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) तथा (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन-पटल पर रखी जायेगी।

कल्याण संस्थायें

३८९. **श्री सिंहासन सिंह:** क्या **शिक्षा** मंत्री गोरखपुर तथा बनारस डिवीज़न की उन कल्याण संस्थाओं की संख्या तथा नाम बताने की कृपा करेंगे जिनको केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा सहायता दी गई है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (१) स्वयंसेवक संस्थाओं को सहायक अनुदान डिवीज़नवार नहीं अपितु राज्यवार दिये जाते हैं।

(२) गोरखपुर की किसी संस्था को कोई अनुदान नहीं दिये गये हैं।

(३) बनारस की जिन तीन संस्थाओं ने वित्तीय सहायता प्राप्त की है वे ये हैं ;

(क) काशी अनाथालय संस्था, बनारस।

(ख) नव शिक्षा प्रतिष्ठान, बनारस।

(ग) रामकृष्ण मिशन सेवालय, बनारस।

मृत्यु दण्ड

३९०. **श्री टी० बी० विट्ठलराव :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भाग (ग) राज्यों में १९५३ में जिन लोगों को मृत्यु की सज़ा हुई थी उन में से कितनों को वास्तव में यह दण्ड दिया गया ; तथा

(ख) कितने मामलों में मृत्युदण्ड का विपर्यय किया गया ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) एक।

(ख) एक।

उत्पादन शुल्क निरीक्षक, इलाहाबाद

३९१. **श्री रूप नारायण :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) आजकल उत्पादन-शुल्क कलेक्टर, इलाहाबाद के अधीन कितने उत्पादन-शुल्क निरीक्षक काम कर रहे हैं ;

(ख) उन में अनसूचित जातियों के कितने लोग हैं ; तथा

(ग) क्या हाल ही में कुछ उत्पादन शुल्क निरीक्षक भर्ती किये गये थे ; यदि हां, तो उन में अनुसूचित जातियों के कितने लोग थे ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) ५६७.

(ख) सात।

(ग) हां, श्रीमान्। १९५३-५४ में चार निरीक्षक भर्ती किये गये और वह सारे अनुसूचित जातियों के थे।

मद्रास की समाज कल्याण संस्थायें

३९२. **श्री इलयामेरूमल :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि २८ फरवरी १९५४ तक केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा मद्रास राज्य की किन किन समाज कल्याण संस्थाओं को वित्तीय सहायता दी जा चुकी है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : एक विवरण सदन-पटल पर रखा जाता है। [**देखिए परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या २७**]

Par. S. 18. III. 45.5
285

अंक ३

संख्या ४५

बृहस्पतिवार

१५ अप्रैल, १९५४

संसदीय वाद विवाद

1st Lok Sabha

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

(अंक ३ में संख्या ३१ से संख्या ४५ तक हैं)

——:——

भाग २--प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही

विषय-सूची

अत्यावश्यक लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान आकर्षित करना [पृष्ठ भाग ३३५५—३३५९]

अनुदानों की मांगें—जारी

मांग संख्या २६--वित्त मंत्रालय [पृष्ठ भाग ३३६०—३४३८]

मांग संख्या २७—सीमा शुल्क [पृष्ठ भाग ३३६०—३४३८]

मांग संख्या २८--संघ उत्पादन शुल्क [पृष्ठ भाग ३३६०--३४३८]

मांग संख्या २९--निगम कर तथा संपत्ति शुल्क समेत आय पर कर [पृष्ठ भाग ३३६०--३४३८]

मांग संख्या ३०—अफीम [पृष्ठ भाग ३३६०—३४३८]

मांग संख्या ३१—स्टाम्प्स [पृष्ठ भाग ३३६०—३४३८]

संसद सचिवालय, नई दिल्ली

(मूल्य ६ आने)

92 PSD

[पन्ना उलटिये]

लोक सभा

बृहस्पतिवार, १५ अप्रैल, १९५४

सभा दो बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिए भाग १)

२.४९ म० प०

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि मंगलवार, २० अप्रैल, १९५४ से सदन की बैठक ८.१५ म० पू० से १.५५ म० प० तक हुआ करेगी।

सूचना इत्यादि प्राप्त करन के लिये दफ़्तर खुलने का समय संसदीय पुस्तिका में अधिसूचित किया जायेगा।

अत्यावश्यक लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान आकर्षित करना

उत्तर अतलान्तिक तथा आंग्ल-पुर्तगाली सन्धियों के गोआ पर लागू होने के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री का वक्तव्य

अध्यक्ष महोदय : नियम २१५ के अन्तर्गत श्री रघुरामय्या तथा डा० राम सुभग सिंह ने सूचना भेजी है कि, इस मास की १३ तारीख को पुर्तगाल के प्रधान मंत्री के इस बयान के सम्बन्ध में, 'कि उत्तर अतलान्तिक तथा आंग्ल-पुर्तगाली सन्धियां गोआ पर लागू की जा सकती हैं' प्रधान मंत्री का ध्यान आकर्षित किया जाये तथा उनसे प्रार्थना की जाय कि वह इस पर एक बयान दें।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : सरकार ने देखा है कि समाचार पत्रों में पुर्तगाल के प्रधान मंत्री के बयान का हवाला दिया गया है जिस में उन्होंने कहा है कि उत्तर अतलान्तिक सन्धि के अन्तर्गत भारत की पुर्तगाली बस्तियां भी आती हैं। इस बयान में पुर्तगाल तथा इंगलैण्ड के मध्य बहुत पहले हुई किसी सन्धियों का भी हवाला दिया गया है। भारत सरकार स्पष्ट शब्दों में बता देना चाहती है वह ऐसी सन्धि में सम्मिलित नहीं है, जिनका हवाला दिया गया है। वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी किसी सन्धि से बाध्य नहीं है। एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न राज्य की हैसियत से भारत को किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय अथवा क्षेत्रीय समझौते से बाध्य नहीं किया जा सकता है, जिस में उस ने एक पक्ष के रूप में भाग न लिया हो। सरकार ने गोआ में निर्माण किये जाने वाले हवाई अड्डों तथा इसी प्रकार की

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

अन्य बातों के हवाले तथा समाचार भी देखे हैं। इस सम्बन्ध में सरकार को प्रत्यक्ष रूप से कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुई हैं। भारत सरकार स्पष्ट शब्दों में एक बार फिर से अपना मत प्रकट करती है वह भारत की विदेशी औपनिवेशिक बस्तियों को असंगत समझती हैं जिन की इतिश्री हो जानी चाहिए क्योंकि उस एतिहासिक विकास के साथ उनका अस्तित्व असंगत हैं जिस के परिणाम स्वरूप भारत के साम्राजीय शासन का अन्त हुआ है। यदि विदेशी शक्तियां इन बस्तियों का अड्डों के रूप में प्रयोग करेंगी तो हम उन का विरोध करेंगे। सरकार यह मानने को तैयार नहीं है कि किसी भी विदेशी शक्ति को इन बस्तिओं में अड्डे बनाने का अधिकार इसीलिये प्राप्त है कि यह एक ऐसी औपनिवेशिक शक्ति के प्रदेश हैं जिनके साथ उसका समझौता है, क्योंकि सरकार यही बात मानने को तय्यार नहीं हैं कि किसी भी औपनिवेशिक शक्ति को हमारे देश की जनता पर शासन करने का अधिकार है।

भारत सरकार ने यह भी देखा है कि उत्तर अतलान्तिक सन्धि संगठन के किसी भी प्रमुख सदस्य ने पुर्तगाल के प्रधान मंत्री के विचारों का समर्थन या संमोदन नहीं किया है। सरकार को यह जान कर हर्ष हुआ है कि कनाडा सरकार ने इस सम्बन्ध में जो मत प्रकट किया है वह इसके बिलकुल विपरीत हैं। अन्य सरकारों की ओर से भी ऐसे ही बयान दिये गये हैं।

पुर्तगाल के प्रधान मंत्री ने अपने देश के द्वारा पूर्वी देशों में किये जाने वाले धार्मिक तथा सांस्कृतिक प्रचारकार्य का हवाला भी दिया है। भारत सरकार की ओर से मैं अनेक बार कह चुका हूं कि हम गोआ की विशेष सांस्कृतिक तथा धार्मिक स्थिति को कायम रखने का विचार करते हैं तथा भारत की तनिक भी यह चेष्टा नहीं है कि गोआ की सांस्कृतिक परम्पराओं को किसी प्रकार प्रभावित करे। ईसाई धर्म भारत के प्रधान तथा सम्मानित धर्मों में से है और उसे पूरी स्वतंत्रता प्राप्त है। किसी विदेशी शाक्ति के साथ विशेष सम्पर्क होने से भारत में वह विशेष आदर की दृष्टि से नहीं देखा जाता है।

गोआ की जिन सांस्कृतिक परम्पराओं को हम रक्षा करना चाहते हैं उनके लिये सबसे अधिक खतरा वर्तमान औपनिवेशिक शासन से है जो प्रत्येक नागरिक स्वतंत्रता का हनन कर रही है तथा उस संघर्ष से है जो उसके परिणामस्वरूप चल रहा है। शान्तिपूर्ण समझौता हो जाने पर गोआ की सांस्कृतिक तथा धार्मिक परम्पराओं का अस्तित्व स्वतंत्रता के वातावरण में बराबर बना रहेगा। ऐसा समझौता तभी हो सकता है जब गोआ भारतीय संघ का एक अंग बन जाये जिससे कि उसके आर्थिक तथा अन्य प्रकार के विकास में सहायता पहुंचेगी। इसलिये हमने सुझाव दिया है कि गोआ के अधिकार का भारत सरकार को यथार्थ हस्तान्तरण कर दिया जाना चाहिये, जिसके पश्चात विधि अनुसार हस्तान्तरण कर दिया जाये।

पुर्तगाल के प्रधान भंत्री ने कहा है कि वह इस बात की गारण्टी करने को तैय्यार हैं कि पुर्तगाली बस्तियों का भारत के विरुद्ध अड्डों के रूप में प्रयोग नहीं किया जायेगा। मैं उनको सुझाव दूंगा कि ऐसा करने का तात्कालिक उपाय यह

है कि गोआ से पुर्तगाली सेनायें हटा ली जायें । इससे तनातनी कम हो जायेगी तथा शान्तिपूर्ण वार्ता का मार्ग तय्यार हो जायेगा ।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) खड़े हुए--

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न बिलकुल नहीं ।

श्री साधन गुप्त (कलकत्ता दक्षिण-पूर्व): क्या मैं एक—निवेदन कर सकता हूं? मैं एक अन्य विषय का हवाला देना चाहता हूं । मैं आज के लिये उसकी सूचना भी भेज चुका हूं ।

अध्यक्ष महोदय : यदि वह स्वीकार करने योग्य है तो वक्तव्य किसी ऐसे दिन दिया जायेगा जो माननीय सदस्य तथा प्रधान मंत्री दोनों के लिये सुविधाजनक हो ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : माननीय सदस्य की सूचना पर ध्यान दिये बिना ही क्या मुझे अभी वक्तव्य देने की आज्ञा दी जा सकती है ?

अध्यक्ष महोदय : हमारे नियमों के अनुसार ऐसे दो वक्तव्य एक ही दिन नहीं दिये जा सकते हैं ।

अनुदानों की मांगें *—जारी

अध्यक्ष महोदय : सदन अब वित्त मंत्रालय से सम्बंधित अनुदानों की मांग संख्या २६, २७, २८, २९, ३०, ३१, ३२, ३३, ३४, ३५, ३६, ३७, ३८, ३९, ४०, ४१, ४२, ११५, ११६, ११७, ११८, ११९, १२० तथा १२१ पर विचार करेगा ।

सदस्य तथा दलों के नेता उन कटौती प्रस्तावों को जो उन्हों ने छांटे हों सचिव को दे दें यदि वे सदस्य जिनके नाम से वे रखे गये हैं सदन में उपस्थित होंगे तथा यदि वे कटौती प्रस्ताव अन्य प्रकार से भी नियमानुकूल होंगे तो मैं उनको प्रस्तावित मान लूंगा ।

भाषणों के लिये साधारण रीति से निर्धारित समय की पाबंदी लागू रहेगी १९५४-५५ के लिये अनुदानों की यह मांगें अध्यक्ष महोदय ने प्रस्तुत कीं :

मांग संख्या	शीर्ष	राशि (रुपये में)
२६	वित्त मंत्रालय	१,४३,१९,०००
२७	सीमा शुल्क	३,८४,११,०००
२८	संघ उत्पादन शुल्क	६,२८,३०,०००
२९	निगमकर तथा सम्पत्ति शुल्क समेत आय पर कर	३,४१,७६,०००
३०	अफ़ीम	३४,१३,०००
३१	स्टाम्प्स	१,१७,४३,०००
३२	अभिकरण विषयों के प्रशासन तथा राज-कोषों के प्रबंध के लिये अन्य सरकारों, विभागों आदि को भुगतान	१०,२०,०००

*राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से प्रस्तावित

मांग संख्या	शीर्ष	राशि (रुपये में)
३३	लेखा परीक्षा	७,०५,८२,०००
३४	मुद्रा	१,५८,३९,०००
३५	टकसाल	८५,०२,०००
३६	प्रादेशिक तथा राजनैतिक पेंशनें	१९,४०,०००
३७	वृद्धावकाश भत्ता तथा निवृत्ति-वेतन	२,८०,८०,०००
३८	वित्त मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३,२०,६४,०००
३९	राज्यों को सहायक अनुदान	१४,०१,६७,०००
४०	संघ तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन	२,५३,०००
४१	असाधारण भुगतान	२१,१६,७८,०००
४२	विभाजन के पूर्व के भुगतान	१,२४,४२,०००
११५	भारतीय सुरक्षा मुद्रणालय पर पूंजी व्यय	४,७८,०००
११६	मुद्रा पर पूंजी व्यय	२,४८,०००
११७	टकसाल पर पूंजी व्यय	६५,७५,०००
११८	निवृत्ति-वेतनों का परिणत मूल्य	८६,२१,०००
११९	छंटनी किए गए व्यक्तियों को भुगतान	९९,०००
१२०	वित्त मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	२०,३५,२१,०००
	केन्द्रीय सरकार द्वारा देय ऋण तथा अग्रिम धन	३१,७०,६८,०००

निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि
२६	श्री नम्बियार (मयूरम)	एक लाख या उस से ऊपर की जनसंख्या वाले 'ग' श्रेणी के शहरों में किराया मकान भत्ता देने के तथा अन्य बातों के सम्बन्ध में केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों की समुचित कार्यान्विति	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि
२६	श्री नम्बियार	गाडगिल समिति की सिफारिशों के कार्यान्बित के कारण ७५-१०० के वेतन क्रम के 'ग' श्रेणी के स्टेशनों के कर्मचारियों के किराया मकान भत्ते की कटौती की वापसी	१०० रुपये
२६	श्री वी० पी० नायर (चिरायिन्किल)	नीचे दर्जे की आय वाले समूह पर हानिकारक प्रभाव डालने वाली भारत सरकार की करारोपण नीति	१०० रुपये
२६	श्री वी० पी० नायर	जनता के जीवन-स्तर को ऊंचा करने में सरकार की असफलता	१०० रुपये
२६	श्री वी० पी० नायर	शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए पर्याप्त धन का उपबन्ध करने में असफलता	१०० रुपये
२६	श्री एन० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन व मावेलिक्करा)	खाद्य सम्बन्धी राजकीय सहायता के रूप में तिरुवांकुर-कोचीन को और अधिक आर्थिक सहायता दिये जाने की आवश्यकता	१०० रुपये
२६	श्री वी० पी० नायर	बढ़ता हुआ प्रशासन व्यय	१०० रुपये
२६	श्री वी० पी० नायर	विदेशी समवायों को अपने लाभों का निर्यात करने से रोकने और न उनको अपने लाभों को उन्हीं उद्योगों में फिर से लगाने का आदेश देने में असफलता	१०० रुपये
२६	श्री वी० पी० नायर	विदेशी बीमा तथा बैंकिंग के समवायों की अप्रत्यक्ष आय को रोकने में असफलता	१०० रुपये
२६	श्री वी० पी० नायर	किसानों को उनकी फसलों के लिए मूल्य संरक्षण देने में असफलता	१०० रुपये
२६	श्री वी० पी० नायर	हाथकरघा तथा कुटीर उद्योगों को मूल्य संरक्षण देने तथा उनकी सहकारी समितियां बनाने में असफलता	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि
२६	श्री वी० पी० नायर	राष्ट्रीय ऋण की उपेक्षा डालर ऋणों तथा अन्य विदेशी ऋणों को ब्याज का ऊंचे दर से भुगतान	१०० रुपये
२६	श्री वी० पी० नायर	राष्ट्रीय हितों को भारी आघात पहुंचाकर उन उद्योगों में जहां भारतीय पूंजी उपलब्ध है विदेशी पूंजी के विनियोग को रोकने में असफलता	१०० रुपये
२६	श्री माधव रेड्डी (आदिलाबाद)	वर्तमान मूल्यों के हिसाब से प्रत्येक आय को १००० रुपये प्रतिमास की उच्चतर सीमा के आधीन करने की दृष्टि से एक संयोजित राष्ट्रीय नीति के पालन करने में असफलता	१०० रुपये
२६	श्री वल्लाथरास (पुदुकोटै)	संभरण से इन्कार	१ रुपया
२६	श्री वल्लाथरास	मंत्रालयों द्वारा रुपये के आय-व्ययक उपबन्धों का उपयोग न किया जाना जिसके परिणाम-स्वरूप पंच वर्षीय योजना का काम पीछे रह जाना	१०० रुपये
२६	श्री एन० आर० नायडू (राजमुद्री)	नीचे दर्जे की आय वाले समूह पर हानिकारक प्रभाव डालने वाली भारत सरकार की करा-रोपण नीति	१०० रुपये
२६	श्री यू० एम० त्रिवेदी (चित्तौड़)	राष्ट्रीय बचत आयुक्त की पद की समाप्ति	१०० रुपये
२६	श्री तुलसीदास (मेहसाना पश्चिम)	विकास योजनाओं के लिए आय-व्ययक में किए गए धन के उपबन्धों का काम में न लाया जाना	१०० रुपये
२६	श्री शिवमूर्ति स्वामी (कुष्टगी)	उत्पादक तथा ग्रामीण अर्थ व्यवस्था के अनुसार तथा जीवन स्तर को ऊंचा करने के अनुकूल वर्तमान आय-व्ययक नीति में परिवर्तन	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि
२६	श्री शिवमूर्ति स्वामी	शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए अधिक धन का उपबन्ध करने में असफलता	१०० रुपये
२७	श्री शिवमूर्ति स्वामी	सीमा शुल्क विभाग में फैला भ्रष्टाचार	१०० रुपये
२८	श्री साधन गुप्त (कलकत्ता–दक्षिण पूर्व)	विदेशी समवायों तथा बड़े बड़े भारतीय पूंजीपतियों पर यथेष्ट आयकर लगाने में असफलता	१०० रुपये
२८	श्री एन० आर० नायडू	कपड़ा, सुपारी तथा कपड़ा धोने के साबुन पर कर	१०० रुपयें
२८	श्री एन० आर० नायडू	जूते पर लगाया गया कर	१०० रुपये
२८	श्री शिवमूर्ति स्वामी	केंद्रीय उत्पादन कर विभाग तथा आयकर विभाग के अफसरों के वेतनक्रमों में अन्तर	१०० रुपये
२८	श्री शिवमूर्ति स्वामी	केंद्रीय उत्पादन कर रेंज अफसरों के वेतनों में वृद्धि	१०० रुपय
२९	श्री एन० श्रीकान्तन नायर	तिरुवांकुर-कोचीन राज्य को यथेष्ट क्षतिपूर्ति का भुगतान किए बिना ही एकीकरणपूर्व से बन्द कर दिए गए आयकर के मामलों के सम्बन्ध में आयकर का पुनः आरोपण	१०० रुपय
२९	श्री शिवमूर्ति स्वामी	आयकर नीति तथा उसका स्थानीय अधिकारियों में फैले भ्रष्टाचार को रोकने में असफलता	१०० रुपये
२९	श्री शिवमूर्ति स्वामी	केन्द्रीय उत्पादन कर विभाग से सम्पत्ति शुल्क वसूल करने के लिए अफसरों की भर्ती	१०० रुपये
३०	श्री यू० एम० त्रिवेदी	नीमच अफीम फैक्टरी का कार्यकरण	१०० रुपये
३०	श्री यू० एम० त्रिवेदी	नीमच अफीम फैक्टरी के कर्मचारियों के लिए सहायक निरीक्षकों	१०० रपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि
		दफ्तर के बाबुओं तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए छुट्टी के वेतन का उपबन्ध न किया जाना	
३८	श्री तुलसीदास	देश के बैंकिंग तथा बीमा उद्योगों की समस्याओं के सम्बन्ध में सरकार की नीति	१०० रुपये
३८	श्री तुलसीदास	राज्य संचालित उद्यमों सम्बन्धी नीति	१०० रुपये
३९	श्री एन० श्रीकांतन नायर	काली मिर्च पर आरोपित शुल्क से प्राप्त कुल आय के ५० प्रतिशत पर तिरुवांकुर-कोचीन का दावा	१०० रुपये
३९	श्री वी० पी० नायर	भाग 'ग' राज्यों की अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के कल्याण के लिए अपर्याप्त उपबन्ध	१०० रुपये
३९	श्री वी० पी० नायर	पटसन शुल्क के घाटे की तथा वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार आयकर के भाग की पूर्ति करने के लिए पश्चिम बंगाल राज्य को दिया जाने वाला अपर्याप्त अनुदान	१०० रुपये
३९	श्री तुलसीदास	संसद् द्वारा विभिन्न राज्यों के दिए गए सहायक अनुदानों का निरीक्षण तथा जांच करने तथा उनके व्यय किए जाने के सम्बंध में रिपोर्ट देने के लिए एक संसदीय आयोग की नियुक्ति की संभाव्यता	१०० रुपये
४०	श्री यू० एम० त्रिवेदी	भारतीय शस्त्रास्त्र अधिनियम के प्रशासन के लिए भाग 'ख' राज्यों के किए जाने वाले भुगतान का समायोजन	१०० रुपये

डा० कृष्णस्वामी (कांचीपुरम) : आजकल सरकारों को बहुत बड़े पैमाने पर रुपया खर्च करना पड़ता है इसलिए राजकोष तथा संसद् के द्वारा प्रत्येक विभाग पर लगाये जाने वाले प्रतिबन्धों तथा नियंत्रणों को समाप्त कर देना बहुत खतरनाक होगा। राजकोषीय नियंत्रण तथा लेखा परीक्षण के बिना संसद् किसी प्रकार का प्रभावपूर्ण नियंत्रण नहीं कर सकती है ।

कुछ समय से राजकोषीय नियंत्रण के सम्बन्ध में एक विवाद चल पड़ा है । कभी कभी कहा जाता है कि द्रुतगत आयोजन के आज के युग में न तो संसदीय नियंत्रण की आवश्यकता है और न राजकोषीय नियंत्रण की । परन्तु यह विचार बहुत ही घातक है तथा सुविचारित आयोजन को छिन्न भिन्न करने वाला है । कहा जाता है कि वित्त विभाग द्वारा प्रत्येक योजना की विस्तृत जांच किये जाने के कारण योजनाओं की कार्यान्विति में बहुत बाधा पड़ती है ।

रेलवे के लिये जितने रुपये का उपबन्ध किया गया था उस में वह १७½ करोड़ रुपया खर्च नहीं कर पाई है । रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने इस का कारण बताते हुए कहा है कि इसका कारण यह था कि विदेशों से मशीनों का आयात नहीं किया जा सका ।

सामुदायिक परियोजनाओं के लिये जितने रुपये का उपबन्ध किया गया था उस में ७ से लेकर ८ करोड़ रुपया खर्च नहीं किया जा सका है । इस का कारण यह है कि अभी तक योजनायें ही तय्यार नहीं हो पाई हैं । योजना हीन परियोजनाओं तथा योजनाओं को जब तक ठीक से कोई निश्चित रूप न दिया जाये उस समय तक, आज कल के युग में, जब कि रुपये का खर्च इतने बडे पैमाने पर किया जाता है, कोई भी वित्त मंत्री धन का व्यय किया जाना स्वीकार नहीं कर सकता है ।

ज़रुरत आज इस बात की है कि हमारे अधिकांश प्रशासनिक विभागों में जो एक योजना हीनता का वातावरण फैला हुआ है उस को दूर किया जाये । दुख की बात यह है कि हम जब आयोजन की बातें करते हैं उस समय घाटे की अर्थ योजना में प्रस्तावित योजनायें हमारे पास तैयार नहीं होती हैं । कारण कुछ भी हो, व्यय को शीघ्रतापूर्ण करने तथा समृद्धि के लाने के लिए कुछ सुझाव दिये गये हैं ।

एक प्रस्थापना यह है कि संसद् सांकेतिक अनुदान के लिए अपनी सम्मति प्रदान करे । यदि इस बात को स्वीकार कर लिया गया तो माननीय वित्त मंत्री आयव्ययक को आंकड़ेवार प्रस्तुत करने के उत्तरदायी नहीं रहेंगे । इसके अतिरिक्त एक बार सांकेतिक अनुदान के स्वीकार कर लेने से प्रजातंत्रवाद एक सर्वाधिकारवाद बन कर रह जायगा और हम फिर गुलामी की ओर अग्रसर होंगे ।

दूसरी प्रस्थापना यह रखी गई है कि विभिन्न विभागों के लिए इकट्ठे अनुदानों को मंजूर कर दिया जाय । यह बात न तो हमारे संविधान तदनुरूप है तथा न ही माननीय सदस्यों के लिए इस प्रस्थापना की मंजूरी देना बुद्धिमानी ही होगा । यह ठीक है कि इस प्रस्थापना से अधिकतम व्यय निर्धारित हो जायगा तथा वित्त मंत्रालय का अन्य मंत्रालयों पर नियन्त्रण ढीला हो जायगा । परन्तु इसका परिणाम यह भी होगा कि संसदीय नियंत्रण भी स्थापित नहीं हो सकेगा ।

[डा० कृष्णस्वामी]

अब मैं उस मुख्य समस्या को लेता हूं जिसका हमारे प्रशासन, इस सदन तथा योजना-निर्माताओं को सामना करना है। वित्त मंत्रालय आगामी वर्ष में १०० से १२० करोड़ रुपये का व्यय करना चाहता है। सामान्यतः योजनाओं के तैयार करने के बाद ही व्यय राशि के निर्धारण का विचार किया जाता है। इसी कारण राज कोष की जांच पड़ताल के सम्बन्ध में बहुत कुछ विवाद है।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुए]

मेरा सरकार को सुझाव है कि प्रशासनिक विभागों का प्रथम कर्त्तव्य यह हो कि वे यथाशीघ्र योजनाओं को तैयार करें ताकि वित्त विभाग उनकी जांच पड़ताल कर सके। फिर भी हम यह जानते हैं कि विभागों के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित आधार पर चलना सम्भव नहीं होता है। साथ ही यह बात भी महत्त्वपूर्ण है कि इन योजनाओं को अगले दो वर्षों में क्रियान्वित कर दिया जाय। मेरा सुझाव है कि योजनाओं की केवल वाह्य रूप रेखा पहले से तैयार कर ली जाय जिससे व्यय करने वाले विभाग एक आकस्मिकता निधि से अपेक्षित धन को ले सकें। इसमें भी यद्यपि संसद मतदान के द्वारा सकल राशि स्वीकृत देता है, फिर भी इसका बटवारा वित्त मंत्रालय ही करता है। संसदीय नियंत्रण तथा प्रभावोत्पाद वित्तीय नियन्त्रण के विचार से इन समस्त निधियों की जांच पड़ताल होनी चाहिए। व्यय की स्वीकृति वित्त मन्त्रालय द्वारा व्यय के वस्तुतः हो जाने के बाद ही दी जायेगी। इसका एक लाभ तो यह होगा कि इस से प्रशासनिक विभागों की व्यर्थ के व्यय करने की लालसा की रोकथाम की जा सकेगी। निश्चय ही हम करदाता के धन का दुरुपयोग नहीं होने देना चाहते हैं। अन्ततः वित्त मंत्रालय संसद् के सामने उत्तरदायी है तथा वित्त मंत्री को यह अधिकार है कि संसद् के सामने ऐसे मामलों के सम्बन्ध में एक श्वेत पत्र रखे जिनमें आकस्मिकता निधि में से पूरा धन न लिया गया हो अथवा जिन में लिये गये धन का दुरुपयोग किया गया हो।

एक और बात मैं माननीय वित्त मंत्री के ध्यान में लाना चाहता हूं। प्रस्तावित व्यय के बहुत अधिक बढ़ जाने से वित्त मंत्रालय का स्पष्टीकारक ज्ञापन फिर से तैयार किया जाना चाहिये। इस ज्ञापन में आकस्मिकता निधि के बारे में पूरा ब्यौरा दिया जाना चाहिये। अब तक तो सत्र-विराम के एक दो मास के लिए ही आकस्मिकता निधि की मंजूरी दी जाती रही है, परन्तु अब व्यय के बहुत शीघ्रता से किये जाने के विचार से संसद् को व्यय की बहुत ध्यान-पूर्वक जांच पड़ताल करनी चाहिये।

धन के व्यय पर एक और दृष्टिकोण से भी विचार किये जाने की आवश्यकता है। व्यय किया गया धन हमारे पुनर्वर्तित प्राक्कलन में आयेगा तथा उस समय हम यह निर्णय करेंगे कि विभिन्न विभाग अनुसूचि के अनुसार कहां तक चल सके हैं। प्रशासनिक विभागों में विचारशीलता न होने से अधिक दोष वित्त विभाग को ही दिया जाता है। उदाहरणार्थ यह कहा जाता है कि बेकारी बहुत अधिक बढ़ गई है तथा काम की व्यवस्था करने के लिए हमें अधिक व्यय करना चाहिये। एक उदाहरण यह है कि शरणार्थियों के लिए ४५ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इस का परिणाम यह होगा कि वे लोग वाणिज्यिक धन्धों

में जायेंगे जिस में पहले से ही बहुत भीड़ है। इस से एक और प्रकार की बेकारी उत्पन्न हो जायेगी। मेरे कहने का सारांश यह है कि शीघ्रता से तैयार की गई योजनाओं की कार्यान्विति से पूरी होने वाली आवश्यकताएं अंशतः ही पूरी हो सकेंगी।

सदन ने लेखा तथा लेखा परीक्षा विभागों के तत्काल पृथक किये जाने पर बहुत जोर दिया है, परन्तु माननीय वित्त मंत्री ने इस दिशा में अभी तक कुछ नहीं किया है। दो वर्ष पहले लोक लेखा समिति ने भी यही आवश्यकता जतलाई थी। चाहिये तो यह था कि महालेखा-परीक्षक इसके बाद साथ के साथ लेखा परीक्षा की व्यवस्था करते तथा संसद् के सामने त्रैमासिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते। परन्तु होता यह है कि सदन के सामने उनके जो प्रतिवेदन आते हैं, वे वर्ष डेढ़ वर्ष पहले के होते हैं। परिणाम यह है कि विभिन्न विभागों को दिये गये धन के बारे में संसद् के लिए कोई निर्णय करना बहुत कठिन हो जाता है।

इस सम्बन्ध में आप दामोदर घाटी परियोजना का उदाहरण लें। संसद् ने इस परियोजना के लिए कितने ही धन की स्वीकृति दे रखी है, परन्तु हमारे सामने जो लेखे हैं वे १९५०-५१ से सम्बन्धित हैं। इतने विलम्ब का क्या कारण है? मैं सरकार को यह जतलाना चाहता हूं कि जब तक लेखा तथा लेखा परीक्षा विभागों को पृथक नहीं कर दिया जाता, नियन्त्रण की कोई प्रगतिशील पद्धति नहीं चल सकेगी। इन दोनों का एक साथ रहना मनोनीति महालेखा-परीक्षक के प्रति न्यायपूर्ण नहीं होगा। इससे वे सभी समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दे सके हैं तथा संसद् को कई अवसरों पर अपेक्षित सूचना नहीं मिल सकी है। मैं माननीय मित्र को जतलाना चाहता हूं कि भविष्य में संसदीय नियंत्रण तथा वित्तीय नियंत्रण को पृथक नहीं किया जा सकता है तथा इन पर अधिकाधिक ध्यान देना होगा। हमारे नये लोक-हितकारी राज्य में प्रशासनिक विभागों को योजना रहित ढंग से व्यय करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। लाल फीते शाही को समाप्त करने की दुहाई देते रहना प्रायः स्वाभाविक सा हो गया है, परन्तु सदन को यह अनुभव होना चाहिये कि बिना किसी निश्चित प्रणाली के काम करने में इससे बड़ा खतरा है। इससे अनावश्यक विनाश होता है।

श्री वाई० एम० मुक्णे (थाना-रक्षित-अनुसूचित आदिमजातियां) : पंचवर्षीय योजना में बताया गया है कि सरकार की नीति आदिमजाति के लोगों को प्रत्येक प्रकार से सहायता देने, उनके प्राकृतिक संसाधनों का विकास करने और उनका आर्थिक जीवन सुधारने की है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले आदिमजाति के लोगों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के कार्यक्रमों के लिये विशेष आर्थिक अनुदान की व्यवस्था की जानी चाहिये। इन कार्यक्रमों में सड़क बनाने, जल व्यवस्था में सुधार करने सिंचाई की व्यवस्था करने, कृषि, कुटीर उद्योगों आदि का विकास करने तथा अधिक शिक्षा सम्बन्धी और डाक्टरी सुविधायें दिये जाने की योजनायें सम्मिलित हैं।

परन्तु हमें देखना यह है कि इस दिशा में वस्तुतः क्या काम हुआ है। जहां तक बम्बई राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों का सम्बन्ध है, केन्द्रीय सरकार ने इस

[श्री वाई० एम० मुक्णे]

क्षेत्र को यह अनुदान दिये हैं । १९५१–५२ में एक लाख रुपये, १९५२–५३ में ८.५० लाख रुपये और १९५३–५४ में १२ लाख रुपय । अभी तक केवल इतना ही व्यय हुआ है और बम्बई सरकार ने इसमें से अधिकांश राशि प्राथमिक शिक्षा, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य जैसे कामों में व्यय की है । मेरा निवेदन यह है कि यह मूल समस्या का समाधान नहीं है ।

इसमें सन्देह नहीं है कि सरकार ने अनुसूचित आदिमजातियों के सम्बन्ध में काफी रुचि दिखाई है । परन्तु मुझे यह कहना पड़ता है कि केवल हम लोगों का अनुसूचित आदिमजाति के रूप में उल्लेख करने और हमारे सामाजिक कल्याण के लिये कुछ करोड़ रुपये देने मात्र से ही हमारी मुसीबतों और सभ्य समाज द्वारा हमारे शोषण का अन्त नहीं हो सकता है ।

आदिमजातियां सदियों से जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों में रहती आई हैं । ऐसी लगभग २४५ आदिमजातियां हैं, जो सभ्यता से बिल्कुल अलग जंगलों में रहती हैं । इनकी कुल जनसंख्या १·७८ करोड़ से अधिक है, जो देश की सम्पूर्ण जनसंख्या का लगभग ७·८ प्रतिशत भाग है । बम्बई राज्य के आदिमजाति क्षेत्र की जनसंख्या उस राज्य की कुल जनसंख्या का ९·३४ प्रतिशत भाग है । मैं जिस ज़िले का रहने वाला हूं वहां पर राज्य भर में आदिवासियों की सबसे अधिक जनसंख्या है । ४,५७,००० व्यक्ति १,८२० वर्ग मील क्षेत्र में रहते हैं । उनकी दशा आज भी बिलकुल वैसी ही है जैसी कि सत्तर या अस्सी वर्ष पूर्व थी । उनका मुख्य व्यवसाय कृषि है । ये लोग अनाज, फलों और जंगली जड़ी बूटियों पर जीवन निर्वाह करते हैं । कुछ भाग्यशाली लोग उन ठेकेदारों के अधीन काम पा जाते हैं, जो जंगलों में पेड़ काट कर इमारती लकड़ी का व्यापार करते हैं । परन्तु उन बेचारों को इतनी कम मजूरी मिलती है कि वे भूखों मरते हैं । बम्बई सरकार ने जंगली क्षेत्रों का उपयोग करने और उस प्रयोजन के लिये आदिवासियों की सहकारी समितियां बनाने के लिये उपयुक्त विधान पुरःस्थापित किया है । इस सद्कार्य के लिये वह बधाई का पात्र है । मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आजकल भी आदिमजाति के लोगों की दशा सदियों पहले जैसी ही है । ये लोग सभ्यता से दूर हैं । सड़कों और उचित संचार सुविधाओं का अभाव है । ये लोग झोपड़ियों में रहते हैं और अधिकांश के पास तन ढांकने को कपड़ा तक नहीं होता है ।

सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि अनुसूचित आदिमजाति क्षेत्रों का आर्थिक विकास किया जाये । इसके लिये संचार सुविधाओं का विकास करना होगा, छोटे छोटे उद्योग स्थापित करने होंगे और छोटी सिंचाई परियोजनाओं का काम आरम्भ करना होगा । इन समस्याओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिये । जब तक कि आदिवासियों की निर्धनता की समस्या का समाधान नहीं होता है तब तक अन्य सारी योजनायें विफल रहेंगी ।

आयुक्त के प्रतिवेदन में आदिवासियों की प्रगति और उत्थान के सर्वोत्तम तरीकों के सम्बन्ध में राय देने के लिये प्रत्येक राज्य में आदिवासियों की मंत्रणा परिषदों की व्यवस्था की गई है । मेरा सुझाव है कि सभी कार्यों में सामंजस्य स्थापित करने और विकास कार्यक्रम के सम्बन्ध में सामान्य

निदेश देने के हेतु केन्द्र में भी ऐसी एक मंत्रणा समिति होनी चाहिये। मेरा यह भी सुझाव है कि राज्य तथा केन्द्रीय मंत्रिमण्डलों में अनुसूचित आदिमजातियों को कुछ प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये। इससे अनुसूचित आदिमजातियां और सरकार, दोनों ही को लाभ होगा। अनुसूचित आदिमजातियों के प्रतिनिधियों को संसदीय समितियों में भी नियुक्त किया जाना चाहिये ताकि वे संसदीय कार्यों का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकें।

मैं यह स्वीकार करता हूं कि केन्द्रीय सरकार तथा बम्बई सरकार इस दिशा में काफ़ी काम कर रही है। परन्तु मैं समझता हूं कि वे मूल समस्याओं पर अपना ध्यान केन्द्रित नहीं कर रही हैं, और इसलिये मैं ने इन समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। सुनने में आया है कि बम्बई सरकार ने अनुसूचित आदिमजातियों और अनुसूचित क्षेत्रों के निवासियों के लाभार्थ १·८६ करोड़ रुपये की लागत की एक पंचवर्षीय योजना तैयार की है। परन्तु यह योजना तभी क्रियान्वित की जायेगी जबकि इस काम के लिये भारत सरकार पर्याप्त अनुदान मंजूर करने को तैयार हो। मैं आशा करता हूं कि सरकार इन नये अनुदानों की मंजूरी दे देगी और बम्बई सरकार द्वारा आरम्भ की गई सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिये अनुदान देती रहेगी।

श्री मुहीउद्दीन (हैदराबाद नगर) : पिछले तीन चार सप्ताह से बड़े पैमाने के उद्योगों के अभिनवीकरण के सम्बन्ध में काफी वादविवाद चल रहा है। मैं सदन का और माननीय मंत्री का ध्यान अभिनवीकरण के आर्थिक पहलू की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

औद्योगिक देशों में उद्योगों के विस्तार के लिये पूंजी का मुख्य साधन स्वयं उद्योग का बचा हुआ धन होता है। गत लगभग बीस वर्षों से अधिक लाभ में से निधियां एकत्रित करने और उनको उद्योगों के विकास और नये उद्योगों के खोलने के काम में लाने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। हमें अभिनवीकरण के इस पहलू का ध्यान रखना है और औद्योगिक क्षेत्रों को अपना काम इस प्रकार चलाना चाहिये ताकि देश में उद्योगों के अग्रेत्तर विकास के लिये पर्याप्त अधिक लाभ हो।

इस योजना के सम्बन्ध में मुझे एक बात यह भी कहनी है कि हम लोग 'विकास व्यय' शब्द का ग़लत प्रयोग करते हैं। प्रायः 'विकास व्यय' और 'पूंजी व्यय' शब्दों के सम्बन्ध में लोगों में भ्रांति पैदा हो जाती है। मेरा सुझाव है कि इन शब्दों के अर्थ बिलकुल स्पष्ट और निश्चित कर दिये जाने चाहियें ताकि इनके प्रयोग के सम्बन्ध में गड़बड़ी पैदा न हो। प्रत्यक्षतः फलदायी विकास योजनाओं, जैसे सिंचाई परियोजनाओं, पर होने वाला व्यय अप्रत्यक्षतः फलदायी विकास योजनाओं, जैसे सड़कें, स्कूल आदि, पर होने वाले व्यय से अलग दिखाया जाना चाहिये। इससे हमें यह स्पष्ट रुप से पता लग जायेगा कि हम अपने विनियोजनों से विकास योजनाओं में कितनी प्रगति कर सकें हैं।

आगामी दो तीन वर्ष हम लोग बहुत हद तक घाटे की वित्त व्यवस्था करने जा रहे हैं। जनता कहीं यह न समझे कि इसी के कारण मूल्यों में अनुचित वृद्धि

[श्री मुहीउद्दीन]

हो गई है, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम आंकड़ों की सहायता से जनता को यह दिखायें कि उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है, अतः विकास की वृद्धि के साथ साथ मूल्यों के बढ़ने का कोई अवसर नहीं है।

आजकल व्यापार की दशायें हमारे प्रतिकूल हैं, जब कि १९५०-५१ में वे हमारे बहुत अनुकूल थीं। क्या इस सम्बन्ध में हम बिल्कुल असहाय हैं ? हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। उस समस्या पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए, और कोशिश यह होनी चाहिए कि यदि व्यापार की दशायें अनुकूल न हो सकें तो कम से कम प्रतिकूल तो न हों।

श्री साधन गुप्त : वित्त मंत्रालय के प्रतिवेदन में सरकार की वित्तीय नीति की लेशमात्र भी चर्चा नहीं की गई है, परन्तु यह उसके कार्यों से स्पष्ट हो जाती है। गरीबों पर कर लगायें जाते और धनी अछूते बच जाते हैं। बहाना यह किया जाता है कि करारोपण जांच समिति इस प्रश्न पर विचार कर रही है। यह कहा जाता है कि अतिरिक्त करों से पूंजी निर्माण में बाधा पड़ेगी परन्तु चाहे पूंजी निर्माण हो या न हो गरीबों के शरीरों पर अवश्य प्रभाव पड़ेगा। अधिक करारोपण से गरीबों की दशा और भी खराब हो जाती है। सरकार इस प्रकार निर्धन और धनी व्यक्तियों के बीच भेद भाव करती है। यह बात अनुचित बात है। यही नहीं सरकार विदेशी और भारतीय शोषणकर्ताओं के बीच भी भेद भाव करती है। भारतीय शोषणकर्ताओं की अपेक्षा विदेशी शोषणकर्त्ताओं के साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया जाता है। हमारी पार्टी ने अक्सर इस बात की शिकायत की है कि हमें अपने देश में अन्धाधुन्ध विदेशी पूंजी का आयात नहीं करना चाहिए। हम विदेशी सहायता का विरोध नहीं करते हैं परन्तु पूंजी का आयात बुरी बात है। इससे देश को भारी हानि पहुंचती है—लगभग १०० करोड़ रुपये प्रति वर्ष की। सरकार इस तथ्य को छिपाना चाहती है और रिजर्व बैंक के आंकड़े देकर कहती है कि यह हानि ३९ करोड़ रुपये की है। यह उसकी गलती है। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में उस बैंकिंग कमीशन (दलाली) का उल्लेख नहीं है जो कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर दिया जाता है। इसमें जहाज़ी भाड़ों तथा बीमा धन का भी उल्लेख नहीं है। विदेशी कम्पनियां धोखा देने वाले नामों की आड़ में हमारे देश की बहुत अधिक पूंजी चूस रही हैं। उनमे से अधिकांश लंदन या वाशिंगटन की कम्पनियों की शाखायें मात्र हैं और अपने आप को 'भारतीय लिमिटेड' कह कर धोखा दे रही हैं। इस प्रयोजन की सिद्धि के लिए वे अनेक कुटिल उपायों को अपनाती रहती है। कुछ विदेशी कम्पनियां अपनी मुख्य कम्पनियों को भेजे गये माल का कम मूल्यांकन करती हैं और इस प्रकार इस देश को होने वाले धन का अपहरण करती हैं। इस बेईमानी को रोकने का कोई प्रयत्न नहीं किया जा रहा है। बल्कि इसके विपरीत विदेशी पूंजी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ऐसी ही एक चाल कमीशन अभिकरण सौदे के नाम से ज्ञात है। इसकी आड़ में भी इस देश को खुले आम ठगा जा रहा है। यहां बिक्री कम दिखाई जाती है और वास्तविक बिक्री की आय और इसमें जो अन्तर होता है उसे मूल कम्पनी के नाम दिखा

कर कमीशन ले लिया जाता है। इससे लाभ तो मूल कम्पनी को मिल ही जाता है परन्तु यही हानि दिखाकर श्रमिकों के दावों को रद्द कर दिया जाता है। लाभ की राशि मूल कम्पनी को भेज दी जाती है। फिर भी, खेद है कि हमारी सरकार इन सब चीजों की ओर से अपनी आंखें बन्द किय हुए है और वह इन विदेशी उद्योगों को मुक्त रूप से हमारे उद्योगों का गला घोंटने की अनुमति दे रही है।

दल की घोषणा में यह आया है कि उसे विदेशी पूंजी के उपयोग अथवा योग्य विदेशी व्यक्तियों के सेवायोजन पर कुछ आपत्ति नहीं है, विशेषकर जब यह सब कुछ भारत में उपलब्ध न हो और भारत को उनकी आवश्यकता हो, किन्तु एक शर्त यह है कि यह पूंजी और यह योग्यता भारतीयों के ही नियंत्रण, निदेश तथा प्रबन्ध में रहे और भारत के ही हितों में उनका प्रयोग हो।

समिति के मतानुसार भारत के कृषि, खनिज पदार्थों तथा उद्योग संबंधी सार्थों में विदेशी पूंजी के विनियोजन के फलस्वरूप भारत के आर्थिक तथा राजनैतिक जीवन पर विदेशी हितों का नियंत्रण सा हो गया है जिस से राष्ट्रीय विकास में बहुत बाधा पड़ी है। राष्ट्रीय महत्व के उद्योगों में अब आगे विदेशी पूंजी का प्रभुत्व नहीं रहना चाहिए। अब यह पूंजी ऋण के रुप में ही आनी चाहिए और वह भी अत्यावश्यक उद्योगों के लिए।

दल से मेरा अभिप्राय इंडियन नेशनल कांग्रेस और समिति के राष्ट्रीय योजना समिति है।

किन्तु इन सिद्धांतों का अनुसरण न करके लीवर ब्रादर्स, राली ब्रादर्स इत्यादि फर्मों को हमारे राष्ट्रीय उद्योगों के हर पहलू में प्रतिस्पर्धा की अनुमति दे दी गई है। हमारी इस नीति से जहां भारतीय पूंजीपतियों को दुख हो रहा है वहां विदेशी हितों को बड़ी प्रसन्नता है और वे इसकी प्रशंसा कर रहे हैं।

विदेशीय विनियोजकों को कई प्रकार के प्रलोभन दिये जाते हैं। उदाहरणतः उन्हें कुछ एक करों से मुक्ति दी जाती है। अपने लाभ को बाहर भेजने के लिए विनियम की सुविधाएं दी जाती हैं। वे अत्यावश्यक वस्तुओं का आयात कर सकते हैं। उन्हें अपेक्षित भूमि तथा पर्याप्त विद्युत इत्यादि के लिए सरकार से सहायता मिलती है। विशेष काल के लिए राष्ट्रीयकरण से छूट दी जाती है और यदि कभी राष्ट्रीयकरण तक नौबत आ भी जाय तो प्रतिकर की सामान्य प्रत्याभूति तो रहती ही है।

इसके विपरीत देशीय सार्थों के कोई ऐसी प्रत्याभूति नहीं है। श्रीमान यह राष्ट्र-द्रोह की नीति है, अतः मैं सदन से यह अनुरोध करूंगा कि इन मांगों को अस्वीकार किया जाए।

श्री बिदारी (बीजापुर दक्षिण): मैं इस मन्त्रालय के सभी विभागों के बारे में चर्चा न छेड़ते हुए केवल ग्राम वित्त व्यवस्था, ग्रामों में बेकारी इत्यादि दो तीन विषयों का उल्लेख करूंगा।

रिज़र्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम के अग्रेतर संशोधन से रिज़र्व बैंक को यह अधिकार दे दिया गया है जिससे वह कृषि

[श्री बिदारी]

वस्तुओं के उत्पादन तथा उसे बाज़ार में ले जाने के हेतु ऋण दे सकेगा। इसी प्रकार से कुटीर तथा छोटे स्तर के उद्योगों को भी वित्तीय सहायता दी जायेगी।

ग्राम बैंकिंग जांच समिति की सिपारिशों की कार्यान्विति करते हुए इम्पीरियल बैंक आफ इंडिया ने ८० अतिरिक्त शाखाएं खोलने का निश्चय कर लिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऋणों का मिलना बहुत कठिन हो रहा है, अतः वहां प्रत्यय का विकास होना अत्यावश्यक है।

हथकरवा उद्योग जो देश का दूसरा बड़ा उद्योग है दिन प्रति दिन गिर रहा है। अन्य कुटीर उद्योगों का भी यही हाल है। ग्रामों के कर्मकरों की दशा दयनीय हो रही है, अतः उसे सुधारने के लिए हमें शीघ्र ही कुछ उपाय करने होंगे।

इस उद्योग ने निस्सन्देह सरकार से कुछ न कुछ सहायता प्राप्त की है किन्तु यह पर्याप्त नहीं है। और कोई भी उद्योग बहुत समय तक दान पर जीवित नहीं रह सकता। अतः इसकी स्थिति का अधिक दृढ़ बनाया जाना अत्यावश्यक है।

बेकारी का एक मुख्य कारण जन-संख्या में वृद्धि है, किन्तु इस विषय में हमें अधिक चिन्तित नहीं होना चाहिये। विज्ञान बड़ी उन्नति कर रहा है अतः उत्पादन बढ़ाया जा सकता है।

हमारी योजना के अनुसार बीस प्रतिशत भूमि के लिए सिंचाई की व्यवस्था हो सकेगी। कृषि के सभी नवीनतम साधन अपनाए जा रहे हैं। यह देख कर संतोष होता है कि पंच वर्षीय योजना को अधिक विस्तृत बना दिया गया है। किन्तु उत्पादन को बढ़ाने की वैज्ञानिक उपाय अभी नहीं किए गए हैं और हमारी कृषि अभी तक प्रकृति की दया पर रहती है। प्रति वर्ष बाढ़ से होने वाली हानि को रोका जा कर उन्हीं नदियों से सिंचाई की जा सकती है। कितने ही नदी नाले ऐसे हैं जिन्हें काम में लाया जा सकता है। इसी प्रकार धरती के नीचे के पानी का भी पूर्ण उपयोग होना चाहिये।

सरकार ने केन्द्र में भूमि परिरक्षण बोर्ड की स्थापना करके बहुत अच्छा किया है। अमरीका में भूमि-क्षारण को कृषि का सब से बड़ा शत्रु समझा जाता है। भारत को भी इस सम्बन्ध में उचित उपाय करने चाहिएं।

देश के कितने ही भागों में निरन्तर अकाल की स्थिति रहती है। सरकार ने इस विषय में बहुत कुछ किया है, किन्तु अभी बहुत कुछ करना शेष है। अभी हाल में जो ४० करोड़ रुपये के व्यय की स्वीकृति दी गई है वह पर्याप्त नहीं है।

श्री तुलसीदास : वित्त मंत्रालय देश के महत्वपूर्ण प्रश्नों तथा मुख्य नीतियों के सम्बन्ध में कार्य करता है। हम सभी यह चाहते हैं कि विकास योजनाओं पर किये जाने वाले इतने बड़े खर्च पर कुछ नियन्त्रण अवश्य होना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत विचार यह है कि एकत्रित किये जाने वाले राजस्व तथा उसके खर्च के लिए वित्त मंत्री उत्तरदायी हैं। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में खर्चे में कमी के बारे में कहा था। १९५३-५४ की पंच वर्षीय योजना की प्रगति रिपोर्ट हमारे पास नहीं है इसलिए यह कमी किस प्रकार की है और किन कारणों से हुई इसका ठीक पता लगाना कठिन है।

मेरा विचार यह है कि विकास योजनाओं के विस्तृत ब्यौरों का समुचित आयोजन करने में सरकार असफल रही है। इस का दूसरा कारण यह है कि शीघ्र कार्यान्विति के लिए आयोजित योजनाओं को आरम्भ करने के लिए कोई उपयुक्त शासन व्यवस्था नहीं है। तीसरे इस बारे में समायोजन करने वाला कोई अधिकारी नहीं है। हम बहुत सी योजनाओं पर अत्याधिक धन व्यय कर रहे हैं और वित्त मंत्री ने भी अपने भाषण में इस बात को माना है कि योजना संगठन में यह त्रुटि है। केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को बहुत अधिक वित्तीय सहायता देती है। राज्यों द्वारा किये जाने वाले इस व्यय पर हमारा प्रायः कोई नियन्त्रण नहीं है। मैं ने इस सम्बन्ध में कहा था कि सदन को इस पर विचार करना चाहिए और राज्यों द्वारा किये जाने वाले इस व्यय की जांच पड़ताल करने के लिए कोई समिति या आयोग होना चाहिए। मैं जानता हूं कि राज्य सरकारों को यह अच्छा नहीं लगेगा और मैं यह भी जानता हूं कि संविधान में भी इस बात का उपबन्ध है कि राज्यों द्वारा किये जाने वाले व्यय के मामले में केन्द्रीय सरकार कुछ नहीं कर सकती, किन्तु हम विदेशी सहायता प्राप्त कर रहे हैं और इस मामले में हमने कुछ अधीक्षण कार्य करना स्वीकार कर लिया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए संविधान में भी परिवर्तन किया जा सकता है।

कुछ दिन पूर्व राज्य उपक्रमों पर संसदीय नियन्त्रण के सम्बन्ध में वाद-विवाद हुआ था। उस समय अधिकांश सदस्यों की यह सम्मति थी कि राज्य उपक्रमों पर थोड़ा बहुत संसदीय नियन्त्रण होना चाहिए। मैं नहीं जानता कि राज्य उपक्रमों पर संसदीय नियन्त्रण रखने के बारे में वित्त मंत्री के क्या विचार हैं किन्तु जब वह कोई निर्णय करें तो उस से पहले हमें राज्य उपक्रमों पर पृथक् पृथक् रूप से विचार करने का एक या दो दिन का अवसर मिलना चाहिए जिस में हम अपने विचार प्रकट कर सकें। जब तक कि हमारे पास राज्य उपक्रमों के संतुलन पत्रों की रिपोर्टें तथा लाभ और हानि के लेखे न हों तब तक उस पर चर्चा करने से कोई लाभ नहीं।

वित्त मंत्री के अधीन बहुत से उद्योग हैं। मैं उन में से बीमा उद्योग के बारे में कहूंगा। इसके बारे में देश में यह भावना रही है कि बीमा कम्पनियों के बारे में जो अधिनियम इस समय लागू हैं वह उन दशाओं में बनाया गया था जो आज से भिन्न थीं। यह अधिनियम उस समय बनाया गया था जब बहुत सी विदेशी कम्पनियां देश में बहुत बड़ा व्यापार कर रही थीं। इस अधिनियम की धारा ४०क तथा ४१ मुख्य रूप से कमीशन और छूट देने के बारे में हैं। यह तो सर्व विदित है कि इस में भ्रष्टाचार चल रहा है। मैं समझता हूं कि इस अधिनियम में दुष्परिवर्तनशीलता रखने के स्थान पर हम एक ऐसा अधिनियम बनायें जिस से एक ऐसी बीमा प्रणाली रखी जा सके जिस से लोग अधिक खर्च किये बिना बीमा कराने का लाभ उठा सकें। यह ठीक है कि इन पर कुछ थोड़ा सा नियन्त्रण इसलिए हो कि इन बीमा कम्पनियों की ऋणशोधन क्षमता बनी रहे किन्तु यह नियंत्रण परिपूर्ण नियंत्रण होना चाहिए जिस से इनकी ऋण-शोधन क्षमता बनी रहे और जो धन यह इकट्ठा करे वह व्यर्थ भी न जाये किन्तु उन्हें अन्य प्रकार से पूर्ण स्वतन्त्रता मिलनी चाहिए जिससे कि

[श्री तुलसी दास]

वे अपने कार्य सुचारु रूप से कर सकें और उन में भ्रष्टाचार न रह सके। बैंकिंग के बारे में मैं ने सदन में बैंकिंग संशोधन विधेयक प्रस्तुत किये जाते समय यह कहा था कि बैंकिंग समवाय अधिनियम पारित करने से रिज़र्व बैंक भारतीय बैंकिंग का संरक्षक हो गया है। मैं चाहता हूं कि हमारे देश में और अधिक बैंक होने चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक होने चाहिएं। रिज़र्व बैंक को केवल निगरानी रखने वाला न होकर कुछ अधिक महत्वपूर्ण कार्य करने चाहिए जिस से बैंकिंग तथा बीमा कम्पनियां अच्छी प्रकार से कार्य कर सकें।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय पर वाद विवाद करते समय यह कहा गया था कि हमारे उत्पादन में वृद्धि हो रही है। किन्तु उत्पादन में वृद्धि होते हुए भी दाम नहीं गिर रहे हैं। हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या उत्पादन लागत की दुष्परिवर्तनशीलता करारोपण या श्रम सम्बन्धी विधान या श्रम पंचाटों के कारण है। युद्ध को समाप्त हुए लगभग दस वर्ष हो चुके हैं और उत्पादन में वृद्धि होते हुए भी दाम नहीं गिरते तो इस पर विचार किया जाना चाहिए। मैं जानता हूं कि उत्पादन में वृद्धि करने से दाम बहुत गिर सकते हैं किन्तु इसके लिए अन्य उपाय भी हो सकते हैं।

श्री रघुवीर सहाय (जिला एटा—उत्तर पूर्व व जिला बदायूं–पूर्व) : हमें सामुदायिक परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों के बारे में जो नवीनतम रिपोर्ट दी गई हैं उसके अनुसार पूरे देश में लगभग २१८ सामदायिक परियोजनाओं तथा १९९ राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों में कार्य हो रहा है। इन में कुल ४३,३५० गांव आते ह जिनकी जन संख्या लगभग ३,४५,२०,००० हैं। यदि इनका कार्य सफलता पूर्वक हो जाता तो एक बहुत बड़ी समस्या हल हो जाती। किन्तु इस मामले में हम बहुत अधिक कार्य नहीं कर सके हैं। "योजना की प्रगति" नामक पैम्फलेट में यह दिया हुआ है कि योजना का अधिकांश भाग अभी पूरा किया जाना है। इसलिए केन्द्रीय सरकार तथा जनता को इस के लिए अत्यधिक प्रयत्न करने चाहिएं। इस योजना को जिन्हें कार्यान्वित करवाना है उन्हें जनता का अधिकतम सहयोग प्राप्त करने के प्रयत्न करने चाहिएं। उस रिपोर्ट में यह भी दिया हुआ है कि पंचवर्षीय योजना का कार्य युद्ध स्तर पर किया जाना चाहिये। किन्तु हम समुदायिक परियोजना वाले क्षेत्रों में इस प्रकार का उपयुक्त वातावरण पैदा नहीं कर सके हैं। हमारे देश का एक भाग इस पंचवर्षीय योजना का विरोधी है। किन्तु हमें इसके लिए सजग रहना चाहिए कि जो कार्य हमने आरम्भ किया है उसे समय के अन्दर ही सफलता पूर्वक समाप्त किया जाये। भाकरा, नांगल, हीराकुड तथा दामोदर घाटी जैसी योजनाओं से—यद्यपि ये महत्वपूर्ण योजनाएं हैं—गांवों की स्थिति में बहुत अधिक अन्तर नहीं आयेगा। गांवों से दरिद्रता सामुदायिक परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं को ठीक प्रकार से चलाने से दूर होगी।

यदि इन परियोजनाओं के प्रभारी अधिकारी सेवा भावना से काम करें और जनता का सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न करें तो इन शेष दो वर्षों में ही सफलता पूर्वक ये कार्य समाप्त किये जा सकते हैं। किन्तु मैं यह समझता हूं कि इन प्रभारी

अधिकारियों में ऐसी भावना नहीं है। जिन क्षेत्रों में इन परियोजनाओं में इतना धन व्यय किया जा रहा है वहां के लोग अपने को बहुत असुरक्षित समझते हैं। वहां लोगों को डाकुओं का डर है इसलिए इन लोगों का सहयोग पूरी तरह से नहीं मिल रहा है। यदि इन परियोजनाओं के प्रभारी अधिकारी उचित प्रकार के नहीं होंगे तो इन दो वर्षों में सफलता नहीं मिलेगी। ज़िलों में ज़िलाधीश के अधीन योजना समितियां कार्य कर रही हैं। मैंने देखा है कि इन ज़िलाधीशों ने इस योजना का अच्छी प्रकार से अध्ययन नहीं किया है फिर भी ये अन्य कार्यकर्त्ताओं को योजना की कार्यान्विति के बारे में बहुत अजीब प्रकार की बातें बतलाते हैं। अभी कुछ दिन पूर्व वित्त मंत्री ने कहा था कि बीस वर्ष में हमारी राष्ट्रीय आय दुगुनी हो जायेगी। किन्तु जब इस प्रकार के अधिकारी सामुदायिक परियोजनाओं के प्रभारी बनाये जायेंगे तो मुझे सन्देह है कि ये परियोजनायें सफल हो सकती हैं या नहीं।

श्री वल्लाथरास : गत कुछ महीनों में एक बड़ी गम्भीर स्थिति पैदा हो गई थी। वित्त मंत्रालय तथा शेष सरकार के बीच बहुत मतभेद पैदा हो गए थे। वर्तमान वित्त मंत्री से पहले जो दो वित्त मंत्री रहे हैं उन का भी यही हाल था। जब वित्त मंत्री ने अपना त्याग पत्र प्रस्तुत किया था तब मैं भी कुछ भावुक हो गया था। स्वतन्त्रता मिलने के बाद से वित्त मंत्रियों तथा सरकार के बीच परस्पर कुछ मतभेद से रहे हैं।

आय-व्ययक में योजना के लिए जो आवंटन किया गया था, उसका केवल ४० प्रतिशत ही व्यय किया गया है। अतः शेष काम कैसे पूरा हो सकता है। योजना के अधीन जो काम दिया गया है, सरकार उसे पूरा करने के लिए बिल्कुल अयोग्य सिद्ध हुई है। यदि योजना सफल हो गई तो इस मे कुछ लाभ होने की आशा है, किन्तु यदि यह असफल रही तो सारे समाज और राष्ट्र का बेड़ा ग़र्क हो जाएगा।

इन तीन वर्षों का अनुभव शोचनीय है। कुछ लोग कहते हैं कि सरकारी कर्मचारी ईमानदार नहीं हैं, बल्कि भ्रष्ट और अक्षम हैं और उन में न्याय और देश भक्ति की भावना नहीं है। कुछ और लोग यह समझते हैं कि वित्तीय प्रक्रिया के कारण, कुछ अवसरों पर व्यय के लिए वित्तीय मंजूरी रोक ली गई थी, और इस के फलस्वरूप प्रबंध अभिकर्त्ताओं या स्थानीय पदाधिकारियों को धन व्यय करने में बाधा पड़ी थी। यह योजना इस आधार पर तैयार की गई थी कि विदेशी सहायता मिलती रहेगी किन्तु अब यह आशा की जाती है कि इसे आन्तरिक संसाधनों से पूरा किया जाये। इस पर गम्भीरता से पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। योजना इस दृष्टि से बिल्कुल त्रुटिपूर्ण है कि यह कोई नहीं जानता था कि आरम्भिक अवस्थाओं में इसे क्रियान्वित करने के लिए धन कहां से प्राप्त किया जायेगा। वित्त मंत्री या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री को धन ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो खाद्य मंत्री कहेंगे कि उन्हें अपना काम करने में कठिनाई हो रही है। इसी पहलू को ध्यान में रख कर, वित्तीय नियन्त्रण के सम्बन्ध में विभिन्न मंत्रालयों में संघर्ष चल रहा है।

लोक लेखा समिति के दौरे के सम्बन्ध में मुझे दामोदर घाटी और अन्य स्थानों पर जाने का अवसर मिला है। मैं ने कुछ ऐसी चीजें देखी हैं, जो बहुत अच्छी हैं किन्तु ऐसी भी देखी हैं जो बिल्कुल खराब

[श्री वल्लाथरास]

हैं। दामोदर घाटी में एक स्थान पर एक बांध के लिए ७ करोड़ रुपय का अनुमान था। किन्तु उस में से २ १/२ करोड़ रुपये कर्मचारियों के लिए लगभग ३०० मकानों के निर्माण पर खर्च कर दिये गए थे। वहां रहने वाले केवल एक इंजीनियर, दो सहायक इंजीनियर १५ चपड़ासी और २० कलर्क थे। इस लिए कुछ मकानों को छोड़ कर शेष सब बन्द पड़े थे। ये २ १/२ करोड़ रुपये क्यों खर्च किये गय थे? प्रबंधकों ने इस राशि के लिए कहां से मंजूरी ली थी और इसे एक अनधिकृत मद पर क्यों खर्च किया। यह बिल्कुल अपव्यय है। सरकार को इस के लिए उत्तरदायी पदाधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिए थी किन्तु वर्तमान सरकार इस विषय में बहुत डरपोक है। मैं ऐसे बहुत से उदाहरण दे सकता हूं जिन में लोक-लेखा समिति और प्राक्कलन समिति ने पदाधिकारियों के अवगुण बतलाए हैं, किन्तु उन के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्य-वाही नहीं की। वास्तव में वित्तीय सलाहकारों के होते हुए भी कई स्थानों पर अनियमितताएं हुई हैं। जब तक सरकार एक कड़ी नीति नहीं अपनाएगी जिस से कि निरुत्साहित कर्मचारियों का सुधार किया जा सके, तब तक यहां ब्रिटेन की प्रक्रिया की नकल करने का कोई लाभ नहीं होगा। वहां के कर्मचारियों की नैतिकता और अनुशासन के स्तर बहुत ऊंचे हैं। राष्ट्र हित के लिए काम करना उन का मुख्य उद्देश्य है। इसी लिए उन्हें सफलता प्राप्त हुई है। किन्तु इन तीन या चार वर्षों में हमारा अनुभव इस के विपरीत है। पिछले तीन वर्षों में इस योजना को क्रियान्वित करने में अधिक प्रगति नहीं कर सके और इसमें बाधा कर्मचारियों ने डाली है अपव्यय और फजूलखर्ची भी उन्हीं के कारण हुई है। लोगों में यह धारणा है कि वर्तमान कर्मचारियों से योजना के लक्ष्य प्राप्त नहीं किये जा सकते। केवल धन लगाने से काम नहीं चल सकता। पदाधिकारियों की इमानदारी बुद्धि अनुभव और सचाई से ही योजना की त्रुटियां दूर की जा सकती है और इस के बचे हुए काम को पूरा किया जा सकता है।

मैं चाहता हूं कि लोक-लेखा समिति और प्राक्कलन समिति की एक संयुक्त समिति को इस मामले की जांच करनी चाहिए और सुधार के लिए सुझाव देने चाहिएं किन्तु मैं समझता हूं कि आय-व्यय बनाने की शक्तियों को कम करने से देश के प्रशासन में सुधार नहीं होगा।

गाडगिल समिति की रिपोर्ट को क्रियान्वित करने से ७५ रुपये से १०० रुपये तक वेतन पाने वाले उन कर्मचारियों को, जो 'ग' श्रेणी के स्थानों पर काम करते हैं मकान के किराये का भत्ता मिलना बन्द हो गया है। यह अन्याय दूर करने के लिए सरकार को 'ग' श्रेणी के स्थानों पर किराया भत्ता के प्रयोजन के लिए वेतन की सीमा १०० रुपये से १५० रुपये तक बढ़ा देनी चाहिए।

देश की स्थिति इतनी खराब नहीं है जितनी कि कुछ लोगों ने बतलाई है। यदि शान्तिपूर्ण तरीके से विचार किया जाये, तो देखा जायेगा सैद्धान्तिक रूप से आय-व्ययक ठीक है। राष्ट्रीय योजना ऋण जो कि प्रधान मंत्री ने चलाया है एक साहसपूर्ण पग है। राष्ट्रीय आय समिति की रिपोर्ट भी बहुत उत्साह जनक है। मैं तो यहां तक कह सकता कि यदि

आवश्यकता पड़ी तो देश के ४० करोड़ लोग ९०० करोड़ की सारी की सारी राशि अंशदानों द्वारा पूर्ण कर देंगे परन्तु शर्त यह है कि रुपया लेने के लिए गांधी जी के तरीके प्रयोग किये जायें।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : वित्त मंत्रालय का सम्बन्ध बहुत से विषयों से है। मैं अपना भाषण केवल भारत सरकार के अफ़ीम विभाग तक ही सीमित रखूंगा।

हमें अफ़ीम से बहुत आय होती है किन्तु मैं ने देखा है कि इस के प्रशासन की बहुत उपेक्षा की जाती है। यदि आप उन पदाधिकारियों की सूची को देखें, जिन का सम्बन्ध अफ़ीम के प्रशासन से है, तो ज्ञात होगा कि इस विभाग में ऊपर से नीचे तक माथुर ही माथुर भरे पडे हैं। आयुक्त से ले कर जिला पदाधिकारी तक सब पदाधिकारी माथुर हैं। मैं माथुरों के नियुक्त किये जाने के विरुद्ध नहीं हूं किन्तु मैं यह नहीं समझ सका कि इस प्रकार का एकाधिपत्य क्यों स्थापित किया गया है। सरकार को इस मामले की जांच करनी चाहिए और देखना चाहिए कि अन्य लोगों की कैसे उपेक्षा हुई है।

नीमच के अफ़ीम के कारखाने में चोपड़ा, पुरी, सूरी और बेदी भरे पड़े हैं, यद्यपि इस के चारों ओर राजस्थान का क्षेत्र है। स्थानीय लोगों को वहां क्यों नहीं नियुक्त किया जाता ? हाल में कुछ छंटनी करने का आदेश दिया गया है। किन्तु यह आदेश केवल स्थानीय कर्मचारियों पर लागू किया गया है। जो कर्मचारी उ० प्र० या पंजाब से आये हैं, उन पर हाथ नहीं डाला गया। इस का क्या कारण है ? इस अवस्था पर जब कि सारा देश अधिक काम के लिए तरस रहा है, छंटनी करना उचित नहीं है। काम दिलाऊ दफ्तर के बारे में भी एक शिकायत है। जब एक उम्मीदवार को किसी काम दिलाऊ दफ्तर के द्वारा काम मिल जाता है तो वह इस के द्वारा कोई और काम प्राप्त नहीं कर सकता, यद्यपि उस का पहला काम उसके लिए अनुपयुक्त भी हो। कोई ऐसा तरीका अपनाना चाहिए जिसके अनुसार भर्ती का मार्ग चाहे ये काम दिलाऊ दफ्तरों के द्वारा हो, सब के लिए खुला रहना चाहिए।

नीमच के अफ़ीम के कारखाने को बने हुए बहुत से वर्ष हो चुके हैं किन्तु आश्चर्य की बात है कि वहां के सब कर्मचारी अभी अस्थायी हैं। जिन की सेवा १५ से २० वर्ष तक की हो चुकी है, वे भी अस्थायी हैं। इस स्थिति में बहुत शीघ्र सुधार करना चाहिए।

यह तीसरा आयव्ययक है जो मैं इस सदन में पढ़ रहा हूं। इसे देख कर मालूम होता है कि हमारे वित्त मंत्री इसको कभी नहीं पढ़ते। कोई और व्यक्ति इन पुस्तकों को तैयार करता है। मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान अनुदानों की मांगों के अंक १ पृष्ट ४६६ की ओर दिलाना चाहता हूं। वह देखेंगे कि मुख्य शीर्षक '६' के नीचे 'पदाधिकारियों का वेतन' की मद में मादक वस्तु, आयुक्त, मुख्य लेखा पदाधिकारी निरीक्षण पदाधिकारी के सम्बन्ध में १९५३-५४ के लिए आय-व्ययक प्राक्कलन दिये गये हैं। किन्तु १९५३-५४ के संशोधित प्राक्कलनों या १९५४-५५ के आय-व्ययक प्राक्कबनों के कोई आंकड़े नहीं दिये गये। इसका क्या कारण है ? मैं जानता हूं कि ये सब अधिकारी और उनके क्लर्क काम कर रहे हैं। इस प्रकार के आंकड़ों के न दिये जाने से हमें बहुत कठिनाई होती है। वित्त मंत्री और उन के विभाग के पदा-

[श्री यू० एम० त्रिवेदी]

धिकारियों को इस मामले की जांच करनी चाहिए ।

राष्ट्रीय बचत योजना बिल्कुल ढंकोसला है । इस का अन्त होना चाहिए । इस योजना के अन्तर्गत होता यह है कि कुछ फैशनेबल पुरुष तथा स्त्रियां अपने मित्रों को प्रभावित करके कुछ रुपया कमा लेती हैं । वास्तव में काम डाक विभाग के क्लर्कों द्वारा किया जाता है । तो यह अतिरिक्त पारिश्रमिक इन क्लर्कों को क्यों न दिया जाये ? राष्ट्रीय बचत योजना को इस प्रकार चलाने की अपेक्षा इसे बन्द कर देना अच्छा है । आप डाक बचत बैंक में जमा कराये जाने वाले रुपये के लिये ब्याज की दर बढ़ा सकते हैं । ऐसा करने से बचत की राशि बहुत बढ़ जायेगी और यह उस बचत के अतिरिक्त होगी जो कि अन्य बचत योजनाओं द्वारा हो रही है ।

गाडगिल समिति ने यह सिफारिश की थी कि ५० प्रतिशत मंहगाई भत्ते को मंहगाई वेतन समझना चाहिए । इससे ७५ से १०० रुपया तक वेतन पाने वालों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है । उनमें से कुछ मकान किराया भत्ता पाने के भी अधिकारी हैं, यदि उनको ग वर्ग के स्थानों पर नियुक्त किया जाय तो अब स्थिति यह है कि यदि किसी व्यक्ति को ७५ रुपया वेतन मिलता है और ५० रु० मंहगाई भत्ता । तो मंहगाई भत्ते का पचास प्रतिशत वेतन में मिला देने से उसका वेतन १०० रु० हो जाता ह और तब उसे मकान किराया भत्ता नहीं मिलेगा । जो लोग इस वेतन क्रम में आ गये हैं उनके सम्बन्ध में कठिनाई उपस्थित होगी । इस पर विचार करने की आवश्यकता है ।

मुझे राज्यों की अनुदान सूची में राजस्थान का नाम न पाकर बड़ी निराशा हुई । राजस्थान में अनुसूचित आदिम जातियों के बहुत से लोग रहते हैं उनको कुछ भी अनुदान नहीं दिया गया है और न तो संविधान के अनुछेद २७५ (१) में समुचित व्यवस्था के अन्तर्गत ही कुछ राशि दी गई है ।

बड़े कोमल शब्दों में यह सुझाव रखा गया है कि हम बर्मा से अपना ऋण वसूल कर रहे हैं । हम जो यह आशा करते हैं कि बर्मा से चावल मंगाने में १३ पोंड प्रति टन हमें वापस मिल जायगा यह तो कोरी कल्पना मात्र है । यह राशि भी उसी ऋण में जोड़ दी जायगी । बर्मा से हमें कितनी हानि हुई है यह वे ही लोग जानते हैं जो वहां कुछ समय तक रहे हैं । लगभग १४ लाख भारतीय वहां पहले रहते थे किन्तु अधिकांश वहां से निकाल दिये गये और अब केवल १.८ लाख भारतीय ही रह गये हैं । भारतीयों द्वारा अर्जित किया धन वहां से इसलिये नहीं लाने दिया गया कि हम शोषण करने वाले लोग हैं और फिर भी हम बर्मा की सहायता करना चाहते है मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं किन्तु इस सहायता से कोई लाभ नहीं । यदि सहायता ही करनी है तो उससे कह दीजिये कि हमने अपना ऋण छोड़ दिया, अब हम उसे वापस नहीं लेंगे, किन्तु कम से कम इतना कीजिये कि वहां के भारतीय ईमानदारी से जो धन अर्जित करते हैं उसमें से अपने परिवार के भरण-पोषण के लिये कुछ धन भेज सकें । सरकार को चाहिये कि इस सम्बन्ध में उचित व्यवस्था करे ।

श्री शोभा राम (अलवर) : मैं केवल ख भाग के राज्यों की अनुदानों की मांगों

के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा । चार-पांच वर्ष पूर्व संघीय वित्तीय विलभव करार में यह कहा गया था कि मार्च १९५५ के अन्त तक सभी अन्तर्राज्य पारनयन शुल्क समाप्त कर दिये जायेंगे और इनके स्थान पर धीरे धीरे बिक्री कर लगा दिया जायगा ।

इस सम्बन्ध में और राज्यों के सम्बन्ध में तो नहीं किन्तु राजस्थान के सम्बन्ध में मुझे भली भांति ज्ञात है कि बिक्री कर लगाने के विषय में कुछ भी प्रगति अभी तक नहीं हुई है । किसी प्रश्न के सम्बन्ध में बताते हुए माननीय राज्य मंत्री ने सदन में कहा था कि १९५५ से आगे समय बढ़ाया जाय अथवा नहीं इस प्रश्न पर विचार किया जायगा । अन्तर्राज्य पारनयन शुल्क के अन्तर्गत जो वस्तुयें आती हैं उनको दो भोगों में विभाजित किया जा सकता है। एक वे वस्तुयें जिन पर बिक्री-कर लगाया जाने वाला है और दूसरी वे वस्तुयें जिन पर बिक्री-कर कभी भी लगाये जाने की आवश्यकता नहीं है ।

संविधान में ख भाग के राज्यों को यह आश्वासन दिया गया है कि एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच आयात व निर्यात के सम्बन्ध में वे ही लाभ मिलेंगे जो क भाग के राज्यों को उपलब्ध हैं । अभी हाल ही में राजस्थान विभाग सभा में बिक्री-कर विधेयक पुर:स्थापित किया गया है । तत्पश्चात् वह प्रवर समिति के पास भेजा जायगा । ईश्वर जाने तब तक क्या हो किन्तु राजस्थान की राज्य सरकार ने भारत सरकार को सूचित कर दिया है कि यदि वह बिक्री-कर लगाती भी है तो भी उस को १ करोड़ रुपये से अधिक की आय इससे नहीं होगी । राजस्थान की अनेक भूतपूर्व रियासतों के एकीकरण के समय सीमा-शुल्क से राज्य सरकारों को लगभग ४ करोड़ रुपया मिलता था । इस में से यदि १ करोड़ रुपया निकाल भी दिया जाय, जो बिक्री-कर से प्राप्त होने वाला है, तो भी ३ करोड़ रुपये का प्रश्न रह ही जाता है । इस राशि की पूर्ति कैसे हो यह प्रश्न सम्मुख आ जाता है ? मेरे विचार से उन वस्तुओं के सम्बन्ध में कोई कठिनाई रह ही नहीं जाती है जिन पर बिक्री-कर नहीं लगाया जायगा । यदि अन्य वस्तुओं पर बिक्री-कर दो वर्ष बाद लगाया जाता है, तो ३ करोड़ रुपये की हानि होगी । अत: इस प्रश्न पर वित्त मंत्रालय तथा भारत सरकार मिल कर विचार करें तथा जिन वस्तुओं पर बिक्री-कर लगने वाला है, उनको अन्तर्राज्य पारनयन-शुल्क से मुक्त कर दिया जाना चाहिये ।

भारतीय राज्य वित्त सम्बन्धी जांच समिति तथा वित्त आयोग सभी इस बात से सहमत हैं कि ख भाग के राज्य भी क भाग के राज्य के समान ही समझे जाने चाहिये । राज्यों के विलयन से राजस्थान सरकार को वास्तव में देखा जाय तो केवल ३०-४० लाख रुपये प्रतिवर्ष का लाभ हुआ है जब कि वित्तीय-विलयन के परिणामस्वरूप उसमें ५ करोड़ रुपये की कमी पड़ती है जिस पर किसी भी जांच समिति अथवा वित्त आयोग ने ध्यान नहीं दिया है । विशेष सहायता जांच समिति को तो इस पर विचार करने के लिये मना कर दिया गया था । राजस्थान सरकार को एकीकरण के समय ८५ लाख रुपये का

[श्री शोभा राम]

घाटा था। दूसरी बात यह है कि राजस्थान राज्य-सरकार की सेवाओं के वेतन क्रमों में समानता लाने के लिये कि जिससे वेतन क्रम क भाग के राज्यों के बराबर हो सकें, ६० लाख रुपये की व्यवस्था करनी होगी।

राजस्थान की आर्थिक दशा यह है कि अन्तर्राज्य पारगमन शुल्क के समाप्त हो जाने से ३ करोड़ रुपये की हानि होगी। यदि इन सभी चीज़ों पर विचार किया जाय तो कुल मिला कर यह हानि ५–६ करोड़ रुपय तक होगी।

राजस्थान में अकाल पड़ना एक स्थायी सी चीज़ हो गई है। जैसलमेर तथा अन्य स्थानों में पीने के पानी की भी बड़ी कठिनाई है। पानी पीने के लिये लोगों को १४ मील तक जाना पड़ता है। हज़ारों की संख्या में इन स्थानों के लोग उत्तर प्रदेश अथवा अन्य राज्यों को पीने के पानी की कमी के कारण भाग रहे हैं। जोधपुर की दो तहसीलों में तो ऐसा विषैला पानी है कि उसके पीने से पशुओं तक की मृत्यु हो जाती है। वहां वर्षा में पानी जमा कर लिया जाता है जो बाद तक काम में आता है और जब वर्षा नहीं होती है उस समय की कठिनाई का तो अनुमान लगाना ही कठिन है। इस सम्बन्ध में पर्यवेक्षण करके पीने के पानी की उचित व्यवस्था की जानी चाहिये।

तम्बाकू शुल्क अभी वहां कुछ बाकी है। इस सम्बन्ध में तथा उत्पादकों को छूट देने के विषय में वित्त उपमंत्री ने राजस्थान के कुछ ज़िलों का दौरा किया था। तीन–चार मास व्यतीत हो चुके हैं किन्तु अभी तक उनका कोई आदेश छूट के सम्बन्ध में नहीं प्राप्त हुआ है। केन्द्रीय उत्पादन पुस्तिका के विद्यमान नियम पूरी तरह लागू नहीं किये जाते हैं और यहां कुछ प्रथायें ऐसी चल रही हैं जो इन नियमों के प्रतिकूल हैं। एक व्यक्ति की ३० सेर तम्बाकू पर कुछ भी शुल्क नहीं लिया गया है। मेरे विचार से न्यूनतम तथा अधिकतम भूमि निर्धारित हो जानी चाहिये। जो व्यापार करना चाहते हैं उनके लिये अधिकतम भूमि दी जानी चाहिये यह २ एकड़ प्रति व्यक्ति निश्चित की जा सकती है किन्तु उत्पादन क्षेत्र के अनुसार कम या अधिक हो सकती है। जो व्यक्ति अपने उपभोग के लिये इसकी खेती करते हैं उन के लिये एक या डेढ़ बिस्वा से अधिक भूमि पर तम्बाकू बोने से मना कर दिया जाय इतने क्षेत्र में छूट की सीमा के लगभग ही तम्बाकू उत्पन्न होगी। एक बिस्वे में लगभग २५ सेर तम्बाकू उत्पन्न होती है। ऐसे नियम बना देने से तम्बाकू की खेती करने वालों तथा अधिकारियों दोनों को सुविधा हो जायगी। इससे किसानों को भी सन्तोष रहेगा और उत्पादन शुल्क विभाग के लिये यह व्यवस्था बचततूर्ण भी होगी।

श्री ए० एन० विद्यालंकार (जालंधर): सभापति जी; सब से पहले मुझे इस बात का अहतराम करना है कि इस समय हमारे देश का फाइनेन्स (वित्त) जिन मजबूत हाथों में है उस ने हमारे देश की साख को बढ़ाया है और हमारे देश की गवर्नमेंट (सरकार) और उस के तमाम फाइनेन्शियल स्ट्रक्चर (आर्थिक ढांचे) को बहुत मज़बूत बनाया है। पिछले कुछ सालों के अन्दर हमारे देश के फाइनेन्स जिस तरीके से रखे गये हैं और जिस तरह से हमारी फाइनेन्शियल पालिसी

(आर्थिक नीति) को चलाया गया है अगर वैसा हमारे देश में न होता तो शायद हमें कई तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता। आज अगर हम डेफिसिट फाइनेन्सिंग (घाटे की अर्थव्यवस्था) की पालिसी पर चलने के काबिल हुए हैं और उसके ज़रिये अपने देश की उन्नति के लिए और अपने देश की सुधार योजनाओं को पूरा करने के लिए हम कुछ धन एकत्र करने के काबिल हुए हैं तो उस की वजह यही है कि अब तक हमारे देश की फाइनन्शियल पोजीशन (आर्थिक स्थिति) बहुत मजबूत रखी गई है और बहुत कुशल हाथों के द्वारा उसको चलाया गया है।

लेकिन मैं यह अनुभव करता हूं कि अब वह वक्त आ गया है जब कि हमें कुछ ज्यादा तेजी के साथ प्रगति करनी चाहिए और हमारी पालिसी (नीति) में कुछ ज्यादा तेजी आनी चाहिए कुछ डाइनेमिज्म (गतिशीलता) आनी चाहिए। और मैं यह समझता हूं कि इस तरह का डाइनेमिज्म कुशल हाथों में ही और कुशल व्यक्तियों के जरिये ही आ सकता है, जिन्होंने कि हमारे फाइनेन्स को बहुत सावधानी के साथ चलाया है। अगर हमारा फाइनेन्स कमजोर हाथों में हो तो उस दशा में हम ज्यादा प्रगति नहीं कर सकेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इस समय हमारे फाइनेन्स डिपार्टमेंट (वित्त विभाग) की पालिसी को कुछ ज्यादा प्रगतिशील बनाया जायगा और उस में जगह जगह पर जो बहुत ज्यादा "स्टाप्स" और 'चैक्स" (रुकावटें तथा बाधायें) हैं उनको हटाया जायगा, और हमारे धन का जो कई स्थानों पर अपव्यय होता है उस को रोका जा सकेगा। ऐसा महसूस होता है कि इस समय हम जो कुछ धन एकत्र कर रहे हैं वह एक "सिंक" में चला जाता है और उससे परा रिटर्न (लाभ) नहीं मिल पाता है। हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर (वित्त मंत्री) साहब संस्कृत के श्लोकों को कोट (उद्धृत) करने के आदि हैं और उन्होंने ही शायद एक दफा कालिदास का श्लोक कोट (उद्धृत) किया था :

"सहस्रगुणमुत्स्रष्टुमादत्ते हि रसं रविः।"

अर्थात् सूर्य काफी पानी खींचता है लेकिन उस का सहस्रगुना वह वर्षा के रूप में लौटा देता है, लोगों को ही वापिस कर देता है। आज हम देखते हैं कि जितना धन फाइनेन्स मिनिस्टर द्वारा अपने कंट्रोल (अधिकार) में लिया जाता है उस अनुपात में जनता को वापस नहीं होता। मैं समझता हूं कि ऐसा करने के लिए हमारे फाइनेन्शियल कंट्रोल (वित्तीय नियंत्रण) ऐसे होने चाहिए जिन में काफी मितव्ययता इकानामी हो, और हमारे धन का बराबर बराबर विभाजन हो। इस समय धन का विभाजन बराबर बराबर नहीं होता हमारे फाइनेन्स विभाग को ऐसे तरीके सोचने चाहिए ओर ऐसी योजनाएं सोचनी चाहिए कि हमारे फाइनेन्शियल स्ट्रक्चर में ऐसा परिवर्तन हो जाय कि जो बहुत बड़े अन्तर हैं उन को दूर किया जा सके। मेरा यह अनुभव है कि इस समय कंजरवेटिज्म (अनुदारता) तथा ज़रूरत से ज्यादा सावधानी की भावना बहुत ज्यादा है। हम इतने ज्यादा 'काशस' (सतर्क) हो रहे हैं कि जितना हमको नहीं होना चाहिए। हम फाइनेन्स को काशन के साथ काम में लावें लेकिन इतने ज्यादा काशस भी न हो जायं कि आगे पैर न उठा सकें। यह गलत चीज है। जो छोटे मुलाजिम हैं और जो बड़े मुलाजिम है उनकी आमदनी में बहुत अन्तर है। इसको कम करने के लिये फाइनेन्स विभाग को खास तौर पर योजना बनानी चाहिए ताकि उस तरफ प्रगति होने लगे। पंजाब गवर्नमेंट ने यह प्रस्ताव किया था कि ७५० रुपये से

[श्री ए० एन० विद्यालंकार]

ऊपर वाले जो मुलाजिम हैं उनको महंगाई भत्ता बन्द कर दिया जाय, लेकिन मुझे अफसोस है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया ने उस को रोक दिया और पंजाब गवर्नमेंट को इस बात की इजाजत नहीं दी कि वह उस पर अमल कर सके। तो मैं समझता हूं कि अगर पंजाब गवर्नमेंट या कोई प्रान्तीय गवर्नमेंट इस तरफ कदम उठाना चाहे जो कि बहुत वांछनीय है, तो फाइनेन्स विभाग को उसको रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए बल्कि उनकी यह कोशिश होनी चाहिए कि वह इस को एनकरेज (प्रोत्साहित) करें। इस समय हमारे खर्च और आमदनी का हाल यह है कि जहां पर फाइनेन्शियल कंट्रोल बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिएं वहां बहुत ज्यादा हैं और जहां बहुत ज्यादा होने चाहिएं वहां कम हैं। तो इस अवस्था को ठीक करना चाहिए और इस दिशा में ज्यादा प्रयत्न होना चाहिए और हमें इस बात का निश्चय करना चाहिए कि यह जो कंजरवेटिज्म आ गया है, यह जो पुरानी लकीर पर चलने की भावना या रट से बाहर न जाने की भावना आ गयी है वह दूर होनी चाहिए और हमें तेजी से आगे बढ़ना चाहिए।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह रूरल फाइनेन्सिंग (ग्रामीण अर्थ व्यवस्था) के बारे में है। इसमें कोई शक नहीं कि हमने प्रयत्न किये हैं और इम्पीरियल बैंक की और रिजर्व बैंक की शाखें खोली हैं। लेकिन जब हम व्यवहार में देखते हैं तो पाते हैं कि इस से स्थिति पर बहुत कम असर पड़ा है। आप के सारे देश में इम्पीरियल बैंक की ८० शाखायें खोलने से यह सवाल हल नहीं होता; क्योंकि देहातों में जो छोटी पूंजी वाले लोग हैं और जो कोई इंडस्ट्री (उद्योग) खोलना चाहते हैं उनको रिहैबिलिटेशन फाइनेन्स (पुनर्वास वित्त) पर एडमिनिस्ट्रेशन (प्रशासन) से या इंडस्ट्रियल फाइनेन्स कारपोरेशन (औद्योगिक वित्त निगम) से रुपया मिलने में काफी रुकावटें हैं। मैं यह नहीं चाहता कि हम कंट्रोल को इतना ढीला कर दें कि रुपया जाया चला जाय लेकिन मैं यह भी नहीं चाहता कि वह रुकावटें इतनी सख्त हों कि लोग हिम्मत हार कर बैठ जायं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो कि कोआपरेटिव सोसाइटीज़ बनाने के लिये लोन चाहते हैं बैंकों के ज़रिये, रिहैबिलिटेशन फाइनेन्स से या दूसरे इंस्टीट्यूशन्स से। उनकी संख्या बहुत कम है। लेकिन जब वह कोशिश करते हैं तो इतने ऐतराज किये जाते हैं और उन के सामने ऐसी रुकावटें आती हैं कि वह थक जाते हैं वह इंसपैक्टरों और दूसरे अफसरों के पास जाते जाते थक जाते हैं और अपने इरादों को छोड़ देते हैं। तो हम को इतना ही काशन बरतना चाहिए कि काम आगे बढ़ें, इतना नहीं कि उद्देश्य ही नष्ट हो जाय। हमें रूरल फाइनेन्स के मुताल्लिक ऐसी योजना बनानी चाहिए कि जो हमारी अधिकतर जनता देहातों में रहती है उसको किसी न किसी तरह रुपया मिल जाय। हमारा कंट्रोल हो लेकिन उस में यह मौका हो कि लोग तरक्की कर सकें।

मुझे अपनी कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स (सामुदायक परियोजनाओं) का अनुभव है और मैं जानता हूं कि हमारी सरकार उन पर काफी रुपया खर्च कर रही है लेकिन हमारी गवर्नमेंट का ढांचा पहले से ही कुछ ऐसा बना है, और उसको हम बदल नहीं सके हैं, कि हमारा ज्यादातर रुपया 'सिंक' में बह जाता है। मैं मानता हूं कि हमारी कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स में अच्छा काम हो रहा

है लेकिन पूरा कंट्रोल न होने से, प्रापर बजटिंग न होने से और पूरी योजना न होने से लोग यह अनुभव नहीं करते हमारा वह रुपया हमारी पाकेट में आ रहा है और हमारे लिए इस्तेमाल हो रहा है लेकिन एक तरह के रुटिन (दैनिक कार्यवाही) के अन्दर, तनख्वाहों और सफर खर्च के अन्दर काफी रुपया खर्च हो जाता है। अगर आप तलाश करें और देखें तो आप को मालूम होगा कि बहुत सारा रुपया जो बच सकता था वह दूसरी तरह के रुटिन में चला जाता है। मेरा यह मतलब नहीं कि काम नहीं होता लेकिन जितना होना चाहिये उतना नहीं होता। हमारा गरीब देश है इसलिए हमको इस तरह के लीकेज को रोकना चाहिए।

मुझे खुशी है कि एक्साइज़ ड्यूटी (उत्पादन शुल्क) के बारे में हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर (वित्त मंत्री) साहब ने काफी परिवर्तन किया है और इन दिनों वे काफी डेप्यूटेशनों (प्रतिनिधि मंडलों) से मिले हैं और अपने पास काफी काम होने के बावजूद भी उन्होंने उनकी बात को बहुत धैर्य के साथ सुना है। मैं खास तौर पर यहां पंजाब के अमृतसर और लुधियाने के आर्टसिल्क (नकली रेशम) उद्योग के बारे में कहना चाहता हूं। थोड़ी थोड़ी पूंजी इकट्ठी करके लोगों ने यह उद्योग खड़े किये हैं और पार्टीशन (विभाजन) के बाद इन लोगों को पहले ही काफी कष्ट हो चुका है।

मैं मानता हूं कि फ़ाइनेंस मिनिस्टर साहब ने उनके डेपुटेशनों को बहुत ध्यान से सुना है और उनके सम्बन्ध में बहुत मेहनत के साथ फ़ीगर्स (आंकड़े) वगैरह इकट्ठा किये हैं। मैं चाहता हूं कि वह इस बात की ओर विशेष रूप से ध्यान दें और पंजाब की जो इंडस्ट्रीज़ हैं जिन्हों ने इंडस्ट्रीज़ शुरू की हैं उनको काफी रिलीफ़ देने की कोशिश करें। अगर वह बिल्कुल सारी आर्ट सिल्क पर से ड्यूटी (शुल्क) हटा नहीं सकते, और काफी परिवर्तन नहीं कर सकते तो कम अज़ कम इस बात का शुरू से प्रयत्न करें कि यह जो पंजाब के इलाके हैं जिन पर काफ़ी बोझ है पहले से काफी बोझ बर्दाश्त किये हुए हैं, वहां पर इंडस्ट्रीज़ को कोई नुकसान न पहुंच सके क्योंकि वहां पर अगर इंडस्ट्रीज़ को नुक़सान पहुंचेगा तो बहुत से लोग जो पाकिस्तान से आकर थोड़ा बहुत पैर जमा पाये हैं वे फिर उखड़ जायेंगे और हमें उनको फिर नये सिरे से बसाने की समस्या का सामना करना पड़ेगा। मैं अनुभव करता हूं कि इसमें जितना और जहां तक परिवर्त्तन वह कर सकते हों वह इस बारे में करें।

एक चीज़ और कह कर मैं अपना कथन समाप्त करता हूं और वह रिहैबलिटेशन का कार्य है। इस सम्बन्ध में यह अनुभव किया जाता है कि जब हम कम्पेनसेशन (क्षतिपूर्ति) दे रहे हैं तो रिहैबलिटेशन के काम के लिये हम ज़्यादा रुपया खर्च न करें, लेकिन मैं इसके विपरीत अनुभव करता हूं कि रिहैबलिटेशन के लिये अभी और ज्यादा रुपया खर्च करने की ज़रूरत है।

हमें इस काम को भी एक तरह से नेशनल रिकंसट्रक्शन (राष्ट्रीय पुनर्निर्माण) का काम समझते हुए रिहैबलिटेशन के लिये ज्यादा रुपया फ़ाइन्ड आउट (प्राप्त) करना चाहिये आज हमारे फ़ाइनेंस पर काफी बोझ है और बावजूद इसके कि हम कम्पेनसेशन इवैक्युई प्रापरटी में से निकाल कर उन को दे रहे हैं फिर भी काफी रुपया जो गवर्नमेंट की दूसरी आमदनी की मदें हैं उनमें से निकाल कर

[श्री ए० एन० विद्यालंकार]

देना पड़ा है और देना पड़ रहा है यह सब होते हुए भी मैं समझता हूं कि आवश्यकता इस बात की है कि रिहैबलिटेशन के लिये हमें और ज्यादा रुपया निकालने की कोशिश करनो चाहिये जैसे कि हम आवश्यक कामों के लिये रुपया निकालते हैं वैसे ही इस रिहैबलिटेशन के काम को भो बहुत आवश्यक समझ कर और ज्यादा रुपया निकालना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री टी० एन० सिंह : सभापति महोदय मैं समझता हूं कि वित्त मंत्रालय सब से महत्वपूर्ण मंत्रालय है। इसे न केवल खर्चे पर नियंत्रण रखने के मामले में सावधान रहना होता है अपितु सारे विषयों पर उदार दृष्टिकोण से विचार करना होता है।

मैं कई भाषणों को ध्यानपूर्वक सुनता रहा। एक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया कि लेखा-परीक्षण तथा लेखा प्रशासन का काम अलग अलग होना चाहिये। मैं उनके इस सुझाव से पूर्णत: सहमत हूं। लोक लेखा समिति ने भी इस बात पर ज़ोर दिया है इस में अवश्य ही शुरू-शुरू में कुछ कठिनाइयां उत्पन्न होंगी, परन्तु यह एक ऐसा सुधार है जिसे क्रियान्वित करने में विलम्ब न किया जाना चाहिये।

मैं इस बात का एक बड़ा समर्थक हूं कि राष्ट्र के वित्त पर संसद का पूर्ण नियंत्रण रहना चाहिये। इस मामले में कोई नर्मी न होनी चाहिये। यहां मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान एक विशेष बात की ओर दिलाना चाहता हूं। संविधान के अन्तर्गत स्थिति में कुछ परिवर्तन आ गया है। पहले सदन केवल मांगें अथवा अनपूरक मांगें स्वीकार करने अथवा न करने पर ही संतोष करता था। उसके बाद माननीय सदस्यों को दूसरे बजट तक उन मांगों आदि के सम्बन्ध में कुछ बोलने का मौका न मिलता था यद्यपि फिज़ूलखर्ची आदि की कई घटनाएं उनके ध्यान में आती थीं। परन्तु आज यदि सरकार मंज़ूर की गई राशि से अधिक धन राशि खर्च कर ले तो उस अतिरिक्त व्यय के लिए पुन: सदन की मंज़ूरी प्राप्त की जानी चाहिये। लोक लेखा समिति ने १९५०-५१ तथा १९५१-५२ के लेखों की पड़ताल की है। अब वह १९५२-५३ के लेखों की पड़ताल कर रही है। इस समय जितने लेखों का परीक्षण आदि हुआ है यदि उन में अतिरिक्त व्यय का कोई मामला होगा तो वह नये संविधान के अन्तर्गत सदन के समक्ष लाया जाना चाहिये। मैं मंत्री जी का ध्यान इस समस्या की ओर दिलाता हूं तथा उन्हें यथा सम्भव शीघ्र सारी स्थिति नियमित करने के लिए प्रार्थना करता हूं। सदन को इस बारे में सचेत रहना चाहिए कि यह अत्यधिक व्यय क्यों होता है तथा कुछेक मामलों में मंज़ूर किया गया सारा पैसा काम में क्यों नहीं लाया जाता है। इसका अर्थ यह है कि या तो प्राक्कलन के काम में कोई दोष है या धन नष्ट किया जाता है। प्राक्कलन तैयार करने के काम में सुधार की बड़ी गुंजाइश है। इतना ही नहीं, बल्कि हमें अनुभव से भी कई बातें सीख लेनी चाहियें। यदि खर्च में कुछ ज्यादती हुई हो तो सरकार सदन में आ कर स्थिति स्पष्ट कर सकती है कि आया यह फिज़ूलखर्ची से ऐसा हुआ है अथवा कि अन्य किसी कारण से।

दूसरी बात यह है। जब खर्च के लिए एक बड़ी धनराशि रखी जाती है तो खर्चा

राजस्व से बहुत ज्यादा होता है। उस दशा में आप या तो और अधिक कर लगा कर इसे पूरा करते हैं या यह प्रकट करते हैं कि बहुत भारी घाटे की वित्त व्यवस्था है। वास्तव में ऐसी बात नहीं होती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस स्थिति का सुधार किया जाना चाहिये।

घाटा पूरा करने के लिए हम आय के नित्य नये स्रोत ढूंढते रहते हैं। परन्तु देखना यह है कि यह धन कहां से आ सकता है। जहां तक पूंजीपतियों का सम्बन्ध है बड़ी बड़ी रियायतों के बावजूद वह अपनी पूंजी छुपा के रखे हुए हैं। पूंजी का यहां जो कुछ भी निर्माण हो रहा है वह हमारी मध्य वर्गीय जनता के सहयोग से हो रहा है। पूंजीपतियों का रवैय्या निराशा-जनक है। माननीय मंत्री मुझ से सहमत होंगे कि प्रलोभनों के बावजूद पूंजी उसी तरह से छुपी हुई है जैसे कि यह पहले थी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमें मध्य वर्ग को जोकि हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी है, प्रोत्साहन देना चाहिये। छोटी छोटी बचत से सरकार को जो धन प्राप्त हुआ है वह अन्य साधनों द्वारा की गई बचत से अधिक है। किसी भी राष्ट्रीय ऋण की अपेक्षा राष्ट्रीय बचत योजना से सरकार को अधिक धन मिला है। इन्हीं लोगों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। मध्यवर्गीय लोगों की स्थिति क्या रही है? उनकी आय तथा व्यय में जो अन्तर रहता था वह खत्म हो रहा है। कुछ मामलों में अब आय की अपेक्षा व्यय ही ज्यादा है। प्रश्न यह है कि उनके लिए क्या कुछ किया जा सकता है? वेतन तो उनके बढ़ाये नहीं जा सकते हैं। उन्हें सुविधा मिलने का एक तरीका यह था कि कीमतें गिर जातीं। परन्तु सरकार की करारोपण नीति के कारण कीमतें बढ़ ही रही हैं। जब तक कि हम उनके आय तथा व्यय का अन्तर न बढ़ावेंगे तब तक पूंजी निर्माण सम्भव नहीं है। इस उद्देश्यपूर्ति के लिए करारोपण आयोग तथा अन्य आयोगों को आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिये।

हमें केवल शहरों तथा कस्बों में रहने वाली मध्यवर्गीय जनता को ही ध्यान में नहीं रखना है, अपितु ग्रामों में रहने वाली मध्यवर्गीय जनता को भी ध्यान में रखना है। वह भी छोटी बचत योजनाओं में अपना सहयोग दे रही है उनकी आय भी घट रही है। उनकी हालत सुधारने के लिए भी कोशिश की जानी चाहिये ताकि पूंजीनिर्माण के कार्य में सहायता मिल सके।

कर व्यवस्था को लीजिये। अप्रत्यक्ष कर लगाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। अधिकांश रूप से इनका भार उपभोक्ताओं पर पड़ता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कर केवल ऐसे लोगों से वसूल किये जाने चाहियें जोकि यह अदा कर सकते हैं न कि गरीब जनता से। यह ठीक है कि राष्ट्रीय योजना को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी सबों को उठानी चाहिये। वह तो श्रमदान देने के लिए तैयार हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन करों तथा शुल्कों पर फिर से विचार किया जाना चाहिये, विशेषकर तम्बाकू शुल्क पर। खेतिहरों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है।

प्रशासन व्यवस्था के बारे में कई शिकायतें आती रहती हैं। इस में सुधार किया जाना चाहिये अन्यथा इसके परिणाम बुरे होंगे।

जहां तक विदेशी पूंजी का सम्बन्ध है, मेरे मित्र श्री साधन गुप्त ने बताया

[श्री टी० एन० सिंह]

कि हमें इस की अपेक्षा भारतीय पूंजी को प्रोत्साहन देना चाहिये भारतीय पूंजी का रवैय्या इस समय तक उदासीनता का तथा असहयोग का रहा है। मैं उन्हें और अधिक रियायतें तथा प्रलोभन देने के विरुद्ध हूं।

श्री दिगंबर सिंह: सभापति जी, आप ने मुझे जो बोलने का अवसर दिया है, उस के लिये मैं धन्यवाद देता हूं। जिस विषय पर इस समय मैं बोल रहा हूं, मैं समझता हूं कि वह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, हमें खुशी है कि हमारे देश के एक बहुत ही सुयोग्य व्यक्ति इस का संचालन कर रहे हैं।

सभापति जी, अगर हम देश को एक मान कर विचार करें, तो मुझे यह कहना पड़ेगा कि हमारा देश तरक्की कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। किन्तु यदि हम देश के दूसरे हिस्से को भी जो कि देहात है देखते हैं तो हम कहेंगे कि हमारे देश का वह हिस्सा पीछे की तरफ जा रहा है। मैं कहता हूं कि हमारे देश की ऐसी हालत हो रही है कि जैसे किसी आदमी का पेट तो मोटा हो रहा हो और उसके हाथ, पैर और दूसरे अंग कमज़ोर हो रहे हों। जिस समय इस पंच वर्षीय योजना पर विचार हो रहा था तो मैं ने कहा था कि यह पंचवर्षीय योजना बड़ी अच्छी है लेकिन उससे हमें ऐसा मालूम होता है कि गरीब अधिक गरीब हो जायंगे और जो मालदार हैं वे अधिक मालदार हो जायंगे। मैं ने यहां तक कहा था कि जिनके पास दो दो और चार चार कारें हैं उनके पास छः छः, आठ आठ और दस दस कारें हो जायंगी। परिणाम वही हुआ आज यह है कि जो देहातों के मज़दूर हैं उनकी हालत बहुत खराब है और वह दुःखी हैं। जो मज़दूर पहले दो और ढ़ाई रुपये रोज़ पर देहात में नहीं मिलता था वह, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आज एक रुपये और बारह आने रोज़ पर मिल जाता है तो आप विचार कीजिये कि यदि आप इन गरीबों को और मज़दूरों को देश का भाग समझते हैं तो आपको मानना होगा कि देश तरक्की नहीं कर रहा है। आप देहात की समस्या हल करने के लिए, भूमि की समस्या हल करने के लिए विचार करते हैं। आप भूमि की अधिक से अधिक सीमा निर्धारित करने का विचार करते हैं लेकिन आप ने उन पूंजी पतियों के बारे में विचार नहीं किया जो कि लाखों और करोड़ों रुपया पैदा करते हैं। आप गरीब और अमीर का भेद मिटाना चाहते हैं। हमारे प्रधान मंत्री ने पंचवर्षीय योजना पर बोलते हुए हम को आश्वासन दिया था कि हम इस भेद को कम ही नहीं करना चाहते बल्कि इस को मिटा देना चाहते हैं। इसके लिये आप एस्टेट ड्यूटी बिल लाये लेकिन इसके अनुसार हमको बहुत समय तक इन्तज़ार करना पड़ेगा कि एक करोड़पति साधारण हैसियत पर आ जाय। एक करोड़पति के मरने पर उसके धन का कुछ हिस्सा टैक्स में आप ले लेंगे। बाकी धन उसके बच्चों को मिलेगा। इस तरह से एक करोड़पति का परिवार सैकडों वर्षों तक धनी बना रह सकता है। जिस तरह से आप भूमि के लिए सीलिंग निर्धारित कर रहे हैं उसी तरह से एक बिल ला कर सम्पत्ति की भी सीलिंग निर्धारित कर दें कि कोई आदमी एक लाख से अधिक सम्पत्ति न रख सके। यदि आप गरीब अमीर के अन्तर को कम करना चाहते हैं तो आप अधिक से अधिक निर्धन और लखपति तक

का ही अन्तर रखिये, करोड़पति अरबपति तक का नहीं । मैं कहता हूं कि जहां आज हमारे देश में गरीबी की यह हालत है वहां दूसरी तरफ लोग डिनर और डांस में लाखों रुपये खर्च करते हैं और उन लोगों के लिए तरह तरह की सुविधाओं का प्रबन्ध किया जाता है । यह अच्छा नहीं मालूम होता। आप देखें कि एक तरफ गरीबों के गेहूं के खेत बिना पानी के सूखे जाते हैं वहां दूसरी तरफ शहरों में घास के लिए पानी का प्रबन्ध किया जा रहा है । शहरों में देखें कि एक आदमी के पास तो सिनेमा के लिए अलग कार है, डिनर के लिए अलग कार है, डांस में जाने के लिए अलग कार है क्लब में जाने के लिए अलग कार है । आप सिनेमा में जाकर देखें, कि जहां एक मजदूर को देहात में प्रतिदिन आठ आने मिलते हैं, यहां सिनेमा में जगह नहीं मिलती । अगर आप को हिन्दुस्तान की तरक्की करनी है तो आप गरीब मजदूर और किसान की तरक्की कीजिये । जो पूंजीपति हैं आपको उनकी तरक्की नहीं करनी चाहिए ।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब हम अपने यहां की समस्याओं को देखते हैं और अपनी सरकार की अर्थ नीति को देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि हम लढ़िया गाड़ी में बैठकर उन लोगों की बराबरी करना चाहते हैं जो हवाई जहाजों में सफर कर रहे हैं । हमारी बढ़ती हुई आबादी का यह हाल है कि एक साथ एक साल में ४० लाख आदमी बढ़ जाते हैं बढ़ी हुई आबादी से एक साल में पैप्सू जैसा सूबा बन सकता हैं और देहली जैसे कई शहर नये आबाद हो सकते हैं और एक साल की बढ़ी हुई आबादी के लिए इस देश के अनुपात से १५,००० वर्ग मील भूमि की आवश्यकता होती है । गरीबी की समस्या को हल करने के लिए आप एस्टेट ड्यूटी बिल लाते हैं जिस से करोड़पति आदमी सैकड़ों वर्षों तक धनी बने रह सकते हैं । हम देखते हैं कि आज दुनिया किस तेजी से बदल रही है । विश्व युद्ध हवाई जहाज से शुरू हुआ और एटम बम से खत्म हुआ । आज हाइड्रोजन बम बन गया है और नाना प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं । इसी तरह अगर हम उन्नति करना चाहते हैं तो हमें क्रान्ति लानी चाहिए । आप शिकायत करते हैं कि लोग कम्युनिस्ट बनते जा रहे हैं । अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो आश्वासन दे दीजिये कि हम एक साल में या दो साल में जल्दी से जल्दी गरीबों को भर पेट खाना देंगे, रहने के लिए मकान देंगे और पहनने को कपड़ा देंगे । अगर आप दूध नहीं दे सकते और पक्के मकान नहीं दे सकते तो न दीजिये पर कम से कम एक झोपड़ में यह साधन तो आप दे सकते हैं । इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आज समय बदल रहा है, दुनिया बदल रही है और दुनिया की इस बदलती हुई परिस्थिति में आप लोगों को सत्य और अहिंसा का उपदेश देकर शान्त नहीं रख सकेंगे । उसके लिए तो आपको एक क्रान्तिकारी योजना सामने रखनी होगी । तभी आप इस बदलती हुई दुनिया में उनको शान्त रख सकेंगे और विश्वास दिला सकेंगे कि हम आप को शान्तिपूर्ण उपायों से सुखी बनाना चाहते हैं । आप लोगों को इस से संतोष नहीं दिला सकते कि पंच वर्षीय योजना चल रही है, या दिल्ली, कलकत्ते और बम्बई शहरों में तरक्की हो रही है । आपको उन्हें यह दिखलाना होगा कि उनके गांवों की तरक्की हो रही है । आज हमारा देश, दो भागों में बंटा हुआ है, शहर और देहात । मैं बतलाना

[श्री दिगंबर सिंह]

चाहता हूं कि गांव के लोग आपकी भाषा नहीं जानते, आपके मकान और मोहल्लों के नाम नहीं जानते, जो आप खाने खाते हैं उनका वे नाम तक नहीं जानते चमच और कांटे से खाने के तरीकों को नहीं जानते। जिन बर्तनों में आप खाते हैं वे लोग उनका भी नाम नहीं जानते। मैं अर्ज करूंगा कि एक तरफ तो लोग इस तरह से रहें और दूसरी तरफ़ उस तरह से रहें। क्या यह आपस का भेद नहीं ? क्या ऐसा अन्य किसी देश में हैं ? एक बात मैं और अर्ज करूंगा। एक आदमी जब भीड़ में रेल में बैठने की कोशिश करता है तो अन्दर वाले कहते हैं कि अन्दर मत आओ, जगह नहीं है लेकिन अगर वह आदमी धक्का मारकर अन्दर पहुंच जाता है तो पहला काम वह यह करता है कि वह बाहर वालों से कहता है कि डब्बे में जगह नहीं है अन्दर मत आओ। यही हालत आज हम देखते हैं उनकी है जो कि गाड़ी के डब्बे में घुस गये हैं। वह यह भूल गये हैं कि और लोगों की क्या हालत है और उनको कितना कष्ट है। वह उनके दुःख को भूल जाते हैं जिनके बच्चों को खाना नहीं मिलता और जिनको बीमार होने पर दवा नहीं मिलती। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि आज कल फस्ल के समय भी गरीब मजदूरों और किसानों को काम नहीं मिल रहा है। आप उन की अवस्था देखिये। उन के पास खाना नहीं है, कपड़ा नहीं है, वह भूखों मर रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आज हमें उन लोगों को बतला देना चाहिए कि हम उनके लिए एक योजना लाना चाहते हैं और अपनी अर्थ नीति को बदलना चाहते हैं। जो गरीब नौजवान आज भूखे रह रहे हैं हमें उन को आश्वासन दिलाना है कि उनको खाना मिलेगा। आज आप गांवों की हालत को देखिये। जो कुछ तरक्की की है वह बड़े बड़े आदमियों ने की है, बडे बडे शहरों में और कस्बों में तरक्की हुई है। लेकिन गांवों की यह दशा है कि वहां के लोग आज पिछले दो साल से अपेक्षकृत ज्यादा गरीब हैं। मैं अपने यहां की बाबत यानी उत्तर प्रदेश की बाबत बतलाना चाहता हूं। वहां ज़मींदारी प्रथा का अन्त हो गया है। अब जो लगान ज़मींदार लेते थे वह सरकार लेती है सरकार के पास गांवों से जो लगान जाता है वह पहले से ज्यादा है। आबपाशी पहले से ज्यादा लगती है, लड़कों की फीस पहले से ज्यादा है और दूसरे कर लग गये हैं। लेकिन कुछ वापस गांव में आता नहीं दिखायी देता इस प्रकार गांव पहले से अधिक गरीब हो रहे हैं। अगर आता भी होगा तो बड़े बड़े अफसरों के लिए आता होगा या बड़े बड़े कारखाने खुलने के लिए आता होगा लेकिन गांवों के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं। जो आप कर रहे हैं वह यह है कि आप शहर रूपी पेट को बढ़ा रहे हैं, पांवों को कमज़ोर कर रहे हैं, हाथों को कमज़ोर कर रहे हैं, आंखों को कमज़ोर कर रहे हैं। लेकिन याद रखिये कि अगर ये अंग सूख जायंगे तो पेट भी सूख जायगा और यह चर्बी खत्म हो जायगी इसलिए अब आप पेट की चर्बी को बढ़ाने के बजाय हाथों और पैरों के पुठ्ठों को मज़बूत बनाइये जिस से आप सारे शरीर को सुन्दर बना सकें।

इसलिए सभापति जी, मैं आपके द्वारा सरकार तक अपने उन लाखों ग़रीब मज़दूरों और किसानों की आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं जिनको जब हम कहते हैं कि इस पंच वर्षीय योजना से

तुम्हारा उद्धार होगा तो वह हम पर हंसते हैं और मैं आपसे कहूं कि उन मीटिंगों में जो हम उन्हें पंच वर्षीय योजना समझाने के लिए बुलाते हैं, हमारा सिर शर्म से झुक जाता है क्योंकि हम उनके लिए अभी तक वास्तव में कुछ नहीं कर पाये हैं। यह वाक्य है कि उनकी तरक्की वास्तव में नहीं हो रही है। इस लिए मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे उनकी समस्या पर स्वयं विचार करें, बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर और फाइल्स की बातें करना छोड़ दें। आज उनके लिए यह हमारे आई० सी० एस० अफ़सरों द्वारा जो हिसाब किताब लगाया जा रहा है, माफ करें, वह उस प्रकार है जैसे किसी एक कोली का लड़का स्कूल से पढ़ कर लौटा और जब वह नदी के किनारे पहुंचा तो उसने देखा कि नदी में कहीं पर तो पानी चार फुट है और कहीं दस, पन्द्रह फुट है तो उसने औसत निकाल कर कहा कि पानी कोई पांच फुट है सब लोग नदी पार कर सकते हैं। और उसके फलस्वरूप सब के सब आदमी उस नदी में डूब गए, हमारे आई० सी० एस० अफसर कुछ इसी तरह का हिसाब पंच वर्षीय योजना सामने पेश कर के बतला रहे हैं कि हमारा देश तरक्की कर रहा है, लेकिन परिणाम में हम क्या देखते हैं कि हमारे किसान और मज़दूर दिन पर दिन ग़रीब हो रहे हैं, हमारे मज़दूरों को नौकरी नहीं मिल रही है और उनकी हालत रोज़ ब रोज़ ख़राब से ख़राबतर हो रही है। समझ में नहीं आता कि पंच वर्षीय योजना सफल हो रही है और गांवो की स्थिति ख़राब होती जाती है। आज सबसे बड़ी ज़रूरत इस दयनीय अवस्था का अन्त करने की है और सरकार की ओर से तुरन्त सक्रिय कदम उठाए जाने चाहिए।

आज जिस प्रकार से हाइड्रोजन बम की एक बहुत बड़ी समस्या है। उसी तरह से हम हिन्दी बोलने वालों को यहां पर बोलने का अवसर मिलने की समस्या है। हमको एक तो बड़े सौभाग्य से कहीं बोलने का मौका मिल पाता है और यदि कहीं मौक़ा मिल भी पाता है तो अखबार वाले हमारी बातें पूरी पूरी नहीं छापते हैं, वह तो अपने मतलब की लिखते हैं और वह उन बड़े बड़े पूंजीपतियों के मतलब की बातें लिखते हैं। अगर कहीं हम लोगों को अवसर मिल भी जाता है तो सरकार द्वारा हमारी बातों पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना दिया जाना चाहिए। मैंने जो कुछ आपकी और हाऊस की सेवा में कहा वह कोई अकेले मेरी ही बात नहीं है वरन् इस देश के सात लाख गांवों में बसने वाले किसानों और मज़दूरों की बात है, आप उनकी दशा सुधारने का प्रयत्न करें, आज वे बहुत दुःख में हैं। अन्त में मैं आपको धन्यवाद देकर अपना भाषण समाप्त करता हूं कि आपने मुझे यहां पर बोलने का अवसर दिया।

श्री मूलचन्द दुबे (ज़िला फर्रुखाबाद—उत्तर) : श्रीमान्, माननीय वित्त मंत्री जहां धन उपलब्ध करने के लिए ज़िम्मेदार हैं वहां वह विभिन्न मंत्रालयों के सहयोग से इसे खर्च करने के लिए भी जिम्मेदार हैं। तो इस तरह से जहां एक ओर उन्हें धन उपलब्ध करने का श्रेय प्राप्त है वहां दूसरी ओर अपव्यय की शिकायत भी उन पर ही आ सकती है। मंत्रालय के काम की प्रगति इस बात से नहीं देखी जा सकती है कि उत्पादन कितना बढ़ गया है अपितु इस बात से देखी जा सकती हैं कि यह कहां तक बेकारी को कम कर सका है। बेकारी की समस्या

[श्री मूलचन्द दुबे]

पर सदन में भी चर्चा हुई, परन्तु इसे हल करने का कोई उपाय नहीं निकाला गया । सरकार ने इस सिलसिले में जो कुछ भी कार्यवाही की है वह अपर्याप्त है । सदन इस समस्या का क्यों कोई उपाय नहीं निकाल सकी है, इसका कारण यह है कि हमें मालूम नहीं कि हम क्या चाहते हैं तथा हमें यह भी मालूम नहीं कि हम इस उद्देश्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं । इस सम्बन्ध में हमें सब से पहले अपनी आवश्यकताओं तथा अपने साधनों का सर्वेक्षण करना चाहिए । मेरा अपना विचार है कि बड़े बड़े कारखानों के खोलने से बेकारी की समस्या हल नहीं हो सकती है यदि यह समस्या हल हो सकती है तो कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने से ही हल हो सकती है । तो, सरकार को सब से पहले देश में छोटे पैमाने के उद्योगों का तथा कुटीर उद्योगों का सर्वेक्षण करना चाहिए । इस के बाद कुल बेकार व्यक्तियों की गिनती जानने की कोशिश की जानी चाहिए । नौकरी दफ्तरों द्वारा इस सम्बन्ध में दिए गए आंकड़े गलत हैं । सर्वेक्षण के बाद सरकार यह जानने योग्य होनी चाहिए कि किन किन छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास किया जाना चाहिए । कुटीर उद्योगों को जो भी सहायता दी जा रही है वह किसी योजना के आधार पर नहीं दी जा रही ह । योजना आयोग ने भी इन के लिए कोई योजना नहीं बनाई क्योंकि उन के पास तथ्य तथा आंकडे नहीं थे । बड़े बड़े उद्योगों के लिए इस ने जो योजना तैयार की है वह आयात निर्यात व्यापार सम्बन्धी आंकडों के आधार पर बनाई गई है ।

हमारी इस समय सब से बड़ी आवश्यकता यह है कि हम अपने छोटे छोटे उद्योगों तथा कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दें । लोगों को इस के लिए ऋण तथा अनुदान दें और उन्हें अपना माल न केवल देश में अपितु देश के बाहर भी बेचने की सुविधाएं दें । विदेशों में स्थित हमारे दूतावासों में वाणिज्यक सहचारी नियुक्त किए गए हैं । वह इस काम में बड़े सहायक सिद्ध हो सकते हैं । यहां मैं यह भी एक सुझाव देना चाहता हूं कि भारतीय प्रशासकीय सेवा अथवा आई० सी० एस० से जो भी व्यक्ति इन पदों पर नियुक्त किए जाते हैं वह कुछ अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं होते हैं । वाणिज्यक सहचारी वह व्यक्ति नियुक्त किए जाने चाहिए जिनका कारबारी क्षेत्र से सम्बन्ध हो तथा वाणिज्य का ज्ञान हो । मशीन युग के आने पर ही भारत का वैभव चला गया है । हम इसे छोटे छोटे उद्योगों को पुनर्जीवित करने से ही पुनः प्राप्त कर सकते हैं । मैं वैसे तो बड़े बड़े उद्योगों के विरुद्ध नहीं हूं । विश्व की बदली हुई स्थिति को दृष्टि में रखते हुए हमें उनकी भी आवश्यकता है, परन्तु वह कुटीर उद्योगों तथा छोटे पैमाने के उद्योगों का स्थान नहीं ले सकते हैं ।

उद्योगों के वैज्ञानिकरण का प्रश्न उठाया गया है । यदि हमें दूसरे देशों के साथ प्रतियोगिता में भाग लेना है तो हमें वैज्ञानिकरण का आसरा लेना होगा; परन्तु इस तरह से जो लोग बेकार होंगे उन्हें आपको काम देना होगा और यह काम तो कुटीर तथा छोटे पैमाने के उद्योगों द्वारा ही किया जा सकता है । हमारे बड़े बड़े उद्योगों का इस तरह से समन्वय किया जाना

चाहिय कि वह कुटीर उद्योगों के माल को भी खपा सकें । कुटीर उद्योगों तथा बड़े बड़े उद्योगों में समन्वय होना चाहिये ।

जहां तक मितव्ययिता का सम्बन्ध है, मुझे शिकायत है कि सरकार तथा सरकारी अधिकारी धन खर्चने में सावधानी से काम नहीं लेते हैं । दामोदर घाटी निगम के बारे में समाचार पत्रों में लिखा गया है कि १६४ करोड़ रुपया गंवा दिया गया है । वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट में इसका कोई ज़िक्र नहीं आया है । अतः मुझे मालूम नहीं कि यह समाचार कहां तक सही है । परन्तु यह बात आवश्यक है कि खर्च पर कड़ा नियंत्रण रखा जाना चाहिये । वित्त मंत्रालय का यह कर्तव्य है कि वह इस बात की ओर ध्यान दे कि जनता का एक पैसा भी व्यर्थ में न जाय । यदि ऐसा किया जायगा तो हमें नोट छाप कर धन उपलब्ध करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी । वैसे मैं नोट छाप कर धन उपलब्ध करने के विरुद्ध नहीं हूं विशेषकर जब कि इसके साथ साथ उत्पादन बढ़ाया जायगा । यदि हम तेज़ी से उत्पादन बढ़ा सकेंगे तो कीमतें भी बढ़ने न पायेंगी ।

श्री एस० जी० पारिख (मेहसाना पूर्व) : बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका आभारी हूं । आयकर विभाग से रुपया वापस लेने में जनता को बहुत कठिनाई उठानी पड़ती है । जब कभी करदाता को उच्च न्यायालय से रुपया वापस लेने का अधिकार प्राप्त हो जाता है उसे विभाग की ओर से अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ता है । विभाग के पास यदि जनवरी में जायें तो कहा जाता है कि बजट में इसका उपबंध नहीं है वित्तीय वर्ष समाप्त होने के पूर्व हम रुपया नहीं दे सकते हैं ।

आयकर के सम्बन्ध में दूसरी विसंगति धारा १५-ग है । जब नवीन समवायों का जन्म होता है तो अधिनियम में उपबंध है कि सूद के छः प्रतिशत पर आयकर वसूल नहीं किया जाता है । समवाय द्वारा घाटे का हिसाब लगाए बिना ही लाभांश घोषित कर देने की स्थिति में समवाय पर कर देने का दायित्व नहीं है बल्कि अंशधारियों को कर देना पड़ता है । यदि यह विसंगति बनी रही तो सामान्य जनता नवीन उद्योगों में पूंजी लगाने में संकोच करेगी । यदि पूंजी लगाने वाली जनता को इस प्रकार की सहायता देने के आदेश विभाग को दे दिए जायें तो लोग नवीन उद्योगों में पूंजी लगाने को प्रस्तुत रहेंगे ।

उत्पादन शुल्क के सम्बन्ध में मैं एक बात कहना चाहता हूं । १९५२ में माननीय वित्त मंत्री को मैं ने इस आशय की जानकारी दी थी कि सूती वस्त्रों की मिलों की जांच के लिए जो कर्मचारीवृन्द नियोजित हैं वह आवश्यकता से अधिक हैं । मिलों पर टेक्सटाइल आयुक्त का कठोर नियंत्रण है । मिलों को कितने ही आंकड़े प्रस्तुत करने पड़ते हैं । मिल किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है उसमें हज़ारों आदमी काम करते हैं और कोई एक व्यक्ति सरकार को धोखा नहीं दे सकता है । यदि इन कर्मचारियों की संख्या में कमी कर दी जाये तो सरकार को कोई हानि नहीं होगी । सरकार को एक भी पाई का नुकसान नहीं होगा और कम से कम १५ लाख रुपया बच जायगा ।

नकली रेशम के शुल्क के सम्बन्ध में अनेक बातें कही गई हैं । मेरा विचार है

[श्री एस० जी० पारिख]

कि यह गलत रूप में लगाई गई हैं। यदि नकली रेशम के धागे पर शुल्क लगाया होता तो कोई कठिनाई पैदा नहीं होती। वर्तमान ढंग पर शुल्क लगाने से राजस्व की हानि, दुरुपयोग और भ्रष्टाचार होने की संभावना है। मिल के धागे पूर्ण रूप से संरक्षित हैं और आयात धागे पर भारी शुल्क है। कुछ लोगों का विचार है कि उत्पादन कम हो जायेगा। दो मिलें और बन रही हैं और यदि पांचो एकक उत्पादन आरम्भ कर दें तो हमारी आवश्यकता के ७५ प्रतिशत भाग की पूर्ति हो जायेगी।

तम्बाकू पर उत्पाद शुल्क में छूट देने के लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं। यदि १९५४ की फसल में भी यह छूट दे दी गई तो कृषकों को बड़ी सहायता मिलेगी। मैं वित्त मंत्री से इस मामले पर विचार करने की प्रार्थना करूंगा।

मैं आपकी जानकारी में एक बात यह ला दूं कि दो बड़ी इंशुरेंस समवायों ने जीवन बीमा प्रीमियम की दरों में सारभूत रूप में कमी कर दी है। मेरा अनुमान है कि सरकार छोटे समवायों से भी अपनी दरों पर पुनर्विचार करने के लिए कह रही है। इन छोटी छोटी समवायों को या तो बड़े समवायों में मिल जाना चाहिये अथवा उन्हें अपना काम समेट लेना चाहिये। सरकार जब इंशुरेंस उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने का विचार करेगी तो कम समवाय होने से सरकार आसानी से ऐसा कर सकेगी।

बिक्री कर के सम्बन्ध में अनेक वक्ताओं ने विचार प्रकट किये हैं। मेरा निवेदन है कि इस दृष्टि से सारे देश में समानता होनी चाहिये। मुझे लगता है कि सरकार कुछ वैधानिक कठिनाई का सामना कर रही है। लेकिन व्यापारियों की कठिनाइयों को देखते हुए करारोपण में समानता होनी चाहिये। मेरा सुझाव है कि इसे केन्द्रीय विषय बना दिया जाये। सब राज्यों से संग्रह किया जाने वाला राजस्व उनके सुपुर्द कर दिया जाये। सम्पदा शुल्क की भांति इसे भी केन्दी-प्रशासित विषय होना चाहिये।

दूसरी बात विदेशी पूंजी के विनियोग से सम्बन्धित है। मैं विदेशी पूंजी के विरुद्ध नहीं हूं। लेकिन जब कभी भी स्थानीय औद्योगिक आगे आते हैं ऐसे स्थानों पर सरकार द्वारा विदेशी उद्योग-पतियों अथवा विदेशी पूंजी को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिये। मुझे मालूम है कि रंग तैयार करने का उद्योग शीघ्र ही उत्पादन आरम्भ करने वाला है। पिछले चार वर्षों में प्रयोग कार्यों में २ लाख रु० की रकम व्यय की जा चुकी है। उनके प्रयोग पूरे हो चुके हैं और वह शीघ्र ही रंग तैयार करने की अवस्था में हैं। इसी बीच में मुझे मालूम हुआ कि एक बड़ा उद्योग इम्पीरियल केमीकल इंडस्ट्रीज से मदद ले रहा है। उसने इस समझौते पर हस्ताक्षर कर दिये हैं कि वह केवल बीच की वस्तुओं से रंगों का निर्माण करेंगे। जब कि भारतीय समवाय कच्चे माल से रंगों का निर्माण करेगा तथा उसने यह भी स्वीकार कर लिया है कि वह अगले दो वर्षों में देश की आवश्यकता पूरी कर देगा। तब इम्पीरियल केमीकल इण्डस्ट्रीज के रूप में विदेशी समवाय के भाग लेने की क्या आवश्यकता है। मेरा निवेदन है कि यदि आप विदेशी उद्योगों को अनुमति देते हैं तो आपको यह देखना चाहिये कि

वह आधारभूत कच्चे माल से ही रंगों की उत्पत्ति करें। हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि जब हमारे देशवासी प्रद्योगों पर लाखों रुपये खर्च करते हैं तो उन्हें उत्साह मिलना चाहिये।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार (तिरूप्पुर): प्रक्रिया सम्बंधी कतिपय मामलों पर कहने के पूर्व मैं ग्रामीण ऋण के सम्बंध में कहूंगा। देहाती क्षेत्रों में ब्याज की दर ३६ प्रतिशत है और जो लोग ऋण लेते हैं वह इसे उचित दर समझते हैं रुपया देने के पहले ही ऋण जोड़ लिया जाता है। विधि से बचने के लिये दुगुनी और तिगुनी रकम के प्रलेख लिखाये जाते हैं। कृषि सम्बन्धी कार्यों के लिये इस ऋण की अतीत आवश्यकता रहती है। इसलिये ऋण लेने के लिये यह लोग अपनी भूसम्पत्ति को गिरवी रख देते हैं। मैं कह दूं कि हमने इस दिशा में कुछ नहीं किया है।

उस दिन जब इस सम्बंध में प्रश्न पूछा गया तो उत्तर मिला कि कुछ वर्षों पहले बैंकिंग जांच आयोग द्वारा इस विषय का अध्ययन किया गया था। लेकिन उसके बाद पर्याप्त परिवर्तन हो गया है और आज हमारे लिये एक आयोग अथवा अभिकरण की स्थापना आवश्यक हो गई है। हम दावा करते हैं कि हम अधिक धन की उत्पत्ति कर रहे हैं। लेकिन हमें यह देखना चाहिये कि यह धन खेतों में काम करने वाली उस रय्यत के पास गया है जिस पर देश की महानता निर्भर है अथवा वह बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के कुछ गिने चुने, व्यक्तियों के हाथों में ही है। जब कलकत्ता और बम्बई की जनता चिल्लाती है तो सरकार शीघ्र ही कार्य कर देती है। लेकिन जब कृषक और निर्धन ग्रामीण प्रभावित होते हैं तो उनकी आवाज शायद ही कभी सुनी जाती है।

प्रक्रिया सम्बंधी दूसरा विषय मंत्रालय और उसकी अपनी निगरानी के लिये नियुक्त समितियों—लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति के परस्पर सम्बंध हैं। मेरा विचार है कि समितियों द्वारा किये गये निर्णयों का—यदि सदन उन्हें अस्वीकृत नहीं करता है—आदर किया जाना चाहिये।

कुछ समय पहले यहां कहा गया था कि पदाधिकारी किन्हीं निर्णयों के सम्बन्ध में भीरूता प्रकट करते हैं। इसका कारण यह है कि लोक लेखा समिति ने कतिपय पदाधिकारियों के सम्बंध में कुछ तथ्यों का प्रकटीकरण किया है। मेरा विचार हैं कि जो पदाधिकारी उत्तरदायित्व संभालने के लिये प्रस्तुत नहीं है उन्हें अपने पदों पर नहीं रहना चाहिये। किसी भी देश में लोक लेखा समिति पदाधिकारियों द्वारा किये गये कार्यों की टीका करेगी लेकिन पदाधिकारियों को उत्तरदायित्व ग्रहण करना चाहिए। उच्च पदाधिकारी निर्णय से डरने के लिए नियुक्त नहीं किए गए हैं लेकिन उन्हें निर्णय करने के लिए ही रखा गया है।

कहा गया है कि चन्दा रिपोर्ट में प्रक्रिया सम्बंधी दो बातों की चर्चा की गई है। एक वह प्रक्रिया है जिसके अनुसार विभाग अधिक द्रुतगति के साथ व्यय कर सकें।

श्री ए० पी० सिन्हा: श्रीमान्, एक औचित्य प्रश्न है। माननीय मित्र चन्दा रिपोर्ट पर चर्चा कर रहे हैं जिसके विषय में हमें प्रधान मंत्री के उस उत्तर

[श्री ए० पी० सिन्हा]

से मालूम हुआ है जो उन्होंने अल्प सूचना प्रश्न पर दिया था। लेकिन जब वह रिपोर्ट सदन के समक्ष प्रस्तुत नहीं है तो उस पर क्योंकर चर्चा की जा सकती है। हमें उस के विषय में कुछ मालूम नहीं है। माननीय सदस्य कहते हैं कि उन्हें कुछ मालूम नहीं है। इस पर भी वह रिपोर्ट पर चर्चा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। यह असंगत, अनुचित और अनियमित है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य ने कोई औचित्य प्रश्न नहीं उठाया है। माननीय सदस्य ऐसे विषय पर विचार प्रकट कर रहे हैं जो सदन तथा देश की सामान्य सम्पत्ति है। यदि यह रिपोर्ट में से कुछ पढ़कर फिर लम्बा चौड़ा भाषण देते तो औचित्य प्रश्न उचित था।

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : अनेक विचार सामने हैं भले ही यह उक्त प्रलेख में हों अथवा न हों। मुझे लगता है कि यदि इस तरह के विचार सदस्यों की सूचना में आते हैं तो उन पर अपने विचार व्यक्त करना उनका काम है। यह आवश्यक नहीं है कि वह किसी विशिष्ट रिपोर्ट के संदर्भ में हों। वह कह सकते हैं कि व्यपगत को घटित होने से रोकने के लिए प्रतीकात्मक स्वीकृति प्राप्त कर लेना चाहिए। इस विषय पर माननीय सदस्य के कुछ विचार हैं और मेरा विचार है कि उन्हें यह व्यक्त करने का पूर्ण अधिकार है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य से मेरी प्रार्थना है कि सरसरी दृष्टि से इस पर विचार करें। रिपोर्ट हमारे सामने नहीं है अतः वह अपनी धारणाओं में गलती कर सकते हैं।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : केवल दो मत उक्त रिपोर्ट में बताये गए हैं और मैं उन दोनों पर ही विचार कर रहा हूं।

सभापति महोदय : हम नहीं जानते कि रिपोर्ट में क्या है।

श्री टी० एन० सिंह : उस का उल्लेख करना अवांछनीय है।

सभापति महोदय : इसी लिए मैं कहता हूं कि हमें केवल सिद्धान्त की बात करनी चाहिए और अधिक उलझन नहीं पैदा करनी चाहिए। हमारी चर्चा केवल उसी सामग्री पर आधारित होनी चाहिए जिसे हम अधिकृत मानते हैं।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : श्रीमान्, मैं कहना चाहता हूं कि प्रतीकात्मक अनुदान लेने के बाद करोड़ों रुपये खर्च करने का यह तरीका किसी वित्तीय प्रक्रिया में नहीं बैठता। मेरा विश्वास है कि यह सभा इस प्रक्रिया को कभी स्वीकार नहीं करेगी क्योंकि इस से तो संसदीय नियंत्रण का निराकरण होता है।

दूसरा एक विचार यह रखा गया है कि प्रत्येक विभाग का अपना एक वित्तीय सचिव हो जो वित्त विभाग के मातहत न हो कर अपने विभाग प्रमुख के अधीन हो। अब जिन कामों को इस सभा ने स्वीकार किया उन्हें अनुमति देने की तो आवश्यकता ही नहीं है। और यदि वित्त का व्यय किसी दूसरे काम के लिए करना हो तो वित्त मंत्रालय की सहमति बिना यह परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिये। वित्त मंत्रालय वित्त के दुरुपयोग को रोकने वाला पहरेदार है। इस पहरेदार की हरकतें कितनी भी अरुचिर क्यों न हो, हमें इसका परिहार नहीं करना चाहिए।

पंडित के० सी० शर्मा (जिला मेरठ—दक्षिण) : वे स्नातनी हैं।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : मैं चाहता हूं कि जितना भी पैसा उपलब्ध किया गया हो वह खर्च किया जाना चाहिए। हमारी सारी योजनाएं कार्यान्वित की जानी चाहिए। राज्य सरकारों के पास पर्याप्त पैसा न होने के कारण हमारी योजनाएं रुक जाती हैं। हमें उन के लिए आय के नवीन स्रोत खोजने चाहिए। स्थानीय निर्माण की हमारी कई योजनाएं राज्य सरकारों की लाल फीताशाही से रुक जाती हैं। हम सीधे स्थानीय बोर्डों आदि से संपर्क क्यों नहीं स्थापित कर लेते हैं? देहातों में पीने के पानी का प्रबन्ध, प्रसूति तथा शिशु-कल्याण, स्थानीय निर्माण, आदि विषयों में हम रामकृष्ण मिशन, गांधी स्मारक निधि, आदि जैसी प्रशस्त संस्थाओं से सीधा संमपर्क स्थापित कर सकते हैं।

श्री शिव दयाल उपाध्याय (जिला बांदा व जिला फतहपुरा) : चेयरमैन महोदय, मैं आप का बहुत आभारी हूं कि आप ने मुझे बोलने का अवसर दिया।

आज़ादी प्राप्त करने के बाद जो पहला कदम हमने अपने देश की गरीबी को दूर करने के लिए और सामाजिक समानता प्राप्त करने के लिए उठाया है, वह है पंचवर्षीय योजना के द्वारा। हमें देखना है कि इस योजना को हम कहां तक कार्यान्वित कर चुके हैं तथा हम में कहां तक इसे कार्यान्वित करने की क्षमता है। इस रिपोर्ट को देखने से मालूम होता है कि जो हमारा टार्गेट था, उस में हम ने अब तक जो काम किया है, उस के अनुसार, ऐग्रीकल्चर ऐंड ऐनिमल हैस्बैन्डरी में लगभग ३३ प्रतिशत सफलता प्राप्त की है। इसी प्रकार इरिगेशन में हमने १८ प्रतिशत सफलता प्राप्त की है रिक्लेमेशन में ६ फ़ीसदी, हैल्थ ऐंड रूरल सैनिटेशन में हम ने १६ फीसदी, एजुकेशन ऐंड सोशल एजुकेशन में केवल १४ फीसदी, कम्यूनिकेशन में १४ फीसदी, आर्टस ऐंड क्राफ्ट्स में केवल ४ फीसदी सफलता प्राप्त की है। इस तालिका को देखने से पता चलता है कि जो हमारा आदेश है उस को हम ने कितना काम अब तक पूरा किया है। ऐसी दशा में हम कभी यह आशा नहीं कर सकते कि जो निश्चित समय है, निर्धारित समय है, उस के अन्दर हम इस योजना को सफल बना सकेंगे। इस का कारण क्या है? जहां तक मैं ने विचार किया, उस मैशीनरी में, जिस के द्वारा हम इसे पूरा करना चाहते हैं, कोई कमी है। बात वास्तव में यह है कि वह मैशीनरी, वह यंत्र जो इसके पूर्व शासन का यंत्र था, और इस में कोई शक नहीं कि जिस में शासन की योग्यता पूरी तरह से पाई गई, वह मैशीनरी सेवा कार्य के लिए बिल्कुल ही अपर्याप्त सिद्ध हुई है। उस के द्वारा हमारी जनता में उत्साह पैदा नहीं हो सकता। उस के द्वारा जो हमें जनता से सहयोग मिलना चाहिये था, वह नहीं मिलता है। और तो और, जनता के जो प्रतिनिधि हैं, जनता के जो सेवक हैं, उन के और जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स आम तौर पर काम करते हैं इस योजना को सफल बनाने के लिए उनके बीच में एक गहरी खाई है। मैं बड़ी नम्रता से कहना चाहता हूं कि यह वह तरीका नहीं है जिस के द्वारा हम इस योजना को सफल बना सकें। मुझे चांगकाई शेक की सरकार की मिसाल याद आती है। उस के अधिकारी कुछ इस प्रकार के स्वार्थी हो गये थे कि जिन का सम्पर्क जनता से किसी प्रकार का नहीं रह गया था। उस के विपरीत

[श्री शिव दयाल]

आज कल की जो चीन सरकार है, उस के अधिकारी इस प्रकार के हैं कि उनका रहन सहन, उनका बर्ताव उनका व्यवहार और उनका सहयोग जनता के साथ पूरी तरह से मिलता है। तो ऐसी दशा में मैं प्रार्थना करूंगा, अपनी सरकार से, कि वह अपने अधिकारियों को इस प्रकार से चुने कि जिस से वे जनता का सहयोग और जनता का विश्वास ठीक तरह से प्राप्त कर सकें। मैं सुझाव के तौर पर कुछ बातें आपके सामने रखूंगा जिनके द्वारा शायद यह जो काम हमारे सामने है वह बहुत हद तक पूरा किया जा सकेगा।

मैंने जहां तक समझा है अधिकारियों की इस मनोवृत्ति का विशेष कारण उन का व्यक्तिवाद है। यह रोग हमारे देश का पुराना रोग है। बृटिश शासन के अन्तर्गत रहने से यह रोग और भी बढ़ गया है। हम जानते हैं कि उसी मैशीनरी के द्वारा, उसी यंत्र के द्वारा जो कि बृटिश शासन के अन्तर्गत काम करता रहा है, या उसी ढांचे पर जो पहले से ढला हुआ है, हम इस सेवा की योजना को सफल बना लें। यह सम्भव नहीं मालूम होता। इस लिये उन कारणों को दूर करने के लिये मेरा सुझाव है कि हम ऐसे आदमी चुनें, इस कार्य को सफल बनाने के लिये, इस कार्य के भार को संभालने के लिये, कि जिन में, जिन के घर वालों में राष्ट्रीय सेवा का, सामाजिक सेवा का या और किसी प्रकार की सेवा का भाव रहा हो। हम ऐसे आदमी न चुनें कि जो केवल शासन कार्य में तो निपुण हों, परन्तु सेवा की योग्यता में, सेवा की भावना में जो बिल्कुल ही इसके बिपरीत हों। मेरा अपना निजी तजुर्बा है और प्रत्येक मेरे साथी का भी, मैं समझता हूं, कि ऐसा ही तजुर्बा होगा, कि जो जिले के अधिकारी होते हैं, जिनके ऊपर तमाम जिम्मेदारी इस योजना को सफल बनाने की होती है, वह सेवा भाव से, वह सहयोग के भाव से, वे जनता में काम करने के भाव से, इतने शून्य होते हैं कि जिसके कारण न तो वह जनता की सेवा कर सकते हैं, न उन में उत्साह पैदा कर सकते हैं और न जो जनता की सेवा करने वाले जो अन्य लोग हैं उन में वह सद्भावना पैदा कर सकते हैं, और न ही उन के साथ वह काम कर सकते हैं।

दूसरा सुझाव मेरा यह है कि जिस प्रकार से आज कल चीन के अधिकारियों का रहन सहन बहुत कुछ वहां की जनता के रहन सहन से मिलता जुलता होता है, अधिकारियों का भोजन और उनकी पोशाक जनता के भोजन और उनकी पोशाक से मिलता जुलता हो, ऐसा उन्होंने नियम बना दिया है, जिस से कि जनता यह न समझे कि उन के और अधिकारियों के बीच में, एक बहुत बड़ी खाई है। उसी प्रकार मैं आप के द्वारा मंत्री महोदय को यह सुझाव दूंगा कि कुछ ऐसे इन्स्ट्रक्शन्स जारी कर दिये जायें कि जिन के द्वारा हमारे अधिकारी उसी पोशाक में, रह कर और वैसा ही सादा भोजन खा कर जनता के बीच में काम करें। तब शायद उन को ज्यादा सफलता मिल सकेगी।

तीसरा सुझाव जो कि मैं देना चाहता हूं यह है कि जो दूसरी गैरसरकारी संस्थायें देहातों में काम कर रही हैं, और जिन्होंने अपने काम का, अपनी सेवा

का अच्छा परिचय दिया है—बहुत से ऐसे काम हैं जो उनके सुपुर्द कर दिये जा सकते हैं—वे उन के द्वारा कराये जायें। उन के सहयोग के लिये, उन के कार्य संचालन के लिये, उन की सहायता के लिये, यह हो सकता है कि किसी प्रकार के अधिकारी उन के साथ नियुक्त कर दिये जायें। जैसे काटेज इन्डस्ट्रीज और देहातों से सम्बन्ध रखने वाली बहुत सी योजनायें हैं, मैं समझता हूं कि जब तक हमें उन संस्थाओं का सहयोग नहीं प्राप्त होगा, जो कि देहातों में सेवा कार्य करती हैं, तब तक यह सम्भव नहीं है कि खाली सरकारी कर्मचारियों के द्वारा काम करा कर इन कामों में बहुत सफलता मिल सके।

चौथा सुझाव में यह देना चाहता हूं कि जिस प्रकार हमारे उत्तर प्रदेश में एक ऐसा सैनिक दल बनाया जा रहा है, पहले वह बनाया गया था प्रान्तीय रक्षा दल के नाम से, बहरहाल किसी भी नाम से हो, चाहे सेवा दल के ही नाम से हो, उस संस्था के द्वारा काम कराया जावे। इसके अनुसार प्रत्येक गांव में, दस, बारह या पन्द्रह सेवक होंगे और उन सेवकों का यह काम होगा कि इस प्रकार की योजना को सफल बनाने में वह सहायता दें। इतना ही नहीं, बल्कि उन सेवकों को कुछ विशेष सुविधायें सरकार की ओर से दी जायें। इस प्रकारसे जब हम अधिकारियों का, जनता में काम करने वालों का और जनता का सहयोग प्राप्त कर सकेंगे, तभी यह संभव होगा कि हम जो देश में दो प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात् आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक स्वनंत्रता, वह प्राप्त कर सकेंगे।

अंत में मैं केवल अपने अधिकारी वर्ग को एक आदर्श के तौर पर गांधी जी की प्रार्थना का वह मंत्र याद दिलाता हूं जिसे कि गांधी जी पढ़ा करते थे, और जब तक यह आदर्श अधिकारी वर्ग के सामने नहीं होगा, तब तक मेरे ख्याल में यह सम्भव नहीं कि उन को सफलता मिल सके, वह श्लोक यह है :

न त्वहं कामये राज्य न स्वर्ग नापुनर्भवम्।
कामये दुःख तप्तानां प्राणिनामार्त नाशनम्॥

इस का अर्थ यह कि मैं राज्य नहीं चाहता, मैं स्वर्ग नहीं चाहता, मैं फिर न पैदा होना नहीं चाहता, मैं तो जो दुःख से तप्त प्राणी हैं उन के दुःख को दूर करना चाहता हूं। इस प्रकार का आदर्श अगर हमारे कार्यकर्ताओं के सामने होगा तभी यह योजना सफल हो सकती है।

श्री के० पी० त्रिपाठी (दर्रागं) : जब भारत स्वतंत्र हुआ तब हमारी ऋण-व्यवस्था में कुछ त्रुटियां थी। यहां की सारी ऋण-व्यवस्था मुख्यतः बड़े उद्योगों तथा व्यापार के लिए बनी हुई हैं। किंतु भारत में ७२ प्रतिशत उत्पादन खेती से होता है, १० प्रतिशत कुटीर उद्योगों से और ८ प्रतिशत बड़े उद्योगों से। देश में कृषि तथा कुटीर उद्योगों के लिए ऋण प्राप्त करने की कोई खास व्यवस्था नहीं है। अमरीका में तो बिना प्रतिभूति के किसानों को ऋण देने की व्यवस्था है। वहां तो उन्होंने कृषि उत्पादों के भाव बनाये रखने की भी व्यवस्था की। इसी कारण वहां खेती की उन्नति हुई। लेकिन हमारे यहां इस त्रुटी को दूर करने के लिए अभी तक कोई पग नहीं उठाया गया। अब वित्त मंत्रालय ने कुछ अल्प सा प्रारम्भ किया है। मैं उस का स्वागत करता हूं। किन्तु मैं चाहता हूं कि इस मामले में अधिक साहस से काम लिया जाय।

[श्री के० पी० त्रिपाठी]

आखिर जब कभी किसी बड़े उद्योग पर संकट छा जाता है तब सरकार क्या करती है ? वह उसकी सहायता करती है। चाय उद्योग के बारे में सरकार ने यही किया। कृषि तथा कुटीर उद्योगों के महान क्षेत्र के बारे में भी इसी नीति का अवलम्बन किया जाना चाहिये।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण तारीख १७ को जारी रख सकते हैं।

इस के पश्चात् सभा शनिवार, १७ अप्रैल १९५४ के दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।

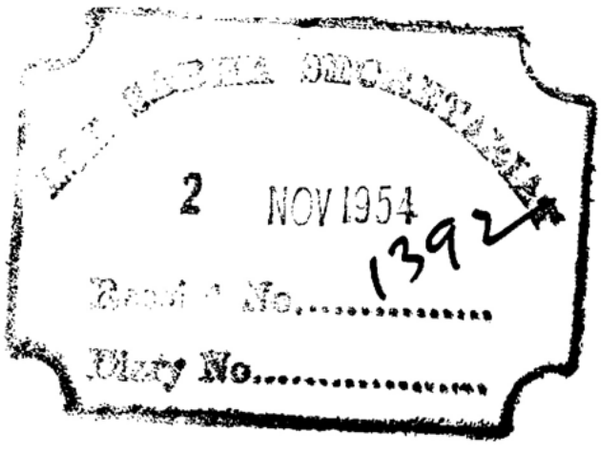

PRINTED IN INDIA BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, NEW DELHI
AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1954